लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4 गुरुवार 18 नवम्बर, 1971/27 कार्तिक 1893 (शक)
No. 4, Thursday, 18 November, 1971/Kartika 27, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तां. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
91.	केन्द्रीय सरकार द्वारा शरणार्थी शिविरों को अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Refugee Camps by Central Government ...	—1
92.	बोनस फार्मूला संबंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Bonus Formula ...	—4
93.	राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	States Labour Ministers' Conference...	—7
94.	चीन की विदेश नीति में परिवर्तन	Shift in Foreign Policy of China ...	—10

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

95.	पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलो में भारत विरोधी प्रचार	Anti-India Propaganda in Primary Schools in Pakistan ...	—17
96.	श्री लंका से प्रात्यावर्तन करने वाले व्यक्ति	Repatriates from Ceylon ...	—18
97.	श्री लंका में भारतीय मुद्रा का बरामद होना	Recovery of Indian Currency in Ceylon ...	—18
98.	अधिक कोयला खानों को सरकार के नियंत्रणाधीन किया जाना	Taking over of more coal Mines ...	—18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या U.SQ. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
99.	आसनसोल स्थित साऊथ परासिया कोयला खान का बंद किया जाना	Closure of South Parasia Colliery Asansol ...	—19
100.	बंगला देश के शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आगमन	Influx of Bangla Desh Refugees ...	—19
101.	बीड़ी सिगार अधिनियम	Beedi Cigar Act	—20
102.	अकाली नेता डा० जगजीत सिंह को पारपत्र देना	Grant of Passport to Dr. Jagjit Singh, an Akali Leader ...	—21
103.	कानपुर में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up a Mini Steel Plant in Kanpur ...	—21
104.	रूरकेला इस्पात कारखाने में स्टील मेल्टिंग शाप की छत के गिर जाने के बारे में तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee on Collapse of Roof in Steel Meltin Shop at Rourkela Steel Plant ...	—22
105.	जहाजी कुलियों को और मर्मगाओ गोदी श्रम बोर्ड के ऋण तथा उगाही की बकाया राशि	Arrears of dues and levy from Stevedores in the Mormugao Dock Labour Board ...	—22
106.	अग्रिम भुगतान के लिये बोनस फारमूला	Bonus Foemula for Advance payment ...	—23
107.	बंगला देश से आये शरणार्थियों का अन्य स्थानों को भेजा जाना	Dispersal of Bangla Desh Refugees...	—23
108.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों तथा औषधालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन	Assessment of working of Hospitals and Dispensaries under ESIS ...	—25
109.	भारत-सिक्किम सन्धि का पुनरीक्षण	Revision of Indo Sikkim Treaty	—25
110.	बागान कर्मचारियों के काम के घंटों में कमी किया जाना	Reduction of Working Hours for Plantation Workers ...	—26
111.	बंगला देश की समस्या का हल	Settlement of Bangla Desh Problem ...	—26
112.	विश्व हाकी कप पर काश्मीर को पाकिस्तान का क्षेत्र दिलाया जाना	Kashmir shown as Pakistan's Territory on World Hokey Cup ...	—27
113.	पाकिस्तान द्वारा पूर्व यूरोपीय देशों से शस्त्रों की खरीद	Purchase of Arms by Pakistan from East European Countries ...	—27
114.	विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा	Minister of External Affairs visit to USA ...	—27
115.	सरकार द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्ट-मंडल	elegation sent abroad by Government ...	—2

ता.प्र. संख्या S.Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
116.	रूस के उप-विदेश मंत्री का दौरा	Visit by Soviet Deputy Foreign Minister ...	—29
117.	शरणार्थी बस्तियों में पट्टे की राशि में वृद्धि	Increase of Lease Money in Refugees Colonies ...	—30
118.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक फर्मों के कार्यालयों का पुन: खुलना	Reopening of Offices of Industrial Concerns in West Bengal ...	—30
119.	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धन राशि	Arrears of Employees Provident Fund ...	—30
120.	शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई	Release of Sheikh Mujibur Rehman...	—31

अता.प्र. संख्या U. S. Q. No.			
601.	केरल में ग्रेफाइट के निक्षेप	Deposits of Graphite in Kerala	—32
602,	पाक उच्चायोग द्वारा अनधिकृत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को आश्रय दिया जाना	Shelter given by Pak High Commission to unauthorised Pak Nationals ...	—32
603.	अनुसूचित जातियों के अध्यापकों को दिल्ली में विस्थापितों की कालोनियों में प्लाटों की नीलामी	Auction of plots in Refugee Colonies in Delhi to Scheduled Caste Teachers ...	—32
604.	खान तथा धातु परियोजना के लिये विदेशी तकनीकी जानकारी	Foreign Technical know-how for Mines and Metals Projects ...	—33
605.	संयुक्त परिषदों की असफलता	Failure of Joint Councils ...	—33
606.	रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धों द्वारा कार्मिक संघों के साथ किये गये द्विपक्षीय करार	Bipartite Agree ents signed by Management of Rourkela Steel Plant with Labour Union ...	—34
607.	भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों द्वारा मजदूर संघों के साथ किये गये द्विपक्षीय करार	Bipartite Agreements signed by the Management of Bhilai Steel Plant with Labour Unions ...	—35
608.	स्वेच्छिक मध्यस्थता द्वारा हल किये गये श्रमिक विवाद	Labour Cases settled through Voluntary Arbitration ...	—36
609.	श्रमिक संघों के साथ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा किया गया द्विपक्षीय समझौता	Bipartite Agreements signed by Durgapur Steel Plant with Labour Unions ...	—36
610.	राज्यों में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals in States	—37
611.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र की सहायता बन्द होना	Stoppage of United States Aid for Bangla Desh Refugees ...	—37

अता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
612.	उद्योगों में दुर्घटनायें	Industrial Accidents	—38
613.	भारत आस्ट्रेलिया वार्ता	Indo Australian Talks ...	—38
614.	समान योग्यताओं के लिये समान वेतन	Equal pay for Equal Qualifications...	—39
615.	पाकिस्तान द्वारा बंगाल की खाड़ी में अमरीका को पट्टे पर दिये गये द्वीप	Islands in the Bay of Beggal Leased to USA by Pakistan ...	—39
616.	भारत रूस वार्ता	Indo Soviet Talks	—40
617.	कच्चे लोहे का निर्यात	Export of Pig Iron	—40
618.	पिंडी मिशन में बंगाली कर्मचारियों के साथ मार पीट	Belabouring of Bengali Employees in Pindi Mission ...	—40
619.	विरोधी नागाओं के साथ वार्ता	Talks with Rebel Nagas	—41
620.	सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी संघों का सम्मेलन	Conference of Public Sector Undertakings Employees Union ...	—41
621.	हड़तालों और बन्धों के दौरान कर्मचारियों द्वारा हाजिरी लगाना	Marking of Attendance by Workers during Strikes and Bandhs ...	—42
622	श्रमिकों को जबरन कम मजूरी दिये जाने को रोकना	Check on forced underpayments Labour ...	—42
623.	जापान के भूवैज्ञानिकों के दल द्वारा सहयोगी अनुसन्धान कार्य	Collaborative Research work by Japanese Team of Geologists ...	—43
624.	औद्योगिक आवास योजना में कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश की महाराष्ट्र सरकार की प्रस्तावित योजना	Proposed Scheme for investment of EPF in Industrial Housing Scheme by Maharashtra ...	—43
625.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि	Loss incurred at Heavy Engineer Corporation, Ranchi ...	—43
626.	अस्पताल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु कानून	Legislation to Protect Rights of Hospital Employees ...	—44
627.	पड़ौसी देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार	Improvement in India's Relations with Neighbouring Countries ...	—45
628.	विदेशों के साथ शांति संधि	Peace Treaty with Foreign Countries ...	—45
629.	भारत रूस सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Indo USSR Relations ...	—46
630.	भारत में रहने वाले श्रीलंका के राष्ट्रिक	Ceylonese Nationals Residing in India ...	—46
631.	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधि मन्डल की यात्रा	Visit of GDR Delegation	—46

अता. प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
632. विश्व शान्ति परिषद प्रतिनिधि मंडल की यात्रा	Visit of World Peace Council Delegation ...	—48
633. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा इस्पात संयंत्रों का निर्माण	Manufacture of Steel Plants by Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	—49
634. कोयला खानों को सरकारी अधिकार में लेने के समाचार का समय से पूर्व प्रकाश में आना	Leakage of News Regarding taking over of Coal Mines ...	—49
635. स्पंज इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Sponge Steel Plant ...	—50
636. दिल्ली के क्लबों में श्रमिक संघ	Worker's Unions in Clubs of Delhi...	—51
637. बंगला देश के शरणार्थियों के लिये गर्म कपड़े	Warm Clothing for Bangla Desh Refugees ...	—51
638. प्रधान मंत्री की रूस यात्रा	P.M's Visit to USSR ...	—52
639. वियतनाम लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता	Recognition of Democratic Republic of Vietnam ...	—53
640. औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों और तालाबन्दी के कारण व्यर्थ हुए कार्य-दिवस	Man days lost due to Strikes and Lock outs in Industrial Sector ...	—53
641. बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यक्रम और कर्मचारियों के क्वाटरों के लिए भूमि की खरीद	Purchase of Land for Office and Staff Quarters for EPFO in Bihar ...	—53
642. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निरीक्षणालयों की खराब दशा	Poorly Equipped Inspectorate Offices of Employees Provident Fund Organisation ...	—54
643. भागलपुर में रेशम कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना का विस्तार	Extension of EPF Scheme to Silk Factories in Bhagalpur ...	—55
644. गंगानगर जिले में निष्क्राम्य कृषि भूमि के हरिजन अलाटियों द्वारा भुगतान	Payment by Harijan Allottees of Evacuee Agricultural Lands in Ganganagar District ...	—55
645. चीन के साथ बातचीत	Talks with China ...	—56
646. मुख्य औद्योगिक उपक्रमों में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण जन दिवसों की हानि	Man days lost due to strikes and Look outs in Major Industrial Undertakings ...	—56
647. एक उद्योग के लिये एक ही श्रमिक संघ	One Union for one Industry	—57
648. कोकिंग कोयला खानों के हस्तांतरण के समय घटी अप्रिय घटनाएं	Untoward Incidents during taking over of coking coal Mines ...	—58

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
649.	विदेशी सरकारों की भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्था करने की पेशकश	Offers of Mediation by Foreign Countries between India and Pakistan ...	—58
650.	रूस द्वारा बंगला देश के मामले में मध्यस्था पेशकश	Offer of Mediation by USSR on Bangla Desh Issue ...	—58
651.	शिविरों में बंगला देश के शरणार्थी	Bangla Desh refugees in camps ...	—59
652.	आन्ध्र प्रदेश में तांबा तथा हीरों का निक्षेप	Deposits of copper and Diamonds in Andhra Pradesh ...	—59
654.	भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference ...	—60
655.	अमरीका में भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propoganda in USA ...	—61
656.	हनुमान बिस्कुट फैक्टरी, मारूफगंज, पटना में कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लागू किया जाना	Introduction of EPF Scheme in Hanuman Biscuit Factory, Maroofganj, Patna ...	—61
657.	बिहार में हजारीबाग की अभ्रक खानों और कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लागू न किया जाना	Non-introduction of EPF Scheme in Mica Mines and Factories in Hazaribagh, Bihar ...	—62
658.	भारत काफी हाऊस, पटना में कर्मचारी भविष्य निधि योजना	EPF Scheme in Bharat Coffee House Patna ...	—62
659.	कोकर कोयला खानों को सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में तकनीकी परामर्शदाताओं का प्रतिवेदन	Report of the Technical Consultants on taking over of Coking Coal Mines ...	—63
660.	विक्टरी कोयला खान तथा नीमचा कोयला खान द्वारा मजदूरों के वेतन को रोकना	Withholding of payment to workers by Victory Colliery and Nimcha colliery ...	—63
661.	दुर्गापुर स्थित ए. वी. बी. कर्मचारी संघ के कार्यालय की तालाबन्दी	Lock out of AVB Employees Union's Office, Durgypur ...	—63
662.	अगस्त, 1971 की भारत-रूस की संयुक्त विज्ञप्ति	Indo Soviet Joint Communique of August, 1971 ...	—64
663.	हिन्देस्तान स्टील लिमिटेड के सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो का रूस से सहयोग	Collabortion of Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. with Russia ...	—64
664.	इस्पात बनाने की नई विधि	New Process of Making Steel	—65
665.	आंध्र प्रदेश में अग्नी गुंडाला लैड माइन्स में अपर्याप्त वातायन व्यवस्था	Inadequate ventilation in Agnigundala Lead Mines in Andhra Pradesh ...	—65

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
666.	आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की अग्निगुंडाला खानों में काम का बंद होना	Stoppage of work in Agnigundala Mines, Guntur District, Andhra Pradesh	—65
667.	श्रमिक नेता को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का महाप्रबन्धक नियुक्त करना	Appointment of Labour Leaders as General Manager of Durgapur Steel Plant	—66
668.	माना शरणार्थी शिविर में गोली काण्ड	Firing in Mana Refugee Camp	—66
669.	इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production in new Steel Plants	—67
670.	रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति	Persons registered with employment Exchanges ...	—67
671.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता	UN Aid for Bangla Desh Refugees ...	—68
672.	बोनस के विषय में त्रिपक्षीय वार्ता	Pripartite Talks on Bonus	—68
673.	नागालैंड में सैनिक कार्यवाही को रोकना	Suspension of Operations in Nagaland ...	—69
674.	दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पूरे भुगतान वाले प्लाटों की रजिस्टरी	Registration of fully paid plots in Rehabilitation Colonies in Deihi ...	—69
675.	दिल्ली का पुनर्वास कालोनियों में प्लाटों की निलामी	Auction of Plots in Rehabilitation Colonies in Delhi ...	—70
676.	दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में अनधिकृत रुप से कब्जा किये गये प्लाटों को खाली कराया जाना	Evacuation of Unauthorised Occupation of Plots in Rehahilitation Colonies in Delhi ...	—71
677.	दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में मकानों के लिये भुगतान	Payments for Houses in Rehabilitation Colonies in Delhi ...	—71
678.	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	US Arms Supply to Pakistan ...	—72
679.	जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता देना	Recognition of GDR	—72
680.	इंजीनियरिंग उद्योगों में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Engineering Industries ...	—73
681.	मद्रास गोदी श्रम बोर्ड का समाप्त किया जाना	Supersession of Madras Dock Labour Board ...	—73
682.	बंगला देश के सम्बन्ध में रुस अलजीरियन विज्ञप्ति	Russo-Algerian Communique on Bangla Desh ...	—74
683.	उत्तरी कोरिया द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by North Korea ...	—75

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
684.	कोयला खानों को अधिकार में लेने सम्बन्धी अध्यादेश जारी करने से पूर्व कोयला खानों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियां हटा लेना	Removal of Assets by Coal Mines prior to the issue of Ordinance taking over them ...	—76
685.	निवेली लिग्नाइट निगम में हड़ताल	Strike in Neyveli Liguite Corporation ...	—76
686.	बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या का समाधान	Solution of Bangla Desh Refugees Problem ...	—76
687.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का संशोधन	Amendment of Employees' Provident Funds Act ...	—77
688.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये कुपोषण विरोधी कार्यक्रम	Anti Malnutrition Programme for Bangla Desh Refugees ...	77
689.	पाकिस्तान से विरोध-पत्र	Protest Note from Pakistan ...	—78
690.	भारतीय उप-महाद्वीप की तनावपूर्ण स्थिति कम करने के लिये मध्यस्थता करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का प्रस्ताव	Offer of Mediation of UN Secretary General to ease Tense Situtation on Indian Sub-continent ...	—78
692.	पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी	Refugees from West Pakistan	—78
693.	कपड़ा उद्योग में बोनस सम्बन्धी विवाद	Bonus Dispute in Textile Industry ...	79
694.	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पश्चिम बंगाल में पुनर्वास के सम्बन्ध में निर्माण कार्य पुनर्विलोकन समिति का चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report of the Committee on Review of work of Rehabilitation of Displaced persons from East Pakistan in West Bengal ...	—79
695.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि	Improvement in Production of Durgapur Steel Plant ...	—80
696.	बंगला देश को मान्यता देना	Recognition of Bangla Desh ...	—81
697.	चीन के साथ सम्बन्ध	Relations with China	—81
698.	पाकिस्तानी राजनयिकों का भारत से स्थानातरण	Transfer of Pak. Diplomats from India ...	—81
699.	चीन-भारत सीमा	Sino-India Border ...	—82
700.	गोआ में लौह-अयस्क और खनन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of wage board for Iron Ore and Mining Industry in Goa ...	—83
701.	राज्यों में औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes in States ...	—84

अत०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
702.	कर्मचारियों के कार्य घंटों में कमी करना	Reduction in working hours of workers ...	—84
703.	गुजरात के कपड़ा मिलों में हड़ताल	Strike in textile Mills in Gujarat ...	—85
704.	बिहार में लौहअयस्क और कोयला पर रायल्टी	Royalty on Iron ore and coal in Bihar ...	—85
705.	बिहार में अप्रयुक्त खनिज अयस्कों का उपयोग	Exploitation of unutilised mining ores in Bihar ...	—85
706.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर मे तालाबन्दी	Lock out in Bharat Earthmovers Limited, Bangalore ...	—86
707.	कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना (मैसूर)	Kudremukh Iron Ore Project (Mysore) ...	—86
708.	मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा किया जाना	Deposit of EPF by cloth Mills in Madhya Pradesh ...	—87
709.	बोकारो इस्पात संयंत्र में कच्चे लोहे का उत्पादन	Production of Pig Iron in Bokaro Steel Plant ...	—8
710.	बोनस का नकद भुगतान करना	Bonus payment in Cash ...	—87
711.	बंगला देश के मामले में चीनी रुख में परिवर्तन	Shift in attitude of China over Bangla Desh ...	—88
712.	पाकिस्तान द्वारा भारतीयों की गिरफतारी	Arrest or Indian by Pakistan	—88
713.	कोरिया का एकीकरण	Unification of Korea ...	—88
714.	विदेशों में भारतीय दूतावासों में पाई गई अनियमतताए	Irregularities committed in Indian Embassies Abroad ...	—89
715.	रुमानिया से शंटर रेलवे इंजनो का आयात	Import of Rumanian Shunter Locomotives ...	—89
716.	चीन भारत सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये युगोस्लाविया की पेशकश	Offer of Yugoslavia for normalising Sino India relations ...	—90
717.	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ...	—90
718.	मवूर रेयन कारखाना, कालीकट जिला केरल के कर्मचारियों को जबरन छुटी देना	Laying off workers of Mavur Rayons Factory, Calicut District Kerala ...	—91
719.	देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी	Growing Unemployment in the country ...	—91
720.	संकटग्रस्त उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों के काम के घंटे	Working hours for workers/Employees in Hazardous Undertakings ...	—91

अत०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
721.	दिल्ली में भवन निर्माण के लिये इस्पात की मांग	Steel requirements for construction of Buildings in Delhi ...	—92
722.	छोटे प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को बोनस	Bonus to workers in small Establishments ...	—92
723.	मालिक मजदूर समितियों का गठन	Constitution of works Committees ...	—93
724.	औद्योगिक एककों को बन्द करने के लिये सूचनावधि	Notice Period for closure of Industrial Units ...	—93
725.	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Workers Participation in Management of Public Sector Undertakings ...	—93
726.	बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल	Strike in Textile Mills in Bombay ...	—95
727.	कोकिंग कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने के फलस्वरूप दी गई क्षतिपूर्ति	Compensation paid for taking over of Coke coal Mines ...	—95
728.	बस्तर में छोटे इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of a Mini Steel Plant in Baster ...	—96
729.	री-रोलिंग मिल्स को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Re-rolling Mills ...	—96
730.	री-रोलिंग मिल्स के नये एककों का पंजीकरण	Registration of New Units of Rerolling Mills ...	—97
731.	लोहे की री-रोलिंग मिल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में नीति	Policy regarding registration of Re-Rolling Mills of Iron ...	—97
732.	तकनीकी समिति की सूची में सम्मिलित लोहे की री-रोलिंग मिलें	Re-rolling Mills of Iron listed by Technical Committee ...	—98
733.	पाकिस्तान द्वारा भारत रूस सन्धि की आलोचना	Criticism of Indo Soviet Treaty by Pakistan ...	—99
734.	बोनस फार्मूला पर विचार-विमर्श	Discussion of Bonus Formula	—99
735.	भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा एक गैर-सरकारी फर्म को रद्दी लोहे की बिक्री	Sale of Iron Scrap to Private Firm Bhilai Steel Plant ...	—100
736.	संकट ग्रस्त मिलों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of sick mills	—100
737.	बंगला देश से शरणार्थियों के और आगमन को रोकना	Check on further Migration of Refugees from Bengla Desh ...	—100
738.	कारखानों के बंद होने के कारण राज्यों में बेरोजगार हुए कर्मचारी	Workers unemployed in States due to closurs of Factories ...	—100

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
739.	पोप पाल द्वारा पूर्व बंगाल के विस्थापितों की सहायता के लिए अपील	Appeal by Pope Paul for Relief to Dispalced Persons from East Bengal ...	—101
740.	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभ्यावेदन	Representations regarding Nationalisation of Coal Mines ...	—101
741.	बंगला देश से आये शरणार्थियों की सम्पत्ति का पुनर्वितरण	Redistribution of Properties Refugees from Bengla Desh ...	—101
742.	भारतीय विमान के अपहरण के बारे में भारत-पाक वार्ता	Indo Pak talks on Hijacking of Indian Plane ...	—102
743.	इस्पात उद्योग के लिए अनुसंधान बोर्ड	Research Board for Steel Industry ...	—102
744.	श्रमिकों को शिक्षा देना	Education of Labour ...	—103
745.	देश में बेरोजगार युवक	Unemployed Youtes in the country ...	—103
746.	इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Indonesian Foreign Minister ...	—105
747.	पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में अमरीका को विरोध-पत्र	Protest to USA on Arms Supply to Pakistan ...	—106
748.	विदेशियों द्वारा भारत की यात्रा	Visits of Foreigners to India	—106
749.	रूस-मिश्र संयुक्त विज्ञप्ति	USSR Egypt Communique	—106
750.	शरणार्थियों के लिये विदेशी सहायता	Foreign help for Refugees ...	—106
751.	भारत रूस सन्धि पर विदेशों के विचार	Views of Foeign countries on Indo-Soviet Treaty ...	—107
752.	बंगला देश का राजनीतिक समाधान	Political settlement of Bangla Desh ...	—108
753.	न्यूनतम बोनस	Minimum Bonus ...	—108
754.	बंगला देश के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की टीका-टिप्पणी	Observations of UN Secretary General on Bangla Desh ...	—108
755.	गैर सरकारी क्षेत्र में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plants in Private Sector ...	—109
756.	भारत के प्रति पुर्तगाल के रवैये में परिवर्तन	Shift in Portuguese attitude towards India ...	—109
757.	केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोढ़ केरल में श्रमिकों को कार्मिक संघ अधिकार	Trade Union rights for workers in Central Plantation Crops Reserch Institute Kasaragod, Kerala ...	—110
758.	नई दिल्ली में बंगला देश के मिशन की स्थापना	Opening of Bangla Desh Mission in New Delhi ...	—110

अता०प्र० संख्या U S,Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
759.	संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश का मामला उठाया जाना	Raising of Issue of Bangla Desh in UNO ...	—110
760.	केन्द्रीय भविष्य निधि न्यास बोर्ड द्वारा प्रशासनिक शुल्क में कमी	Reduction of Administration charges by Central Board of Trustees of Provided Fund ...	—111
761.	चीन अधिकृत भारतीय क्षेत्र के प्रश्न को राष्ट्र संघ में उठाने का प्रस्ताव	Propasal to Raise the Question of Occupied Indian Territory by China ...	—112
762.	रेलवे, बैंकों, वायु यातायात उद्योग और कोयला खानों में हड़ताल और तालाबंदी के कारण हुई जन-दिवसों की हानि	Man-days lost due to strikes and lockouts in Railways, Banks Air Transport Industry and coal Mines ...	—112
763.	कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स, मिश्र इस्पात और स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्प के उत्पादन के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences for production of cold Rolled Strips, Allory Steels and Stainless Steel Strips ...	—113
764.	बिना जोड़ वाली ट्यूब्बें बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Seamless Tuble Plant	—113
765.	इस्पात उद्योग में उष्मसह भट्टियों की मांग	Demand for Refractories in Steel Industry ...	—114
766.	भारत और रूस के बीच शिष्टमंडल का आदान प्रदान	Visits Exchanged between India and USSR ...	—114
767.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये ठेके	Contracrs secured by Engineering Projects (India) Limited ...	—114
768.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल	Labour strikes in the Public Sector Steel Plants ...	—115
769.	विदेश मंत्री द्वारा सिंगापुर और जकार्ता की यात्रा	Visit to Singapore and Jakarta by the Minister of External Affair ...	—116
770.	बंगला देश से आये शरणार्थियों के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना	Raising of Bangla Desh Refugees Issue at United Nations ...	—116
771.	कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी में खाली पड़ी भूमि का अप्रयुक्त पड़ा रहना	Unutilisation of vacant land in EPDP Colony, Kalkaji, New Delhi ...	—117
772.	नीमचा कोयला खान का पुनः खोला जाना	Reopening of Nimcha Colliery	—118
773.	कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Employees Provident Fund ...	—118

तां. प्र. संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
774.	श्री लंका में रह रहे भारतीय	Indians in Ceylon ...	—118
775.	भिलाई इस्पात कारखाने में इस्पात का उत्पादन	Steel Production in Bhilai Steel Plant ...	—119
776.	इस्पात और खान मंत्री द्वारा भिलाई इस्पात संयन्त्र का दौरा	Visit of Minister of Steel and Mines to Bhilai Steel Plant ...	—119
777.	भिलाई इस्पात कारखाने में हड़ताल	Strike in Bhilai Steel Plant	—120
778.	भूमिगत नागा नेता श्री फिजो और मिजो विद्रोही नेता श्री लालडांगा की बैठक	Meeting of Underground Naga Leader Shri Phizo and Mizo Rebel Leader Shri Laldanga ...	—120
779.	पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में बंगला देश से और अधिक शरणार्थियों का आगमन	Fresh Influx of Refugees from Bangla Desh to Eastern Border States ...	—121
780.	केन्द्रीय अधिकारियों के दल द्वारा बालात और मैलान में बंगला देश शरणार्थियों के शिविरों का दौरा	Visit by Team of Central Officials to Bangla Desh Refugees Camps at Balat and Mailan ...	—121
781.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन	Reorganisation of Hindustan Steel Limited ...	—122
782.	श्रीलंका द्वारा भारत श्रीलंका करार का उल्लंघन	Violation of Indo Ceylon Agreement by Ceylon ...	—122
783.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये रूस से चिकित्सा सम्बन्धी सहायता	Medical Assistance from USSR for Bangla Desh Refugees ...	—122
784.	चौथी योजना में कोयले का उत्पादन	Production of coal in Fourth Plan...	—122
785.	संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हुए प्रदर्शन में श्री जगजीतसिंह द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Shri Jagjit Singh in a demanstration held before UNO ...	—123
786.	तटस्थ देशों की बैठक	Meeting Non alligned countries ...	—123
88.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालय को हैदराबाद स्थानान्तरित किया जाना	Shifting of head quarters of National Mineral Development Corporation to Hyderabad ...	—123
789.	पाकिस्तानी कर्मचारियों द्वारा पीटे गये पाकिस्तानी चान्सरी के बंगाली कर्मचारी	Bengalies of Pakistan Chancery beater by Pakistan Staff ...	124
790.	हिन्द महासागर सम्मेलन	Indian ocean Conference ...	—124
791.	आन्ध्र प्रदेश में एक लघु इस्पात संयन्त्र की स्थापना	Setting up of a Mini Steel Plant in Andhra Pradesh ...	—124

ता. प्र संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
792.	बंगला देश के विस्थापित व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में बसाना	Rehabilitation of Bangla Desh Displaced persons in Madhya Pradesh ...	125
793.	पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राष्ट्रिक	Indian Nationals in Pakistan Jails ...	125
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	—126-30
	दिल्ली में परिवहन सम्बन्धी समस्याएं	Transport problem in Delhi...	—126-30
	श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	—126-29
	श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	—126-28
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—130-32
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee—	
	दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन	Tenth, Eleventh and Twelfth Reports ...	—132-33
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee—	
	चौदहवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन	Fourteenth and Twenty-first Reports ...	—133
	केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment] Bill—	
	प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report of Select Committe...	—133
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committe	
	पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report ...	—134-35
	अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक-पुर स्थापित	Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill-Introduced ...	—135
	अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re. Forward Contracts (Regulation) Amendment Ordinance ...	—135-36
	जांच आयोग (संशोधन) विधेयक-पुर: -स्थापित	Commissions of Inquiry (Amendment) Bill—Introduced ...	—136
	भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Eleventh Report of the Commissioner for Linguistic Minorities ...	—136-41
	श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	—136-37
	श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	—137
	श्री पी०के० देव	Shri P.K. Deo	—137-38
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	—138
	प्रो० नारायण चन्द पारासर	Prof. Narain Chand Parashar...	—139-39
	श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha ...	—139-41
	मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृत	Staturory Resolution Re: Continuance of President's Proclamation in respect of Mysore adopted ...	—141-52
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	—141-42, 52

श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	—142-43
श्री पी०आर० शिनाय	Shri P.R. Shenoy	—143
श्री ई०आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan ...	—143-44
श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा	Shri T.V. Chandrashekharappa Veerabasappa ...	—144-45
श्री आर०वी० बड़े	Shri R.V. Bade	—145-46
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivapda	—146-47
श्री बी०वी० नायक	Shri B.V. Naik ...	—147-48
श्री एस०ए० मुरुगनन्तम	Shri S.A. Muruganantham ...	—148-49
श्री एस०बी० पाटिल	Shri S.B. Patil	—149-50
श्री सी०के० जाफर शरीफ	Shri C.C. Jaffer Shrief	—150
श्री एस०एम० सिद्दय्या	Shri S.M. Siddayya	—150-51
श्री डी०बी० चन्द्र गौडा	Shri D.B. Chandra Gowda ...	—151
श्री के०के० शेट्टी	Shri K.K. Shetty ...	—151
पश्चिम बंगाल अग्नि शामक सेवा को अत्यावश्यक सेवा बनाने की घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Approval of Declaration of West Bengal Fire Service to be an Essential Service—Adopted ...	—152-54
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	—152-53
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	—153

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 18 नवम्बर, 1971/27 कार्तिक, 1893 (शक)
Thursday, November 18, 1971/ Kartika 27, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उतर
Oral Answers to Questions

केन्द्रीय सरकार द्वारा शरणार्थी शिविरों को अपने अधिकार में लिया जाना

+

*91. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री भागीरथ भंवर
श्री माधुर्य्य हालदार :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल में स्थित 50 शरणार्थी शिविरों को अपने हाथ में लेने वाली है; और

(ख) इन शिविरों में कितने बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और उनको पोषक आहार देने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल के आस पास, नादिया जिले में कल्यानी के आस पास और 24 परगना जिले के बोनगाँव के आस पास के शिविरों को हाथ में लेने का निश्चिय किया गया है।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50 प्रतिशत शिशु और स्कूल जाने की आयु से छोटे बच्चे साधारण या अधिक मात्रा में प्रोटीन केलौरी के कुपोषण की श्रेणियों में आते

हैं। "आपरेशन लाइफ लाइन" नाम की एक योजना हाथ में ली गई है जिसके द्वारा पोषक भोजन केन्द्रों की व्यवस्था की जायगी और जिन मामलों में कुपोषण का अधिक प्रभाव है उनका उपचार क्लीनिकल थैरापी केन्द्रों में किया जायेगा। इस योजना द्वारा लाभ पाने वालों की कुल संख्या लगभग 20 लाख होगी।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : पौष्टिक आहार की कमी से पीडित कितने बच्चे यहां आने के पश्चात् बच सके हैं ? क्या वह कुछ और शरणार्थी कैम्पों को केन्द्रीय प्रशासन के अधीन लाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस उपचार के उपलब्ध होने के पश्चात कितने बच्चे बच सके हैं इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। सूचना प्राप्त होने पर हम उसके आंकड़े बता सकेंगे।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम उन सभी केन्द्रों में जहां बच्चे पौष्टिक आहार की कमी से पीड़ित हैं इस चिकित्सा पद्धति को लागू करने जा रहे हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : और जगह नहीं ? क्या कुछ अन्य श्रेणी के लोगों को भी आप इस पद्धति के आधीन लाना चाहते हैं ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : बच्चों के अलावा हम गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार देते रहे हैं।

Shri Bhagirath Bhanwar : Are the centres that have been taken over by the Central Government manned by the central government employees or the state governments have also any say ?

What is the criterion to determine that such and such children are suffering from mal-nutritian ? Ordinarily how do they come to know that the children need nutritive diet ? What arrangements the government have for the distribution of nutritive diet ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : विशेषज्ञ कैम्पों में जाते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि किन विशेष कैम्पों में कितने बच्चे पोषाहार की कमी के कारण पीड़ित हैं। कुल मिलाकर हम 1000 पोषाहार केन्द्र तथा 500 चिकित्सा केन्द्र खोलना चाहते हैं। चिकित्सा केन्द्रों में अध्ययन किया जाता है और यदि चिकित्सा की आवश्यकता हो तो वह की जाती है और इस प्रमाणीकरण के बाद खाद्य की व्यवस्था की जाती है।

श्री माधुर्य्य हालदार : क्या सरकार को पता है कि विस्थापित कैम्पों में वितरण के लिये जो वस्तुएं दी जाती है वे कलकत्ता के खुले बाजार में बेची जाती हैं और विस्थापितों को खाद्य पदार्थ कम मात्रा में दिये जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह प्रश्न की परिधि से बाहर का विषय है, तब भी मैं उत्तर देने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं परन्तु यह कथन कार्यवाही का वृत्तान्त भाग नहीं होगा.....*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त का भाग नहीं बनाया गया।

* Off the record.

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सभी आरोप निरर्थक हैं, अतएव आपने उन्हें सावधान करके ठीक ही किया ।

Shri B. P. Maurya : What were the reasons for taking over these centres by the central Government ? Is it not a fact that even more serious conditions are prevalent in other camps ? If so, why have those not been taken over ?

श्री आर० के० खाडिलकर : शिवरों को केन्द्रीय अधिकार और प्रबन्ध में लेने के कारण, ये थे कि स्थनीय प्रशासन पर कार्यभार था और वे कैम्प सीमा के निकट थे । ये अधिक कैम्प बंगाल के भीतर और सीमा से दूर हैं । जहां राज्य सरकारों ने निवेदन किया है कि विस्थापितों केआगमन के परिणामस्वरूप अधिक भीड़ के कारण उनके लिये प्रबन्ध करना कठिन हो गया है, उन कैम्पों को भी हमने अपने अधिकार में ले लिया है । इस में अनिवार्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है । हमने उन्हें अधिकार में ले लिया है और उनकी देखभाल कर रहें हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने अप्रैल, मई में 50 विशाल कैम्पों की चर्चा की थी । उनमें से कितने वास्तव में अस्तित्व में आये हैं और किन तिथियों से ? दूसरे, कितने विस्थापित कैम्पों से बाहर रह रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना वक्तव्य में दे दी गई है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जहाँ तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है वहां पर छः कैम्प विद्यमान हैं और उन में 1,11,342 विस्थापित है । अन्य कैम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को पता होना चाहिए हम कैम्प के स्थल का चयनकरते हैं और जब पानी उपलब्ध हो जाता है तब हम शैडों का निर्माण करते हैं । इन सब कार्यों पर समय लगता है । इस बीच पश्चिम बंगाल में वर्षा के कारण कठिनाई उत्पन्न हुई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने विशाल कैम्प विद्यमान हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप कैम्पों के साथ विशाल शब्द जोड़ सकते हैं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं नहीं जानता विशाल कैम्पों से उनका क्या अभिप्राय है । या तो ये राज्य सरकार के प्रबन्धाधीन हैं या फिर·····

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'विशाल' कहा है 'संयुक्त' नहीं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे खेद है । जल की सप्लाई का बहुत महत्व है । हमें कैम्पों को अलग अलग स्थानों पर कायम करना पड़ता है क्योंकि अन्य सुविधाएं भी देनी होती हैं । पानी की सुविधा को बिना विशाल कैम्पों का कोई लाभ नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आपका कार्य है ।

श्री समर गुह : श्री बाल गोविन्द वर्मा ने अन्य सदस्यों के साथ अपने हाल ही के दौरे में अनुभव किया कि विस्थापितों के कैम्पों में कुछ शरारत पूर्ण प्रचार किया जाता है । कुछ राजनीति से प्रेरित ऐजेंटों द्वारा विस्थापितों में यह प्रचार किया जाता है कि विस्थापितों पर व्यय किया जाने वाला सारा धन अन्तराष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिया गया हैं तथा वह धन भी विस्थापितों पर व्यय नहीं किया जाता । यदि मंत्री महोदय का भी यही व्यवहारिक अनुभव है तो क्या

सरकार तुरन्त एक वक्तव्य जारी करके विभिन्न कैम्पों में पुस्तिकाएं बटवाएगी जिसमें बताया जाए कि कितना धन हमें विदेशी स्रोतों से मिला है और कितना भारतीय लोगों का अपना योगदान है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरे सहयोगी पांच संसद सदस्यों के साथ कुछ विस्थापित कैम्पों में सही हालात देखने के लिये गये थे। मुझे बताया गया है कि वे लोग प्रबन्ध से बहुत संतुष्ट है। पर हमने सुना है कि खुले रूप से अथवा गुप्त रूप से भी कुछ केन्द्रों में प्रचार किया जा रहा है। उक्त प्रचार का खण्डन करने के लिए हमने कमांडरों से कह दिया है। उन्हें स्पष्ट कह दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा कितना भार वहन किया जा रहा है।

श्रीमती शीला कौल : एक समाचार छपा था कि पोषाहार के अभाव में 4300 बच्चों की मृत्यु हो गई है क्या यह सच है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : समाचारों में प्रकाशित यह सभी आंकड़े कपोल-कल्पित हैं। जब हमें पता चला कि कहीं-कहीं पोषाहार का अभाव है और उनकी हालत वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए तब तुरन्त ही कार्यवाही की गई। इस बारे में सहायता दे रही अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को क्रियाशील बनाया गया है। मैं यह तो नही कह सकता कि एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। मेरे सहयोगी कुछ और भी बताएंगे।

Shri Balgovind Verma : Recently five members of five different parties went there together with me. We received a complaint from Meghalaya that there was much difficulty. We visited some camps of Meghalaya and Assam. Having seen those camps we were satisfied with the programme of nutritional feeding that was being executed there, and which has achieved results. We also verified that the children residing in villages are weaker than those living in the camps. It is, thus, evident that the programme of nutritional feeding is srtisfactory. There is too much exaggeration in the news regarding deathes of children. We do not rule out the possibility that same childern have died. We do not have the figures that been given here. they have not died due to hunger.

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने कहा कि एक भी बच्चे की पोषाहार के अभाव में मृत्यु नहीं हुई। परन्तु अब उनके उप मंत्री ने बताया है कि कुछ बच्चे मरे हैं बेशक उनकी संख्या बढ़ा-चढ़ा कर बतायी गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा वक्तव्य सही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसे ही पोषाहार के अभाव का पता चला हमने जांच करवाई। मैंने यह नहीं कहा कि एक भी मृत्यु नहीं हुई।

श्री प्रबोध चन्द्र : परन्तु यात्रा तो उनके उपमंत्री ने की है।

अध्यक्ष महोदय : इतने ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

बोनस फार्मूला सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

+

*92. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :**
श्री राजा कुलकर्णी :
श्री रानेन सेन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोनस अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से;

(ग) बोनस फार्मूले में संशोधन करने के लिए विशेषज्ञ समिति कब तक नियुक्त कर दी जायेगी और इसके निर्देश-पद क्या होंगे; और

(घ) केन्द्रीय श्रम मंत्री के सुझाव के अनुसार कितने उद्योगों/नियोजकों ने 5 से 8⅓ प्रतिशत तक का क्रमबद्ध न्यूनतम बोनस देना मान लिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) इस मामले पर हाल ही में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा बहस की गई थी और यह महसूस किया गया था कि अधिनियम में शामिल बोनस योजना की एक समिति द्वारा, जो द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय हो सकती है, पुनरीक्षा की जानी चाहिए। ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : वास्तव में श्रम मंत्री की इस मामले में साहसपूर्ण निर्णय करने के लिये प्रशंसा की गई है। कौन से ऐसे नियोक्ता अथवा व्यापार समूह हैं जो श्रम मंत्री द्वारा सुझाए गए न्यूनतम बोनस फारमूले पर नहीं चलना चाहते। इन लोगों की इस फारमूले से सहमति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) यह फारमूला तदर्थ है और जब तक कि पूरी योजना का पुनर्विलोकन नहीं हो जाता है यह तब तक के लिए एक फैसला है। इसकी कोई वैधानिक स्थिति नहीं है अपितु यह केवल एक सिफारिश है। तब भी मैंने राज्यों के श्रम मंत्रियों को लिखा है कि वे ध्यान में रखें कि उनकी वार्ताओं में इस फारमूले को स्वीकार किया जाए। मुझे पता चला है कि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इस बारे में पहल की है। कुछ राज्यों में नियोक्ताओं ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। कुछ राज्यों में, मुझे शिकायत मिली है, कि इस बारे में बहुत कड़ा रुख अपनाया गया है। यही वर्तमान स्थिति है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के कारखाने जोकि सरकार से अनुदान पा रहे हैं, वे भी इस फारमूले को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं ? यदि ऐसी बात है तो इसका क्या इलाज है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : सरकार का निर्णय यही है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों के लिए जहां तक न्यूनतम एक प्रतिशत का संबन्ध है उन्हें इस फारमूले को स्वीकार करना चाहिए। हमने राज्यों को भी इस बारे में परामर्श दिया है। जहां तक मुझे पता है उनमें से लगभग सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : उन सरकारी क्षेत्रों के कारखानों की क्या स्थिति है जिन्हें सरकार से अनुदान मिलते हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उन्हें भी इसे लागू करने को कहा गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि भारतीय श्रम सम्मेलन में 'इन्टक' समेत सभी श्रमिक संगठन तुरन्त इस बारे में अध्यादेश जारी किये जाने के पक्ष में थे, जिसे बाद में अधिनियम का रूप दिया जा सकता था, कि न्यूनतम बोनस को बढ़ाकर 8⅓ प्रतिशत कर दिया जाये ? यदि ऐसी बात है तो क्या विशेषज्ञ समिति के गठन के प्रस्ताव पर

श्रमिक संघों का समर्थन प्राप्त है ? वे कौन से विशेषज्ञ हैं जिन्हें इसमें लिया जायेगा और इसके निर्देश-पद क्या होंगे ? क्या इसके सीमा-क्षेत्र में विभागों द्वारा चलाए जा रहे कारखानों के कर्मचारी भी आयेंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सच है कि सभी श्रमिक संगठन यह मांग कर रहे थे कि न्यूनतम बोनस को $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये । वे यह भी आग्रह कर रहे थे कि सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाये परन्तु उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार इस उद्देश्य के लिए अध्यादेश जारी नहीं करेगी ।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों

श्री आर० के० खाडिलकर : क्योंकि हमने सोचा कि ऐसे समय पर कुछ तदर्थ फैसला किया जाये और पूरी योजना पर बाद में विचार किया जाये ।

जहाँ तक पुनर्विचार का संबन्ध है सभी श्रमिक संगठन पुनर्विचार करने के लिए एक द्वि-पक्षीय अथवा त्रि-पक्षीय समिति बनाने के लिए सहमत हैं । हम स्वतन्त्र सभापति के अधीन एक समिति की नियुक्ति करेंगे । उसके निर्देश-पदों को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

जहां तक विभागों द्वारा संचालित कारखानों को उसके निर्देश-पदों में लेने अथवा न लेने का प्रश्न है, इस बारे में निर्णय किया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is correct that the representative of Bhartiya Mazdoor Sangh was not invited to the conference held recently ? In the Bonus Act euacted by the Government, it is provided that the industries, whether running in profit or in loss would have to pay a Bonus of 4.1/2—5 percent. But they did not implement it in Government industries. Will the laws to be enacted by the Govetnment be applicable to Governmcnt run industries or not? It is being argued today that primary industries would also have to give it keeping in view would they give an assurance to implement these rules so far as Government run industries are concerned.

श्री आर० के खाड़िलकर : उन संगठनों के प्रतिनिधियों को ही जो कि केन्द्रीय संगठनों के रूप में मान्यता-प्राप्त हैं, सम्मेलन के लिये आमंत्रित किया गया था । इसमें केवल सी० आई० टी० यू० ही एक अपवाद है, किन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए उनके एक प्रतिनिधि को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था । केन्द्रीय संगठनों को सदस्यता का सत्यापन करना होगा । उसके बाद ही कोई निर्णय किया जा सकता है कि क्या उनके द्वारा निर्दिष्ट संगठनों को ऐसे सम्मेलनों में बुलाया जा सकता है अथवा नहीं ।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, विभागीय प्रतिष्ठान अभी बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते । उन्हें उसमें लिया जाये इसका निर्णय नई समिति को करना है और यह मामला निर्देश-पदों में शामिल हो, इसका भी निर्णय अभी किया जाना है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied to I asked .....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दे दिया है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : When Shri Sanjivaiya was a minister even then referring to the Indian Labour Union, he had said that if it fulfils the requirments, recognition will be given. But in to-days' reply, all old things have been repeated.

Mr. Speaker : You must seek my permission before speaking.

Shri Hukan Chand Kachwai : He is giving such a reply deliberately. One Minister gives one reply and the other gives a different one.

Mr. Speaker : It is a wrong practice and do not make it a habit.

Shri Hukam Chand Kachwai : But Mr .Speaker, Sir, former Mintster had said that when the requirments were fulfilled, recognition would be given. But, now even after the fulfilment of all requirments, recognition is not being granted.

Shri Jagannath Rao Joshi : Even after fulfilment of all requirements, why recognition is not being granted.

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बार-बार ऐसा ही करते रहे तो कुछ भी कार्रवाही वृतान्त में नहीं जायेगी ।

श्री दामोदर पांडेय : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों ने इस फारमूले को स्वीकार कर लिया है और वे इसे क्रियान्वित कर रहे हैं । क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हिन्दुस्तान स्टील और बोकारो स्टील ने इस फारमूले को सैद्धांतिक रूप से भी स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने अपने श्रमिकों को केवल 4 प्रतिशत की दर से ही भुगतान किया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किस संस्था विशेष ने इसे स्वीकार किया है और किसने स्वीकार नहीं किया । मैंने यही कहा है कि हमने इसकी सिफारिश कर दी है और एक प्रतिशत तो अतिरिक्त है । उन्हें इसके लिए तैयार करना पड़ेगा और आपातकालीन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उन्हें इसकी तुरन्त मांग के लिए दबाव नहीं डालना चाहिये । मैं समझता हूं कि उन्होंने गणना कर रखी होगी । हो सकता है उन्होंने उन्हें भुगतान नहीं किया हो ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने समिति के जो निर्देश-पद निर्धारित करने का सुझाव दिया है, उसी के सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बोनस के भुगतान के लिए सम्पूर्ण उपलब्ध फालतू की गणना की पद्धति का पुनर्विलोकन किया जायेगा या केवल अव्यवस्थित ढंग से ही यह कार्य किया जायेगा ?

श्री आर० के खाडिलकर : जब हम सम्पूर्ण बोनस योजना के पुनर्विलोकन के लिए समिति की स्थापना कर रहे हैं तो वह इसके निर्देश-पद निर्धारित करने के साथ-साथ इन सभी मामलों पर भी विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे मे हमने केवल दो ही प्रश्न निबटाये हैं । अब दो या तीन से अधिक सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी । ऐसा करने से अन्य प्रश्नों वाले सदस्यों को अवसर नहीं मिल पाता ।

राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

+

*93. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1971 में विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में मिल-मालिकों को तालाबन्दी करने से रोकने और इन तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप होने वाली श्रमिकों की बेरोजगारी को रोकने के लिए ठोस उपायों पर विचार किया गया था; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बदली हुई राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के हित में नये उपाय करने के लिए क्या निर्णय किये गये; और

(घ) क्या सभी राज्यों के प्रतिनिधि उन उपायों पर सहमत थे और यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो सहमत नहीं थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन ने कामबंदियों, न कि तालाबंदियों, से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया । राज्यों के प्रतिनिधियों के बहुमत ने कामबंदियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून का समर्थन किया ।

(ग) और (घ) सम्मेलन ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की कुछ सिफारिशों और उपदान के सम्बन्ध में केन्द्रीय विधान जैसे कुछ अन्य उपायों पर विचार किया । परन्तु परिवर्तित राजनीतिक स्थिति की पूर्ति के लिए किन्हीं विशिष्ट उपायों पर विचार-विमर्श नहीं किया गया ।

Shri K. M. Madhukar : Mr. Speaker, Sir, It is correct that after the conference of Labour Minister, a little effort has been made to curb the growing tendency of mill-owners to declare lockouts. An Ordinance was issued for the purpose. But is it a fact that big mill-owners are pressuring the Government that even if the Ordnance is issued it should not be implemented as is done in the case of several other laws ? Was any legislation related to gratuity for the whole country was also discussed at the Labour Mihister's Conference? Do the Government propose to bring forward such an ordinance or law and if so, when ?

श्री आर० के० खाडिलकर : वास्तव में सम्मेलन बहुमत को दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण देश के लिए उपदान की व्यवस्था करने हेतु विधान ला रहे हैं और 60 दिन की सूचना वाला इसी प्रकार का एक अन्य विधान भी बनाया जायेगा । यह दोनों ही बातें इस समय पश्चिम बंगाल पर भी लागू हैं । इन मामलों के बारे में हमारा विचार सम्पूर्ण भारत पर लागू होने वाला विधान बनाने का है ।

Shri K. M. Madhukar : I would like to know that after the implementation of Ordinance, will the Government yield to the pressure of mill-owners ? If has been the policy of the Government to yield before the big monopolists. Even today the Government is being pressurized and a difficulty is coming in the way of implementation of this law.

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्यों ने अन्तर सत्रावधि में अध्यादेश जारी करने पर आपत्ति उठाई है और आपने भी इसके बारे में सरकार को खबरदार किया था । जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय अध्यादेश जारी करना बहुत कठिन होता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्रमिकों के संघर्ष और मजदूरों की अशांति के कारण होने वाले बंधों के अनुपात में कच्चे माल विशेषतया इस्पात, कार्य पूंजी, विप्पणन सुविधाओं, मालिकों के झगड़ों आदि के कारण कितने बंध हुये ? क्या आपके पास

इसके आंकड़े हैं ? यदि नहीं, तो क्या आप इस का सर्वेक्षण करेंगे और यदि हां, तो आपका विचार इसे कितनी जल्दी करने का है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह एक महत्पूर्ण प्रश्न है। परन्तु मुझे खेद है कि मैं इस के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि केवल श्रमिक विवादों के कारण ही विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में इतने अधिक बंध हुये हैं। परन्तु अन्य कारणों के साथ साथ, बंगाल का सामान्य वातावरण भी इसके लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप को कोई सूचना नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब आप कह रहे हैं कि आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है तो फिर आप को इस प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिये। आप पहले मामले का अध्ययन कीजिये और फिर कुछ कहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री ने एक ओर तो कहा कि उन्हें इस की कोई जानकारी नहीं है और दूसरी ओर तुरन्त उन्होंने यह कह दिया कि बंगाल का सामान्य वातावरण औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं है। यह दोनों बातें कैसे समझी जायें ? आप ही इसका उत्तर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इससे क्या समझते हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं इसे स्पष्ट कर दूं। माननाय सदस्य यह जानना चाहते थे कि बंगाल से जो इतने बंध हुये हैं, उनका कारण क्या है और क्या श्रमिक अशान्ति उसका एक कारण है। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। श्रमिक अशान्ति इसके प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अन्य कारणों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु एक बात बिल्कुल सही है कि बंगाल में आजकल जो असामान्य वातावरण है उसी के फलस्वरूप ही यह बंध हुये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पश्चिम बंगाल का तो उल्लेख ही नहीं किया है। मैंने तो केवल श्री खाडिलकर के आँकड़ों की बात की है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं प्रश्न के खण्ड (ग) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि देश में परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में ही श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए नये तरीके अपनाने के निर्णय किये गये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ श्रम मंत्रियों ने, विशेषतया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के श्रम मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि उद्योगों के प्रबन्ध कार्यों में श्रमिकों को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से भाग लेने की व्यवस्था होनी चाहिए ? इसके बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सभी उद्योगों में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को क्रियान्वित करने की सम्भावना है ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : कम से कम सरकारी क्षेत्र में तो ऐसा होना ही चाहिए।

श्री आर०के० खाडिलकर : मैं पहले भी यह बात कह चुका हूँ और अब इसे दुहरा देता हूं कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के प्रबन्ध कार्यों में श्रमिकों के भाग लेने के लिए हम योजनायें

आरम्भ कर रहे हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुभव यह बताता है कि मजदूर संघ नेता इस प्रकार के प्रस्तावों के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही हमारा अनुभव है।

श्री एस०एम० बनर्जी : मेरी समझ में नहीं आ रहा कि श्रमिक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे ?

श्री आर०के० खाडिलकर : मजदूर संघ नेता,

श्री एस०एम० बनर्जी : हम मजदूर संघ नेता तो इसे चाहते हैं :

श्री आर०के० खाडिलकर : मैं इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण नहीं देना चाहता। हमारा अनुभव यह बताता है कि मजदूर संघों के ऐसे लोगों को मनोनीत करने के कई प्रस्ताव हैं जिन्हें कि प्रतिनिधि मजदूर संघों का बहुमत प्राप्त हो परन्तु वह लोग मनोनीत करने में संकोच करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल निदेशकों के लिए।

श्री आर०के० खाडिलकर : अन्य स्तरों पर भी वह संकोच करते हैं परन्तु यह भी ठीक है है कि कुछ मामलों में, भाग लेने के सम्बन्ध में उन्होंने सहयोग दिया है।

श्री एस०बी गिरी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि मिल मालिक अपनी मर्जी के अनुसार तालाबंदी न कर सकें क्या इसके बारे में कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के पास हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस समय तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु जहां तक संभव होता है हम उन्हें सलाह दे देते हैं। उन्हें तालाबन्दी नहीं करनी चाहिये या किसी बहाने से अध्यादेश की पकड़ से बचने के लिए किसी कानून की क्रियान्विति को नहीं टालना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं कि कितने कारखाने बंद हुये हैं। मैं बंद कारखानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या उनके आंकड़ों में यह सूचना है कि सम्पूर्ण भारत में कितने कारखाने बंद कर दिये गये हैं। और जब से यह अध्यादेश जारी किया गया है तब से सरकार ने कितने कारखानों को अपने अधिकार में लिया है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : पहले प्रश्न से सम्बद्ध जानकारी एकत्रित की जा रही है। बंगाल के बारे में हमें यही जानकारी थी कि वहां 400 से अधिक कारखाने बंद कर दिये गये हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ कारखाने बंद कर दिये गये थे। हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि अध्यादेश जारी करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा एककों को पुनः चालू कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है कि यह कार्य तो अभी आरम्भ हुआ है और अभी हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि कितने कारखानों को पुनः खोला जा चुका है।

चीन की विदेश नीति में परिवर्तन

+

***94 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**

श्री सरजू पांडे :

श्री विजयपाल सिंह

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन की विदेश नीति में विशेषकर भारत के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुभव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां। विदेशों के साथ अपने संबंध सामान्य करने के लक्ष्य नजर आए हैं, जिनमें भारत के साथ संबंध भी सम्मिलित है।

(ख) भारत सरकार इस प्रवृत्ति का स्वागत करती है और दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का प्रयत्न कर रही है।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं (व्यवधान) श्रीमान जी समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, you give two chances to some Members while you deprive some others even of single chance to speak. It is not fair. Atleast one chance must be given to one Members. You must do justice.

Mr. Speaker : Mr. Banerji is speaking on behalf on your party.

Shri Ramavatar Shastri : There is no question of party. I also want to speak. At least one chance must be given to each Member,.....(Interruptions)

Mr. Speaker : How to teach you. If the Members start directing the Speaker, how the business of the House can be conducted ?.....(Interruptions) It is democracy.

Shri Ramavatar Shastri : Democracy means that you must do justice to us..... (Interruptions)

Mr. Speaker : You cannot continue with that much noise.

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, I am not making a noise. I am simply getting up to ask a question because I am also a representative of workers.

Mr. Speaker : Please sit down and do not make a noise like that.

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री ने बताया कि अभी कुछ सप्ताह पूर्व चीन के प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री के साथ जो शुभ कामनाओं का आदान-प्रदान किया, हम उसका स्वागत करते हैं। चीन और भारत के सम्बन्धों में जो सुधार हुआ है उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गत कुछ महीनों से भारत और चीन के मध्य पूर्ण राजनायिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में दोनों देशों के मध्य निरन्तर बातचीत हो रही थी, परन्तु यह बातचीत खुले तौर पर नहीं हो रही थी। चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने तथा विश्व की बढ़ती हुई परिस्थितियों के कारण इस बातचीत का महत्व और भी बढ़ गया है। क्योंकि इस प्रकार की बातचीत गत कई महीनों से चल रही है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई निष्कर्ष निकला है और पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध, जैसे कि चीन और भारत में राजदूतों का आदान-प्रदान तथा अन्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और उसके बाद व्यापारिक सम्बन्ध आदि तक पुनः स्थापित हो जायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के स्थान पर राजदूत के स्तर का सम्बन्ध-स्थापित करने के बारे में दोनों देशों में कोई विशेष बातचीत नहीं हुई है। दोनों देशों का राजधानियों में मिशन पहले ही हैं और फिर उनके स्तर को ऊंचा करने का मामला तो ऐसा

मामला है जिसके बारे में कोई भी सरकार बिना किसी प्रकार की औपचारिक बातचीत के ही निर्णय कर सकती है। जहां तक अन्य दो मामलों का प्रश्न है, इस समय हमारी टेबल टेनिस टीम पीकिंग के दौरे पर गई हुई है। व्यापार के भी कुछ अवसर दिखाई दे रहे हैं। हम कैंटन के व्यापारिक मेले में भाग लेने की सम्भावना पर भी विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यह आशा भी कर रहे हैं कि चीन एशियाई व्यापारिक मेले में भी भाग लेगा जिसका आयोजन अगले वर्ष दिल्ली में ही किया जा रहा है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री ने प्रश्न के पहले भाग का पूरा उत्तर नहीं दिया। मैंने यह पूछा था कि क्या पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित किये जायेंगे ? उन्होंने इस पर प्रकाश नहीं डाला है। मैं समझता हूं कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मंत्री महोदय इस प्रश्न पर भी रोशनी डालेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हाल ही में भारत और चीन के सम्बन्धों में जो सुधार हुआ है, उसे दृष्टिगत रखते हुये क्या हमारे प्रधानमंत्री को या चीन सरकार को बंगला देश की समस्या के बारे में जो पत्र लिखा था, क्या उस सम्बन्ध में पीकिंग स्थित हमारे राजनयिकों या संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों ने चीन के दृष्टिकोण का नये सिरे से पता लगाने का कोई प्रयास किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रथम प्रश्न के बारे में तो यह बात कई बार कही जा चुकी है कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के दर्जे को राजदूत के स्तर तक बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय करने की कोई बात नहीं है। हम अपना राजदूत वहां भेज सकते हैं और वह अपना राजदूत हमारे देश में भेज सकते हैं और ऐसा करने की आज बहुत संभावना है यद्यपि कुछ महीने पूर्व मैं ऐसी बात नहीं कह सकता था।

जहां तक बंगला देश की स्थिति और उस समस्या के महत्व के बारे में पीकिंग को समझाने का प्रश्न है, यह कार्य पीकिंग स्थित हमारे मिशन के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है और इसके साथ ही दिल्ली स्थित चीनी मिशन के अध्यक्ष के साथ सम्पर्क स्थापित करके भी बंगला देश की समस्या का पूर्ण ब्यौरा उन्हें दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि न्यूयार्क में भी ऐसा कार्य करने का अवसर है। उस पर भी हम विचार कर रहे हैं तथा हम न्यूयार्क में उनके प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाये रहेंगे जिससे उन्हें बंगला देश की समस्या से अवगत कराये जाये।

Shri Sarjoo Pandey : In view of the statement made by the Hon. Minister just now that certain factors show that China has revised her international policy, I want to know whether China will help them to some extent so far as the Bangla Desh problem is concerned ?

श्री स्वर्णसिंह : मैं इस बात का पुनः उल्लेख करना कतई आवश्यक नहीं समझता कि बंगला देश में स्वतन्त्रता सेनानियों और सैनिक प्रशासकों के बीच युद्ध हो रहा है। इस सम्बन्ध में चीन के नेताओं ने कुछ रवैया अख्तियार किया है। माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता कि चीन सरकार का इस विषय में क्या रवैया होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है तब क्या रुख होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रधान मन्त्री महोदय ने अपने हाल के विदेशी दौरे के दौरान चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित किए जाने के लिए फ्रांस सरकार से यह सहायता मांगी कि वह

अपने प्रभाव का उपयोग करें। चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित किये जाने की आतुरता में क्या सरकार ने किसी अन्य देश से भी सहायता माँगी है ? दूसरे, प्रधान मन्त्री ने अपने दौरे के समय यह भी कहा था कि मैं चीन के साथ अक्साई चीन के मामले पर भी विचार-विमर्श करने को तैयार हूं। चीन के साथ अक्साई चीन के मामले में विचार-विमर्श किए जाने के प्रस्ताव से वास्तव में सरकार क्या चाहती है ?

श्री स्वर्णसिंह : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह कहना सच नहीं है कि प्रधानमन्त्री ने फ्रांस की सरकार से चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित कराने के लिए उनको प्रभाव का उपभोग करने के लिए आग्रह किया था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह समाचार सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

श्री स्वर्णसिंह : इससे मुझे स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिला है। समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित होता है वह सभी सच नहीं होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब इस बात का उसी समय खण्डन किया जाना चाहिये था।

श्री स्वर्णसिंह : इसका खण्डन करने के लिए यह अवसर भी उचित है। मैंने कहा है कि यह बात सच नहीं है कि हमने फ्रांस सरकार से यह निवेदन किया है कि भारत और चीन के सम्बन्धों को सामान्य करने के लिए वह अपने प्रभाव का उपयोग करे। चीन और भारत दोनों ही देशों के अपने मिशन हैं तथा दोनों के पारस्परिक राजनयिक सम्बन्ध हैं। यह स्थिति ऐसी नहीं है कि चीन के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए किसी अन्य देश से कहा जाये कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करे। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारा चीन के साथ सीधा सम्पर्क है तथा हम परस्पर बात चीत कर सकते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रधान मन्त्री ने यह कहा था कि हम सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। प्रधान मन्त्री बनने के पश्चात यह उनका पहला नीतिगत वक्तव्य था।

श्री स्वर्ण सिंह : सम्बन्धों को सामान्य बनाने की ओर पहला चरण प्रतिनिधित्व के स्तर को ऊंचा करना होता है तथा उसके पश्चात व्यापार सम्बन्ध स्थापित करना और उसके पश्चात् सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना। यह सभी सम्बन्ध दोनों देशों के बीच विद्यमान हैं। माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न उठाया तब उनके मन में क्या बात थी, मुझको उसका पता नहीं है।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि प्रधान मंत्री ने अक्साई चीन के मामले पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव किया है। इस विषय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहाँ तक मैं जानता हूं यह सच है कि किसी ने प्रधान मंत्री से यह प्रश्न किया था कि क्या आप चीन के साथ सीमा सम्बन्धी प्रश्न के अतिरिक्त, सामान्य संबंध स्थापित करने को तैयार है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि हां मैं सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर की विचार-विमर्श किया जा सकता है। हमें इस संदर्भ में इस बात को समझना चाहिये। केवल एक वाक्य को संदर्भ में पृथक करके पढ़ना उचित नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अक्साई चीन के बारे में विशेष उल्लेख किया गया था।

श्री त्रिदिव चौधरी : चीन के साथ हमारे सम्बन्धो को सामान्य करने तथा उनमें सुधार करने के लिए सरकार के वर्तमान प्रयासों को ध्यान में रखते हुए तथा इस विषय में चीनी सरकार द्वारा अनुकूल रवैया अपनाये जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की यह नीति नहीं होनी चाहिए कि चीन के इस रवैये का गलत अर्थ न लगाया जाये ? इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि यहां हुयी एशियन एण्ड पैसफिक कॉन्ट्रेक्टर्स कांफ्रेन्स में तायवान के प्रतिनिधि मंडल को आने की अनुमति क्यों दी गई ? हाँगकाँग स्थित हमारे मिशन ने वास्तव में उन्हें वीजा देने से इन्कार कर दिया था किन्तु दूसरे ही दिन एक विदेशी ने, जो तायवान का ही नागरिक हैं, बैंगकांक जाकर वीजा प्राप्त कर लिया। इन दो मिशनों ने परस्पर विरोधी रवैया क्यों अख्तियार किया ? यह व्यक्ति बहुत ही सुवज्ञ ज्ञात होता है। जब हांगकांक स्थित मिशन ने वीजा देने से इन्कार कर दिया तो सम्भवत: उसने वैंगकांक मे स्थित हमारे मिशन पर अपना प्रभाव डाला तथा उसे तुरन्त ही वहां से वीजा प्राप्त हो गया। क्या यह कार्य विदेश मंत्रालय के परामर्श से किया गया था और यदि नहीं तो उसे वीजा किस प्रकार दिया गया तथा इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि तायवान के प्रति किसी भी मित्रभाव के सम्बन्ध में चीनी नेता कितने जागरूक है ? जब हमारी सरकार तायवान को मान्यता नहीं देती तो तायवान के इस प्रतिनिधि मंडल को राजधानी में आने की अनुमति क्यों दी गई तथा 15 तारीख से यह सम्मेलन क्यों आरम्भ किया गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन की सरकार को स्पष्ट रूप से विदित है कि तायवान के प्रति हमारा क्या रवैया है। हमने तायवान को कभी भी मान्यता नहीं दी तथा हम दो-चीन सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते। हम यही मानते हैं कि चीन एक ही है तथा वहाँ की विधिवत बनी सरकार ही जनवादी जनतंत्र चीन की सरकार है। हमारी स्थिति इस सम्बन्ध में स्पष्ट है।

हम किसी भी देश के बारे में गलत धारणायें नहीं बनाते तथा हमारे द्वारा की गई किसी कार्यवाही का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। हमें किसी भी देश के प्रति दोषपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये।

जहां तक तायवान के कुछ लोगों को वीजा दिए जाने का प्रश्न है मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस मामले से संतुष्ट नहीं हूँ। हुआ यह कि इन व्यक्तियों ने हांगकांक स्थित हमारे मिशन में वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया तथा यह कहा कि हम भारत में होने वाले सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं। हमने यह स्थाई आदेश दिये हुए हैं कि तायवान के किसी भी प्रतिनिधि को सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीजा नहीं दिया जाये। इसी आधार पर हाँगकाँग स्थिति हमारे मिशन ने उन्हे वीजा देने से इकार कर दिया।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्यटकों को वीजा दिये जाने के बारे में हम अधिक कठोर नहीं रहे। पहले पर्यटकों के लिये भी वीजा जारी किये जाने का कार्य दिल्ली से ही नियंत्रित किया जाता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अमरीकी दवाब।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूँ कि वह दबाव में ही विश्वास रखते हैं क्योंकि उन पर दबाव डाला गया है। हम किसी के भी दबाव में नहीं आते। बसु जी आप निश्चित रहिये। जहां तक पर्यटक-वीजा दिये जाने के अधिकार का प्रश्न है हमने यह कार्य विदेश स्थित अपने कुछ मिशनों को सौंप दिया है जिनमें बैंगकाक स्थित मिशन भी है। अत: इस दल ने बैंगकाक स्थित मिशन में

आवेदन पत्र दिया तथा उन्हें बताया कि हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में नहीं वरन् पर्यटकों के रूप में जा रहे हैं। वहां के मिशन ने आदेशानुसार वीजा जारी कर दिया तथापि मुझे इस घटना से असन्तोष है तथा हम मिशनों के दिये गये आदेशों को पुनरीक्षित कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय यह भी बतायें कि अब स्थिति क्या है। क्या प्रतिनिधि मण्डल यहां पहुंच गया है अथवा नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय वे यहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पर्यटकों के रूप में रहेंगे अथवा सम्मेलन में भाग लेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे देश में स्वतन्त्रता है और यदि कोई हमारे देश में एक बार आ जाता है तो उनकी वास्तविक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना कठिन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वे सम्मेलन में भाग लेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे नहीं पता। यह सम्मेलन गैर-सरकारी है। यह कार्य सम्मेलन बुलाने वाले व्यक्तियों का है कि वे उन्हें उसमें भाग लेने दें अथवा न लेने दें।

श्री त्रिदिव चौधरी : यह मामला बहुत गम्भीर हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या चीन ने भारत-चीन के मध्य सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा प्रकट की है और यदि नहीं, तो क्या इस विवाद को सदा के लिए उलझा ही रहने दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप वीजा के प्रश्न को छोड़कर सीमा विवाद तक चले गए।

श्री पी० के० देव : संयुक्त राष्ट्र में चीनी प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री कुआन हुआ ने अपने पहले भाषण में विश्व में उत्पन्न राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया किन्तु उस भाषण की विशेषता यह है कि उसमें भारतीय उप-महाद्वीप में उत्पन्न स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। आप अपना प्रश्न रखिये।

श्री पी० के० देव : विदेश मंत्री के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि बंगला देश के सम्बन्ध में जनवादी जनतन्त्र चीन का एक निश्चित दृष्टिकोण है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका दृष्टिकोण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप चीन के साथ सम्बन्धों के सुधार के बारे में प्रश्न कीजिये बंगला देश के बारे में नहीं।

श्री पी० के० देव : उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न स्थिति का कतई उल्लेख नहीं किया। इसके उपरांत भी माननीय मंत्री कहते हैं कि चीन का एक निश्चित दृष्टिकोण है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि बंगला देश के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है ?

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं तथापि मैंने इसे पूछने की अनुमति देदी है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से इस बात की शिकायत पाकिस्तान को होनी चाहिए कि बंगला देश की समस्या पर उन्होने कुछ क्यों नहीं कहा; हमें नहीं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : I want to put an important question. I may kindly be given an opportunity **(Interruptions)**

Mr. Speaker : No body would get time now. The question hour is over now.

श्री ज्योतिर्मय बसु आपने मेरा नाम पुकारा था ।

Mr. Speaker : I swear I have not seen this anywhere else. This is the only Parliament where you do it.

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, I do not stand very often, I was on my legs because I wanted to put an important question on it. But you did not oblige me. You never allow us to put those questions in which we are very much interested.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय के वक्तव्य से उत्पन्न आशंका के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि तायवान के प्रतिनिधि मंडल को भारत में बिना वैध पारपत्र के घुसने दिया था और यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वर्ण सिंह : किसी भी व्यक्ति को बिना पारपत्र अथवा बिना वैध दस्तावेजों के कैसे प्रवेश पाने की अनुमति दी जा सकती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके पास कैसा पारपत्र है ? आप तायवान के पारपत्र को तो मान्यता नहीं देते । अतः आपने इन लोगों को बिना वैध पारपत्र लिये भारत में प्रवेश करने के लिए कैसे अनुमति दे दी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें सप्लाई कर दूंगा । कोई व्यक्ति पारपत्र भी लेकर आ सकता है, वह परिचय पत्र लेकर भी आ सकता है । तथा अन्य यात्रा सम्बन्धी दस्तावेजों के आधार पर भी वह यहां आ सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उनके पास परिचय पत्र थे ? उनके पास क्या दस्तावेज थे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या अमरीका ने यह दबाव नहीं डाला था कि उन्हें बिना पारपत्र के भारत में प्रवेश करने दिया जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात का खण्डन करता हूँ । हम पर अमरीका का कोई दबाव नहीं था । यह माननीय सदस्य का दुराग्रह है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके पास कोई पारपत्र नहीं है तथा उनके पारपत्र वैध नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात किसी तरफ से नहीं सुनी जाती ।

श्री स्वर्ण सिंह : पीकिंग के साथ सम्बन्ध सुधारने के हमारे प्रयत्नों को तायवान समझ सकता है किंतु श्री बसु नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय पर यह आरोप लगाता हूँ कि इन्होंने इन व्यक्तियों को बिना वैध पारपत्र के आने की अनुमति दी है । इनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है ।

श्री आर० वी० साम्बिनाथन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदस्य गण बिना प्रश्न पूछे बात चीत कर रहे हैं तथा अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं तथा अभी तक केवल तीन-चार प्रश्न ही समाप्त हुए हैं। अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं मिलता। कुछ सदस्यों को दस मिनट तक प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया है। वे प्रश्नों की बजाय भाषण देते हैं तथा इसकी भी अनुमति दे दी जाती है। अतः मेरा निवेदन है कि आप कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कम से कम 10-15 प्रश्न समाप्त कर लिए जायें प्रश्न छोटे होने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : आप वही कह रहे हैं जो मैं निवेदन कर चुका हूँ। यह सदन वस्तुतः प्रभुता सम्पन्न है तथा मैं यहां आपका सेवक हूँ। आपने मुझे यहां कार्यवाही चलाने के लिए अध्यक्ष बनाया है। जब से यह संसद बनी है मैं यहां विवशता का आभास कर रहा हूँ क्यों कि शोर मचा कर यहां तक दूसरे का मुंह बन्द करना चाहते हैं। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। इस प्रकार संसद नहीं चल सकती। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि सभा की कार्यवाही को विधिवत चलाने दिया जाये। जब मैं सदस्यों से अपना भाषण समाप्त करने को कहता हूँ तो मेरा कहना नहीं माना जाता। आखिरकार मेरी भी सीमाएं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलों में भारत विरोधी प्रचार

***95. श्री डी० वी० चन्द्र गौड़ा :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को प्रतिदिन आधे घण्टे के लिए भारत विरोधी पाठ पढ़ाये जाते हैं; और

(ख) क्या इस संबंध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) हमारे पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री लंका से प्रात्यावर्तन करने वाले व्यक्ति

***96. श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1971 में श्रीलंका से कुल कितने व्यक्तियों का भारत में प्रत्यावर्तन हुआ और नवम्बर, 1971 में कितने व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार को इन शिकायतों के बारे में जानकारी है कि इन प्रत्यावर्तन करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त परिवहन सुविधायें नहीं दी गई है; और

(ग) प्रत्यावर्तन करने वाले व्यक्तियों को भारत में पुनः बसाने के लिए क्या क्या सुविधायें दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अक्तूबर, 1971 के महीने में 5989 व्यक्ति आए थे। वर्षा काल के कारण 30 अक्तूबर 1971 से जनवरी, 1972 के प्रथम सप्ताह तक फेरी सेवाओं के स्थगित कर दिए जाने के फलस्वरूप नवम्बर में प्रत्यावर्तन की कोई आशा नहीं है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1035/71]

श्री लंका में भारतीय मुद्रा का बरामद होना

***97. श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका पुलिस ने करोड़ों रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह श्री लंका में बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी मुद्रा बरामद की गई ;

(ग) क्या श्री लंका सरकार ने भारत सरकार से मुद्रा को स्वीकार करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : श्री लंका की पुलिस को 6,56,300 रुपये के भारतीय मुद्रा के जाली नोट मिले हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अधिक कोयला खानों को सरकार के नियंत्रणाधीन किया जाना

***98. श्री शशि भूषण :**

श्री एम० एम० बनर्जी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक कोयला खानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का है जिनमें उत्पादित कोयला देश की आम जनता द्वारा ईंधन के काम में लाया जाता है; और

(ख) सरकार का इन खानों को अपने हाथ में कब तक लेने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० मोहन कुमार मंगलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

आसनसोल स्थित साऊथ परसिया कोयला खान का बन्द किया जाना

*99. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 सितम्बर, 1971 को साऊथ परसिया कोयला खान, आसनसोल प्रबन्धकों द्वारा खान को बन्द करने के बारे में श्रमिकों को दिये गये 60 दिन के नोटिस की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को श्रमिकों से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा खान को बन्द होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) लगभग 165 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित हिन्दी में हाथ का लिखा हुआ एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें कामबन्दी रोकने के मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई थी । सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रानीगंज ने इस मामले में मध्यस्थता की और काम-बन्दी का नोटिस 5 नवम्बर, 1971 को वापस ले लिया गया ।

बंगला देश से शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आगमन

*100. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1971 तक बंगला देश से कुल कितने शरणार्थी आये और इस समय प्रति दिन कितने शरणार्थी भारत आ रहे हैं; और उनकी सम्प्रदाय-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) अब तक इन शरणार्थियों पर प्रतिदिन कितना व्यय होता है, और अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और चालू वर्ष के दौरान कितना व्यय और होने का अनुमान है;

(ग) इन शरणार्थियों को कितना राशन अथवा खैराती अनुदान (डोल) दिया जाता है;

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान की गयी है और नियमित रूप से उनकी भोजन, कपड़ा तथा दवाइयों की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) उनमें से बीमारियों अथवा अन्य कारणों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है (विवरण 1) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1036/71]। शरणार्थियों के सम्प्रदाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) अब तक किये गये कुल खर्च के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों से नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत खर्च लगभग 3 रुपये हैं। राशन के निर्धारित पैमानों और अन्य सेवाओं और सुविधाओं के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 525 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है।

(ग) एक विवरण (विवरण II) सभा की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1036/71]।

(घ) यद्यपि शिविरों में आश्रय चाहने वाले सभी शरणार्थियों को भारत आने पर उनके निरन्तर भारी संख्या में आने के कारण तत्काल आश्रय प्रदान करना संभव नहीं हो पाया है, फिर भी लगभग 60 लाख शरणार्थियों को या तो बाशाओं (झोंपड़ियों) में या तम्बुओं, त्रिपालों या यू० एन० फोकल बिन्तु द्वारा प्राप्त की गई प्लास्टिक शीटों के नीचे या अन्य प्रकार से आश्रय स्थान की व्यवस्था कर दी गई है। जिन्हें अभी तक आश्रय स्थान नहीं दिया जा सका है और जो अभी आ रहे उन्हें हैं आश्रय स्थान प्रदान करने के प्रयत्न जारी हैं। शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नियमित खाद्य सामग्री दिए जाने और दवाइयों की आवश्यक व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। कपड़े, ऊनी स्वेटरों और कम्बलों की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है।

(ङ) एक विवरण जिसमें बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। (विवरण III) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1036/71]। वृद्धावस्था और अन्य सामान्य कारणों के फलस्वरूप हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते।

बीड़ी-सिगार अधिनियम

*101. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी-सिगार अधिनियम की कुछ धाराओं को केरल उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां। 1968 की मूल याचिका संख्या 3022 तथा अन्य याचिकाओं को निपटाते समय, केरल के उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश के तारीख 25 जून, 1971 के निर्णय में बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारायें 2 (छ) (ख) और 2 (ड) अवैध घोषित कर दी हैं और उसने निवेश दिया है कि धारा 2 (छ) (4) में "अन्य श्रमिकों से सम्बद्ध" शब्द निकाल दिये जायेंगे। उच्च न्यायालय ने आगे घोषित किया है कि अधिनियम की धारायें 21(3), 26 और 27 घर पर काम करने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होतीं। अवमानक बीड़ियां अस्वीकार करने के लिए

अधिकतम सीमायें निर्धारित करने वाला केवल बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) नियमावली, 1968 का नियम 29 भी अवैध घोषित कर दिया गया है।

(ख) उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष एक अपील दायर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

Grant of Passport to Dr. Jagjit Singh an Akali Leader

1(2. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri M. C. Daga :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which Dr. Jagjit Singh, Akali leader of Punjab was issued a passport to visit foreign countries and the names of the countries for which the said passport was issued;

(b) whether during his visit to foreign countries for enlisting support for the establishment of Sikhistan in India he had made several anti-national statements in the month of September; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to cancel his passport ?

Th Dy. Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Dr. Jagjlt Singh was issued passport No. I 770264 on the 30th August, 1969, at Delhi, for all countries in Europe (excluding Portugal), the U.S.S.R., the U.K., the U. S. A.. Canada Burma. Thailand, Malaysia, Singapore, Hongkong, the Philippines, Japan, the Lebanon, the U.A.R., the Peoples Republic of Southern Yemen (Aden) valid upto the 29th August, 1972.

Earlier, he held passport No. I 350476, issued on the 21st March, 1956, at Delhi which was endorsed for the U. K. the U. A. R., the Lebanon, Aden, Switzerland, Italy, France Germany, Belgium, the Netherlands, Luxembourg and Pakistan. This was cancelled and returned to him. when he applied for and was issued a new passport.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter is being examined-

कानपुर में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना

***103. श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में विशेष प्रकार के इस्पात का उत्पादन करने के लिए छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव केन्द्र ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना कब तक की जायेगी;

(ग) प्रस्तावित संयंत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने और कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(घ) प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० मोहन कुमारमंगलम) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर को एक विद्युत आर्क भट्टी एवं लगातार ढलाई एकक द्वारा स्क्रेप से साधारण इस्पात के बिलेट बनाने हेतु उत्तर प्रदेश में एक नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के

लिए 28-6-71 को आशय-पत्र दिया गया है। संभवत: प्रश्न इसी उपक्रम के बारे में है। निगम ने राज्य में स्थापित किए जाने वाले कारखाने का ठीक स्थान नहीं बताया है।

(ख) निगम को आशा है कि परियोजना 18 मास में पूरी हो जायेगी।

(ग) इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 100,000 टन साधारण इस्पात के बिलेट तैयार करने की होगी। आशा है कि इसमें प्रबन्धकों, पर्यवक्षकों, लिपिकों, मजदूरों और अन्य वर्गों के 740 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

(घ) कारखाने की अचल सम्पत्ति 480 लाख रुपए दिखाई गई है।

रूरकेला इस्पात कारखाने में स्टील मेल्टिंग शाप की छत के गिर जाने के बारे में तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

***104. श्री दिनेश जोरदार :**
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में स्टील मेल्टिंग शाप की छत के गिर जाने के बारे में जांच करने हेतु नियुक्त तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें तथा निष्कर्ष क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1037/71]

जहाजी कुलियों की ओर मर्मगाओ गोदी श्रम बोर्ड के ऋण तथा उगाही की बकाया राशि

***105. श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, को 12 जहाजी कुलियों की ओर मर्मगाओ गोदी श्रम बोर्ड के ऋण तथा उगाही की कोई राशि बकाया थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी ओर कितनी राशि बकाया है और यह किस तारीख से बकाया हैं;

(ग) इस देय राशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन जिम्मेदार था; और

(घ) मर्मगाओ गोदी कर्मचारी (रोजगार विनियमन) योजना, 1965 के अनुसान दोषी जहाजी कुलियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) 29 लाख रुपये जिसमें फेररोमो बार्जो पर अतिरिक्त हाजरियों के भुगतान की 3.5 लाख रुपये की विवाद ग्रस्त राशि शामिल है। ये बकाया राशियां पिछले दो वर्षों की अवधि में इकट्ठी हो गई हैं।

(ग) बार बार निदेश जारी करने के बावजूद जहाजी कुलियों ने देय राशियों का समय पर भुगतान नहीं किया है। देय राशियां समय पर देन सकने में अपनी असमर्थता का तर्क उन्होंने मुख्य रूप से वे भुगतान बतलाया जो उन्हें मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों और नाव मल्लाह पंचाट के कारण करने पड़े थे। जहाजी कुलीगीरी के सदस्यों में से कुछ एक को, जो नियतिक नहीं हैं, प्रति वर्किंग टन के मूल्य में वृद्धि का भार अपने प्रधानों से वसूल करना पड़ा। बकाया राशियों को वसूल करने में विफलता के लिए प्रशासनिक निकाय उत्तरदायी है।

(घ) 30 जून, 1971 को हुई मर्मगाओ गोदी श्रम बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प में बोर्ड ने उपाध्यक्ष को अधिकार दिया कि वे जहाजी कुलियों से देय राशियां वसूल करें और चूककर्ता जहाजी कुलियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

अग्रिम भुगतान के लिए बोनस फार्मूला

***106. श्री निरि हालास्कर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस अधिनियम के नये फार्मूले के अनुसार, प्रत्येक औद्योगिक एकक के लाभानुपात से उसके श्रमिकों को 5 प्रतिशत से लेकर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक अग्रिम धन दिया जायेगा;

(ख) क्या विभागों के नियंत्रण में चल रहे संगठनों के श्रमिकों और वेतन आयोग के सीमा-क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों को भी अग्रिम धन दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) बोनस अधिनियम का पुनरीक्षण निलम्बित रहने तक अग्रिमों की अदायगी हेतु, एक तदर्थ फार्मूला तैयार किया गया है। इसमें 1% से 4-1/3% तक आग्रिमों की परिकल्पना की गई है। चूंकि बोनस अधिनियम विभागीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के श्रमिकों पर लागू नहीं होता, इसलिए तदर्थ सूत्र में परिकल्पित अग्रिम उन्हें देय नहीं हैं।

बंगला देश से आये शरणार्थियों का अन्य स्थानों को भेजा जाना

***107. श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये विस्थापितों को पश्चिम बंगाल से बाहर अन्य स्थानों पर शीघ्र ले जाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में विस्थापितों को बसाने के लिए अब तक कितने

शिविर कहां कहां पर खोले गये हैं तथा उन शिविरों में कितने विस्थापितों को बसाया गया है;

(ग) शिविर के कमांडेंटों को नये आने वाले शरणार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे कपड़ो, दवाइयां तथा खाना बनाने सम्बन्धी सामाग्री को किस सीमा तक पूरा करने का अधिकार है; और

(घ) शिविरों में रहने वालों के सहयोग से वस्तुओं का ठीक वितरण बनाये रखने के लिये वहां पर क्या संगठनात्मक व्यवस्था की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। सीमावर्ती क्षेत्रों से शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बड़े आकार के शिविरों में भेजने के अलावा लगभग 2.51 लाख शरणार्थी अन्य राज्यों के केन्द्रीय आवाजाही शिविरों में भेजे गए हैं।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) शरणार्थियों के आने पर शिविर कमांडरों को, तात्कालिक आवश्यकतओं जैसे खाद्यान्न और आश्रय स्थान प्रदान करने के अधिकार दे दिए गए हैं। अन्य मदें, जैसे कपड़ा, खाना बनाने की सामाग्री, दवाइयों आदि की व्यवस्था केन्द्रीकृत ऐजेन्सियों द्वारा की जाती है और विभिन्न शिविरों को भेज दी जाती हैं जहां शिविरों में रहने वालों को उसका वितरण निर्धारित दर के अनुसार किया जाता है।

(घ) प्रत्येक शिविर के लिए उपयुक्त ओहदे का एक कमांडेन्ट नियुक्त किया गया है, उसकी सहायता के लिए शिविर सहायक या सेवक/सेविकाँएं हैं जो शिविर अधिकारियों और शिविर में रहने वालों से निकट सम्पर्क रखते हैं।

विवरण

राज्य में शिविरों की संख्या और उनकी जनसंख्या का विवरण

राज्य शिविर

राज्य	शिविरों की संख्या	शिविरों में	शिविरों से बाहर	योग
पश्चिम बंगाल	503	50,88,755	22 74,684	73,63,439
आसाम	27	2,13,223	88,846	3,02,069
मेघालय	17	5,80,886	75,684	6,56,570
त्रिपुरा	273	8,72,183	5,38,400	14,10,583
बिहार	7	9,282	—	9,282
	827	67,64,329	29,77,614	*97,41,943

*पूर्वी बंगाल से आए 97,41,943 शरणार्णियों में से 4,54,787 शरणार्थी केन्द्रीय शिविरों में रखे गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	शिविरों की संख्या	कुल संख्या
पश्चिम बंगाल	6	1,11,342
त्रिपुरा	3	66,794
आसाम	3	25,631
बिहार	1	28,091
मध्य प्रदेश	5	2,12 636
उत्तर प्रदेश	1	10,293
	19	4,54,787

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने का अस्पतालों तथा औषधालयों के कार्यकरण वाले मूल्यांकन

*108. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चलने वाले अस्पतालों तथा औषधालयों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पतालों और औषधालयों के कार्य-संचालन का, अन्य बातों के साथ साथ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना पुनरीक्षा समिति द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा श्री सी० आर० पट्टाभिरमण की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, पुनरीक्षण किया गया। समिति की रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही संसद के सामने रखी जा चुकी हैं।

भारत-सिक्किम सन्धि का पुनरीक्षण

*109. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1950 की भारत सिक्किम सन्धि का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी मांग सिक्किम में जोर पकड़ रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी सेनेटर श्री चार्ल्स पर्सी ने अगस्त में आरम्भ होने वाली गंगटोक की अपनी यात्रा के अवसर पर सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि सिक्किम के साथ भारत के सम्बन्ध से उपनिवेशवादी रूप का आभास होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में, 1950 की भारत-सिक्किम संधि में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया है, किन्तु इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संधि में कोई महत्वपूर्ण संशोधन करने की बड़ी मांग है।

(ख) और (ग) : सरकार ने, 'सिक्किम' नामक पारक्षिक पत्रिका में इस आशय की रिपोर्ट देखी है, किन्तु सिनेटरों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। किसी भी हालत में सरकार, विदेशी राष्ट्रों के कथित वक्तव्यों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना आवश्यक नहीं समझती।

बागान कर्मचारियों के काम के घन्टों में कमी किया जाना

***110. श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बागानों में काम करने वाले वयस्क कर्मचारियों के अधिकतम साप्ताहिक काम के घंटों को 58-54 से घटा कर 48 घन्टे करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि वयस्कों के लिए विहित अधिकतम साप्ताहिक कार्य-घंटों को 54 घन्टों से घटाकर 48 घन्टे करने के लिये बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाना चाहिए। यह सिफारिश, आयोग की अन्य सिफारिशों के साथ, जुलाई 1970 में हुई बागान सम्बन्धी उद्योग समिति की बैठक के समक्ष रखी गई थी और समिति ने उसका अनुमोदन कर दिया था। अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Settlement of Bangla Desh Problem

***111. Shri. G. P. Yadav :**
Shri- Ramavatar Shastri :
Shri. Piloo Mody :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to State :

(a) whether recently a statement was made by him in Simla to the effect that the political solution of Bangla Desh problem could be found even within the present frame work of Pakistan;

(b) if so, whether Government are going back from their declared stand in regard to Bangla Desh and whether it will be detrimental to the interests of the freedom fighters and their leaders in Bangla Desh who are fighting for complete independence; and

(c) whether 9 million refugees will go back to their homes in case a political solution is found within the frame work of Pakistan ?

The Minister of External Affairs (Shri. Swaran Singh) : (a) to (c) I had Stated in my speech in the A.I.C.C. meeting at Simla on October 8, 1971, inter-alia that ;

"a solution can only be found by creation of conditions in Bangla Desh which might facilitate the return of these refugees; .....that the polilical solution is the solution which will be acceptable to the elected representatives of the people; a solution to be acceptable has to be acceptable to the people of Bangla Desh and that people of Bangla Desh have in unmistakable terms expressed their confidence and expressed their reliance upon Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League ..... We will accept whatever is acceptable to those who have already been elected by the peeple of Bangla Desh and it is for those already elected representatives to arrive at any settlement with Pakistan Military bodies. It can be a settlement on the basis of independence, or of greater autonomy whatever is acceptable to the elected representatives, the already elected representatives of Bangla Desh, is the only way by which the present deteriorating trend can be reversed and conditions can be created in Bangla Desh which might facilitate the return of refugees."

From the above extracts it would be clear that the question is based on some misunderstanding caused by the appearance in a section of our Press of an incomplete and inaccurate version of my speech.

विश्व हाकी कप पर काश्मीर को पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाया जाना

*112. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री एन० शिवप्पा :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने 'विश्व हाकी कप' पर एक मानचित्र की नक्काशी कराई है जिसमें काश्मीर को पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोधी पत्र भेजा गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) जी नहीं।

पाकिस्तान द्वारा पूर्व यूरोपीय देशों से शस्त्रों की खरीद

*113. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पाकिस्तानी मालवाहक 'मैनामती' में कुछ पूर्व यूरोपीय देशों से शस्त्र लाये गये थे;

(ख) ये शस्त्र किन देशों से खरीदे गये थे; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) तुर्की और यूगोस्लाविया के बन्दरगाहों पर होता हुआ 'मैनामती' नामक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज अगस्त सितम्बर 1971 में करांची पहुंचा। अखबारी खबरों के अनुसार इसमें कुछ अस्त्र-शस्त्र थे। लेकिन, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये हथियार किसी पूर्व-यूरोपीय देश से मिले थे।

(ग) पूर्व यूरोपीय देशों की सरकारों ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वे पाकिस्तान को किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र सप्लाई नहीं कर रहे हैं।

विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा

114. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वे हाल ही में अमरीका गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक सहा-

यता जारी रखने के प्रश्न पर अमरीकी सरकार से बातचीत की थी; और

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मैंने पिछले जून में अमरीका का दौरा किया था।

(ख) जी हां। पिछले जून में अमरीका की यात्रा के दौरान मैंने बातचीत की थी।

(ग) अमरीका सहित विभिन्न देशों के अपने दौरे के सम्बन्ध में मैंने 25 जून, 1971 को सदन में एक वक्तव्य दिया था। इस विषय पर 28 जून को लोक सभा में भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था।

सरकार द्वारा विदेशों में भेजे गए शिष्टमंडल

115. श्री धर्मराव अफजलपुरकार :
श्री श्यामनन्दन मिश्र :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगला देश के बारे में भारत की नीति के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या हाल ही में कई केन्द्रीय मंत्री और अन्य शिष्टमंडल विदेश गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इन यात्राओं के क्या परिणाम निकले;

(ग) इन शिष्टमंडलों के सदस्य कौन-कौन थे;

(घ) इन यात्राओं पर विदेशी मुद्रा सहित कुल कितनी धनराशि का व्यय हुआ; और

(ङ) विदेश में हमारे राजनयिकों की सेवाओं का लाभ न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अनेक केन्द्रीय मंत्रियों तथा अन्य शिष्टमंडलों ने हाल ही में विदेशों की यात्राएं कीं जिसका उद्देश्य स्थिति की गम्भीरता पर जोर देना तथा बंगला देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक हल निकालने की तत्काल आवश्यकता थी ताकि शरणार्थी सुरक्षित एवं मानवीय प्रतिष्ठा के साथ शीघ्र ही अपने घरों को लौट सकें।

(ख) यात्रा किए गए सभी देशों ने भारत सरकार के मत की कम-ज्वाला मात्रा में प्रशंसा की है। शरणार्थियों के अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को अधिक से अधिक समझा जा रहा है और बंगला देश में ऐसी स्थिति तत्काल बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है जिसमें वहाँ से आने वाली बाढ़ को रोका जा सके और जो भारत में आ गए हैं उन्हें लौटाने की सुविधा हो। इस बात को बहुत अधिक समझा जा रहा है कि पाकिस्तान में सैनिक जुन्टा को बंगला देश के पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बात करनी चाहिए।

(ग) और (घ) सदन के सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखा गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1038/71]

(ङ) विदेशों में हमारे राजनयिकों की सेवा का पूरा उपयोग किया गया था। विशेष प्रति-

निधियों के रूप में इन उच्चस्तरीय यात्राओं से हमारे राजनयिकों के प्रयत्नों को बल मिला है और स्थिति की गम्भीरता पर जोर दिया गया है और इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि यात्रा किए गए देशों में सर्वोच्च स्तर पर हमारे मत को पूरी तरह समझा जाए।

रूस के उप विदेश मंत्री का दौरा

116. श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के उप विदेश मंत्री अक्तूबर 1971 के तीसरे सप्ताह में भारत आये थे; और

(ख) क्या रूस के उप विदेश मंत्री ने बंगला देश की नवीनतम स्थिति और पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बारे में भी बातचीत की थी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सोवियत उप विदेश मंत्री श्री एन० पी० फरियुबिन ने अक्तूबर के चौथे सप्ताह में नई दिल्ली की यात्रा की थी।

(ख) जी हाँ। यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

विवरण

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

पारस्परिक परामर्श

श्री एन० पी० फिरियुबिन, उप-मंत्री की अध्यक्षता में सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों और श्री टी० एन० कौल, विदेश सचिव तथा श्री एस० के० बनर्जी सचिव (पूर्व), की अध्यक्षता में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच 22 अक्तूबर से 25 अक्तूबर, 1971 तक दिल्ली में परामर्श हुआ।

सोवियत शिष्टमंडल के नेता श्री एन० पी० फिरियुबिन, भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री विदेश मंत्री और नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष से मिले। वार्तालप के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के प्रश्नों और आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

वार्षिक द्विपक्षीय परामर्श करने की विद्यमान प्रथा और भारत-रूस की शांति मित्रता और सहयोग की संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार परामर्श हुये। भारतीय उप-महाद्वीप में इस समय तनाव की स्थिति को देखते हुये जिससे इस क्षेत्र में शांति को खतरा है, ये परामर्श हुए। स्थिति के बारे में दोनों पक्षों में पूर्ण सहमति थी।

ये परामर्श सद्भाव पूर्ण मैत्री, पारस्परिक विश्वास और परस्पर समझ-बूझ के वातावरण में हुये तथा जिन विषयों पर चर्चा हुई उन पर दोनों पक्षों के विचारों में सामंजस्य था।

Increase of Lease Money in Refugees Colonies

*117. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Municipal Corporation of Delhi has made a request that the lease money of houses and plots in refugees, colonies should not be increased;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the class of society likely to sustain more loss on this account ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) to (c): No Sir. We had received only a copy of the resolution of the Delhi Administration recommending for the reduction of the ground rent in respect of plots in the rehabilitation colonies in Delhi, New Delhi. The matter was examined and it was not found possible to accept the recommendations of the Delhi Administration.

पश्चिम बंगाल में ओद्योगिक फर्मों के कार्यालयों का पुनः खुलना

*118. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालमिया जैन, साहु जैन, टाटा तथा मोदी बन्धुओं के उन कार्यालयों और कारखानों के पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में जो फरवरी, 1970 से बन्द पड़े हैं, पश्चिम बंगाल की कर्मचारी संघों तथा संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ख) उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) फरवरी, 1970 से बन्द पड़े कार्यालयों और कारखानों के नाम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धन राशि

*119. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धन राशि कई गुना बढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1971 को नियोजकों की ओर भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया थी;

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) भविष्य निधि के धन का दुरुपयोग करने के दोषी लोगों के विरुद्ध कितने मामले चलाये गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है;

(क) और (ख) कुछ वर्षों से बकाया धन राशि में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। 1 मार्च, 1971 के अन्त तक छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि अंशदानों की लगभग 1649 लाख रुपये की राशि अदा नहीं की थी।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन दोषी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन और वसूली कार्यवाही के रूप में कानूनी कार्यवाही की जाती है। समुचित मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दायर की जाती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन दण्ड रूप हर्जाने भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा अपराधों को नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों के ध्यान में ला दिया गया है। अनुनय के तरीके भी अपनाए जाते हैं, ताकि दोषी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान यथा संभव बकाया धन-राशि की अदायगी कर सकें।

(घ) 31-3-1971 तक दोष छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन चलाए गए अभियोजनों की संख्या 42,043 थी।

शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई

*120. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेख मुजीबुर्रहमान के विरुद्ध मुकदमा अभी भी चल रहा रहा है या समाप्त हो गया है;

(ख) क्या सरकार के पास इस आशय की सूचना है कि विभिन्न देशों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या उन्हें शेख मुजीबुर्रहमान के स्वास्थ्य तथा उन्हें जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पता है और उन्हें कहां नजरबन्द किया हुआ है; और

(घ) सरकार को उनकी रिहाई की सम्भावना की नवीनतम स्थिति के बारे में क्या जानकारी है ?

विदेश मंत्री(श्री स्वर्ण सिंह): (क)से(ख)पाकिस्तान का सैनिक शासन, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहा है कि सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा शेखमुजीबुर्रहमान का तथाकथित मुकदमा, बन्द कमरे में, चल रहा है। सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इन खबरों को देखा है कि शेख मुजीबुर्रहमान को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई है। हम उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति काफी चिन्तित हैं। भारत सरकार ने इस हास्यास्पद मुकदमे की निन्दा की है और इस निरन्तर चल रहे ढोंग से उत्पन्न होने वाले गम्भीर परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। बहुत सी अन्य सरकारों ने, शेख मुजीबुर्रहमान की शीघ्र रिहाई की आवश्यकता के बारे में पाकिस्तान के सैनिक शासन पर जोर दिया है।

(घ) हमारा विश्वास है कि शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई से स्थिति में तुरन्त सुधार आ सकता है, किन्तु हमें सन्देह है कि क्या पाकिस्तान के सैनिक शासक ऐसा कदम उठाने की बुद्धिमता दिखाएंगे।

केरल में 'ग्रेफाइट के निक्षेप

601. श्री वयालार रवि : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के नेडुमंगडु क्षेत्र में 'ग्रेफाइट' के निक्षेपों का पता लगाने के लिए कोई भू-सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल के तिखूनन्तपुरम जिले के नेदुमांगड तालुक में किए गए समन्वेषण के परिणाम स्वरूप वेल्यानाद कुट्टीचल तथा चंगा के समीप ग्रेफाइट के प्राप्ति स्थल अवस्थापित किए गए । वेल्लानाद-चंगा क्षेत्र में ग्रेफाइट अयस्क की अनुमानित उपलब्ध एशियां 3000 टन हैं ।

(ग) पब्लिक सेक्टर में किसी भी सम्भाव्य समुपयोजन के लिए निक्षेप बहुत छोटे हैं ।

पाक-उच्चायोग द्वारा अनधिकृत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को आश्रय दिया जाना

602. श्री जे० बी० पटनायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित पाक-उच्चायोग में बंगला देश-संकट के उपरांत अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिको को आश्रय दिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चायोग के आश्रय में ऐसे कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान के दिल्ली-स्थित उच्च आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने 4 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को अपने यहां शरण दी है (3 व्यक्तियों का एक परिवार और एक अकेला व्यक्ति) ।

(ग) 13 सितम्बर, 1971 को पाकिस्तान उच्च आयोग से कहा गया था कि वह इन पाकिस्तानी नागरिकों की सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को सूचना देने का निदेश दे ताकि उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके । उक्त आयोग को 14 अक्तूबर को उसे फिर स्मरण कराया गया । अब तक वहां से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

Auction of Plots in Refugee Colonies in Delhi to Schedled Caste Teachers

603. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether some plots are yet to be auctioned by his Ministry in the refugee colonies of Lajpat Nagar, Malaviya Nagar, Kirti Nagar in New Delhi; and

(b) if so, whether Government propose to allot the said plots to Government teachers belonging to Scheduled Castes on official rates ?

The minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) (a) Yes, Sir. There are some plots lying undisposed of in Malviyanagar and Lajpatnagar. These are proposed to be sold by auction under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1964.

(b) No, Sir. There is no such scheme.

खान तथा धातु परियोजना के लिये विदेशी तकनीकी जानकारी

604. कुमारी कमला कुमारी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री धातु परियोजनाओं के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी की ओर से 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) अब जानकारी एकत्रित की जा चुकी है और विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1023/71]

संयुक्त परिषदों की असफलता

605. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त परिषदों की असफलता के मामले के बारे में अक्तूबर, 1971 में ब्रसल्स, बेल्जियम से प्रकाशित होने वाली आई० सी० एफ० टी० यू० के फ्री लेबर वर्ल्ड में छपे लेख की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की संख्या को कम होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) विभिन्न मन्त्रालयों के द्वारा चलाये जाने वाले सभी सरकारी उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों को सरकार का विचार किस प्रकार लागू करने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का मार्ग-दर्शन करने का है; और

(ङ) क्या संयुक्त प्रबन्ध परिषदों को एक अनिवार्य निकाय बनाने के लिए कोई विधेयक लाया जायेगा ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) भारत में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1971 में फ्री ट्रेड यूनियनस की इन्टरनेशनल कौंसिल के फ्री लेबर वर्ल्ड में छपा लेख अभी सरकार के ध्यान में नहीं आया है । तथापि, सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन और उसकी सिफारिशों पर विचार कर रही है । आयोग का निष्कर्ष अन्य बातों के साथ साथ यह था कि इन परिषदों को अधिक समर्थन प्राप्त न होने का कारण

यह है कि नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों ने इन्हें गम्भीरतापूर्वक लिया। तथापि, जहां पक्षों ने परिषदों को गम्भीरतापूर्वक लिया है, वहां उनके परिणाम निकले हैं। आयोग की सिफारिशों पर सम्बन्धित पक्षों का परामर्श लेकर कार्यवाही की जा रही है। इस समय, संयुक्त प्रबन्ध परिषदें 80 उपक्रमों—31 सरकारी क्षेत्र के और 49 निजी क्षेत्र के—में काम कर रही है।

(ङ) जी नहीं।

रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों द्वारा कार्मिक संघों के साथ किये गये द्विपक्षीय करार

606. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा अक्तूबर, 1971 के अन्त तक रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों द्वारा विभिन्न कार्मिक संघों के साथ कितने द्विपक्षीय करार किये गये;

(ख) उक्त वर्षों में से वर्षवार वहां मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के नाम क्या थे; और

(ग) रूरकेला में औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से क्या कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबंधकों द्वारा किये गये द्विपक्षीय समझौतों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	समझौतों की संख्या	टिप्पणी
1968	—	
1969	1	12-7-69 को राउरकेला मजदूर सभा के साथ।
1970	3	नार्थ उड़ीसा वर्क्स यूनियन के साथ 25-3-70 और 27-3-70 के दो समझौते और राउरकेला मजदूर सभा के साथ 25-8-70 का एक समझौता।
1971	3	राउरकेला मजदूर सभा के साथ। दो 2-7-71 को और तीसरा 25-9-71 को।

(ख) मान्यता प्राप्त यूनियनों के नाम निम्नलिखित है :—

1. राउरकेला इस्पात कारखाना	राउरकेला मजदूर सभा 1968 से लेकर।
2. बरसुआ की लोहे की खानें	1968 से अब तक नार्थ उड़ीसा वर्क्स यूनियन। 21-10-70 से नार्थ उड़ीसा वर्क्स यूनियन की मान्यता वापस ले ली गई और उसी तारीख से बरसुआ आयरन माइन्स मजदूर यूनियन को मान्यता प्रदान कर दी गई। परन्तु नार्थ उड़ीसा वर्क्स यूनियन ने न्यायालय से निषेधाज्ञा ले ली और बरसुआ आयरन माइन्स मजदूर यूनियन की मान्यता को मुल्तवी रखा गया है।

3. पूर्णपानी चूना पत्थर और डोलोमाइट खदान	1968 नार्थ उड़ीसा वर्क्स यूनियन अक्तूबर 1969 से आज तक राउरकेला मजदूर सभा। 5-2-69 को राउरकेला मजदूर सभा को मान्यता दी गई और नार्थ उड़ीसा वर्क्स यूनियन की मान्यता खत्म कर दी गई। इसने न्यायालय से मान्यता समाप्ति के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। 30-9-69 को यह निषेधाज्ञा रद्द कर दी गई और इस प्रकार तब से राउरकेला मजदूर सभा मान्यता प्राप्त है।
4. इस्पात चूना पत्थर खदान, सतना	1968 से अब तक राउरकेला प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन।

(ग) प्रबंधक वर्ग द्वारा श्रमिक स्थिति का सतत मूल्यांकन किया जाता है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन कर दिये जाते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों द्वारा मजदूर संघों के साथ किये गये द्विपक्षीय करार

607. श्री चंद्रशेखर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने गत वर्षों में वर्ष-वार और अक्तूबर, 1971 के अन्त तक वहां के विभिन्न कार्मिक संघों के साथ कितने द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किये,

(ख) वहाँ उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष, वर्ष-वार कितने मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ विद्यमान थे, और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) भिलाई में स्थापित औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए क्या कोई विशेष जांच की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) पिछले तीन वर्षों में भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न यूनियनों के साथ किये गये द्विपक्षीय समझौतों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	समझौतों की संख्या
1969	110
1970	190
1971	98
	कुल 398

(ख) स्टील वर्क्स यूनियन को 1960 में इस्पात कारखाने की प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी और यह मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में चली आ रही है।

रक्षित खानों में संयुक्त खदान मजदूर संघ को 1970 में दानीटोला क्वार्टजाइट खानों

और बालाघाट मैंगनीज खानों के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। इससे पूर्व इन खानों में कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं थी। अन्य रक्षित खानों में न तो कोई मान्यता प्राप्त यूनियन रही है न अब है।

(ग) जी, नहीं।

स्वेच्छिक मध्यस्थता द्वारा हल किये गये श्रमिक-विवाद

608. **श्री चंद्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री ऐच्छिक मध्यस्थता द्वारा हल हुए श्रमिक सम्बन्धी विवादों के बारे में 3 जून, 1971 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सूचना, जो केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों से एकत्रित की जानी है, बार-बार अनुस्मारक भेजने पर भी अभी कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। शेष पक्षों द्वारा अपेक्षित सूचना भेजे जाने के तुरन्त बाद एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

श्रमिक संघों के साथ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा किया गया द्विपक्षीय समझौता

609. **श्री चंद्रशेखर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में तथा 1971 के अन्त तक वर्ष-वार तथा कार्मिक संघ-वार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों तथा विभिन्न कार्मिक संघों के बीच कितने द्विपक्षीय करार हुये हैं,

(ख) उक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में वर्ष-वार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों द्वारा जिन कार्मिक संघों को मान्यता दी गई उनके नाम क्या हैं,

(ग) क्या बड़ी संख्या में द्विपक्षीय करारों के होने के बावजूद भी दुर्गापुर में औद्योगिक सम्बन्ध निम्न स्तर पर है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या मूल कारणों को दूर करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों तथा विभिन्न मजदूर संघों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

	1968	1969	1970	1971	योग
1. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स यूनियन	2	1	5	3	11

2. हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन	8	12	23	11	54
3. हिन्दुस्तान स्टील सिक्योरिटी स्टाफ एसोसीएशन	—	1	1	—	2
	10	14	29	14	67

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने जिन मजदूर संघो को मान्यता दी हुई है उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1968	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स यूनियन
1969 (4-10-69 तक)	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स यूनियन
1969 (5-10-69 से)	हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन
1970	हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन
1971	हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन

(ग) इन समझौतों के बावजूद भी दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्ध असंतोषजनक ही बने रहे ।

(घ) मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार लाने के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हाल में प्रबन्धकों तथा सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधियों का ज्वायंट फोरम बनाया गया है ।

राज्यों में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण

610. श्री रोबिन ककोटी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम मेघालय, नागालैंड, राज्यों और त्रिपुरा, मनीपुर, संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा क्षेत्रों में खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विगत कई वर्षों से असम, मेघालय, नागालैंड राज्यों और त्रिपुरा, मणिपुर और नेफा संघ राज्य क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं खनिज अन्वेषण कर रहा है और अभी सर्वेक्षण जारी हैं । इन अन्वेषणों के परिणामस्वरूप इन राज्यों में विभिन्न खनिज निक्षेप अवस्थित हुए हैं ।

विभिन्न अवस्थित खनिज, अनुमानित उपलब्ध राशियां आदि को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1024/71)

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राज्य की सहायता बंद होना

611. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका से इस आशय का कोई संदेश प्राप्त हुआ है कि वह भारत में बंगला देश के शरणार्थियों को सहायता देनी बन्द कर देंगे; और

(ख) यदि हां, तो संदेश में क्या क्या लिखा गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों में दुर्घटनायें

612 .श्री राजदेव सिंह :क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में उद्योगों में कितनी दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए; और

(ख) दुर्घनाओं में हो रही इस वृद्धि को रोकने और सुरक्षात्मक उपायों को कड़े करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1025/71)

भारत आस्ट्रेलिया वार्ता

613. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में अक्तूबर, 1971 में कोई वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या क्या निर्णय किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत के विदेश मंत्रालय एवं आस्ट्रेलिया के विदेश कार्य विभाग के अधिकारियों के बीच पांचवीं परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में 19, 20 एवं 21 अक्तूबर, 1971 को हुई थी ।

(ख) बातचीत की समाप्ति के पश्चात जारी किया गया एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य सदन के सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद नई दिल्ली में जारी किये गए एक संयुक्त प्रैस वक्तव्य का पाठ निम्नलिखित है :

भारत के विदेश मंत्रालय और आस्ट्रेलिया के विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच 19, 20 और 21 अक्तूबर, 1971 को नई दिल्ली में पांचवी परामर्शदात्री बैठक हुई थी । आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल में वहां के विदेश विभाग के स्थाई सचिव सर कीथ वालर सी० बी० ई० भारत में

आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री पेट्रिक शा, सी० बी० ई०, और आस्ट्रेलिया के विदेश विभाग के सहायक सचिव श्री पीटर हेंडरसन सम्मिलित थे। आस्ट्रेलिया उच्च आयोग के उप-उच्च आयुक्त श्री आई० ई० निकलसन तथा अन्य अधिकारियों ने इस बातचीत में उनकी सहायता की थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में विदेश सचिव श्री टी० एन० कौल और विदेश मंत्रालय में सचिव श्री एस० के० बनर्जी और श्री पी० एन० मेनन थे। आस्ट्रेलिया में भारत के उच्च आयुक्त श्री एस० कृष्ण मूर्ति और भारत सरकार के अन्य अधिकारियों ने इस बातचीत में उनकी सहायता की थी।

बातचीत खुले रूप से और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई इस बात की फिर पुष्टि की गई कि समय समय पर इस प्रकार की बातचीत से एक दूसरे के विचारों को समझने में सहायता मिलती है और इससे भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अधिक सुदृढ़ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होंगे। दोनों पक्षों ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर और विशेषकर एशियाई मामलों पर तथा आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्धों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक करार पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं। इस प्रकार विचारों के आदान-प्रदान में वृद्धि होने और परस्पर सहयोग और बढ़ने की आशा है।

समान योग्यताओं के लिए समान वेतन

614. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 'समान योग्यताओं के लिए समान वेतन' की प्रक्रिया लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा बंगाल की खाड़ी में अमरीका को पट्टे पर दिए गए द्वीप

615. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस समाचार का पता है कि पाकिस्तानी शासकों ने बंगाल देश के बंगाल की खाड़ी में स्थित हतिया तथा सनद्वीप द्वीप पट्टे पर अमरीका को दे दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं। लेकिन सरकार के पूछताछ करने पर इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत रूस वार्ता

616. श्री राम सहाय पांडे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के नेताओं के साथ बंगला देश और तत्संबंधी समस्याओं के बारे में गत दो महीनों में नई दिल्ली और मास्को में बार बार विचार विमर्श हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श का स्वरूप क्या था और उससे क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विचार विमर्श गोपनीय प्रकृति का था और इसके ब्यौरे को प्रकट करने की प्रथा नहीं है । विचार विमर्श का यह निष्कर्ष निकला है कि दोनों देश इस समस्या के प्रति समान विचार रखते हैं ।

कच्चे लोहे का निर्यात

617. श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 2 वर्षों में कितना कच्चा लोहा फालतू था; और

(ख) किन-किन देशों को फालतू कच्चे लोहे का निर्यात किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) देश की आवश्यकता से फालतू बचे हुए कच्चे लोहे की मात्रा जिसका निर्यात 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में (सितम्बर 1971 तक) किया गया तथा जिन देशों को इसका निर्यात किया गया उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

	1969-70	1970-71	1971-72 (सितम्बर 1971 तक)
	टन	टन	टन
जापान	554, 699	421, 759	83, 501
संयुक्त अरब गणराज्य	—	10,000	—
यूगोस्लाविया	—	33,018	22,129
दक्षिणी कोरिया	—	—	6,573
सिंगापुर	—	—	17,045
योग	554,699	464,777	129,248

पिंडी मिशन में बंगाली कर्मचारियों के साथ मार-पीट

618. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित बंगला देश मिशन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है

कि वह नई दिल्ली स्थित पिंडी मिशन के बंगाली कर्मचारियों के साथ की गई मार-पीट के मामले में हस्तक्षेप करे;

(ख) क्या इस संबंध में उन्होंने ऐसी किन्हीं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है परन्तु इस बारे में हमने अखबारी खबरें देखी हैं।

(ग) यह घटना नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के अन्दर हुई थी और, इसलिए भारत सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। फिर भी, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाया था और उनसे इस बारे में पूछताछ की।

विरोधी नागाओं के साथ वार्ता

619. श्री मनोरंजन हाज़रा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैंड विधान सभा द्वारा 23 सितम्बर, 1971 को पास किए गए उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से विद्रोही नागाओं के साथ राजनीतिक वार्ता आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं।

(ख) छिपे नागाओं के साथ आगे बातचीत करने के प्रश्न पर सरकार अपनी स्थिति पहले कई मौकों पर स्पष्ट कर चुकी है। नागा समस्या के बारे में 1960 में नागा नेताओं के साथ समझौता हो गया था और अब छिपे नागाओं के साथ कोई और राजनीतिक बातचीत करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन, भारतीय नागरिकों के रूप में नागा लोग नागालैंड की उन्नति के लिए अगर चाहें तो वहां के राज्यपाल अथवा सरकार को सुझाव दे सकते हैं।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी संघों का सम्मेलन

620. श्री पी० वेंकटा सुब्बया : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी संघों के हाल ही में हुए एक सम्मेलन में यह बताया गया है कि सरकार कुशल प्रशासकों का चयन करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने में असमर्थ रही है और यही कमी सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कठिनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) सूचना मिली है कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने, अगस्त 1971 में हुए अपने हाल के सम्मेलन में, इस प्रकार के कुछ वक्तव्य दिए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं कि औद्योगिक, वाणिज्यिक या वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों में ऊंचे पदों पर केवल प्रमाणित योग्यता के ही व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। इनमें भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, अहमदाबाद तथा कलकत्ता स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई आदि जैसी संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, सरकार अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों के अधीन उपलब्ध कराई गई विदेश प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग कर रही है।

हड़तालों और बन्धों के दौरान कर्मचारियों द्वारा हाजिरी लगाना

621. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़तालों और बंधों के दौरान कर्मचारी कारखानों और कार्यालयों में अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं और बाद में मजूरी भुगतान का दावा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अवांछनीय प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) विशिष्ट कारखानों या कार्यालयों के किसी प्रकार के उल्लेख के अभाव में, प्रश्न में निर्दिष्ट आचरण की जांच करना संभव नहीं हुआ है।

श्रमिकों को जबरन कम मजूरी दिए जाने को रोकना

622. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित मजूरी से कम मजदूरी लेने के लिए बाध्य न किया जाए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के०खाडिलकर) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त उपबन्ध शामिल हैं जिनमें दी गई मजदूरी-दरें अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी-दरों से कम हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रो में निरीक्षण किए जाते हैं और दोषी नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

जापान के भूवैज्ञानिकों के दल द्वारा सहयोगी अनुसंधान-कार्य

623. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जापान के भूवैज्ञानिकों का एक दल भारतीय भूवैज्ञानिकों सर्वेक्षण की संस्था के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के लिए भारत आया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुसंधान का क्या प्रयोजन है और वे इसे पूरा करने के लिए यहां कब तक ठहरेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सिवालिक्स के चट्टानों और प्राणीजात का विशेषकर सिवालिक्स में प्लिओ अभिनूतन सीमा का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से अध्ययन करने के लिये जापानी दल सितम्बर, 1971 में भारत आया ।

दल ने पहले ही कार्य सम्पूरित कर दिया है और उसने 10-11-71 को भारत छोड़ा ।

औद्योगिक आवास योजना में कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश की महाराष्ट्र सरकार की प्रस्तावित योजना

624. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव किया है कि बम्बई में कर्मचारी भविष्य निधि की वार्षिक एकत्र राशि का 50 प्रतिशत अंश अर्थात 39 करोड़ रुपये औद्योगिक आवास योजना के वित्त घोषणा के लिए महाराष्ट्र सरकार की ऋणपत्र योजना में लगाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :-

(क) जी हाँ ।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार करना इस कारण से सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि ऐसा निवेश निधि द्वारा अपनाए गए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अपनाए गए निवेश के वर्तमान प्रतिरूप से मेल नहीं खाता ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, राँची को हुई हानि

625. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) गत तीन वर्षों में इसे कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : 31 मार्च, 1971, तक भारी इंजीनियरी निगम को हुआ कुल घाटा 72·48 करोड़ रुपये है। उत्पादन के आरम्भिक वर्षों में इस आकार और प्रकार की परियोजना में भारी पूंजी निवेश तथा लम्बी जेस्टेशन अवधि होने के कारण घाटा होना अनिवार्य है। कुछ हद तक उत्पादन क्षमता के मन्द गति से बढ़ने के कारण भी भारी इंजीनियरी निगम को घाटा हुआ है जिसके कई कारण है जिनमें औद्योगिक सम्पर्क अच्छे न होना भी शामिल है। ब्याज के भारी बोझ, मूल्य-ह्रास और ऊपरी खर्चों के कारण भी घाटा हुआ है।

(ग)	वर्ष	घाटा (करोड़ रुपये)
	1968-69	14·66
	1969-70	18·18
	1970-71	17·54 (कच्चे आंकड़े)

1970-71 के आंकड़ों में पूर्वावधि समायोजन के कारण शुद्ध क्रेडिट को हिसाब में नहीं लिया गया है।

अस्पताल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु कानून

626. श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री के० लकप्पा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र में अस्पताल-कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सदन के समक्ष एक विधेयक लाने का है क्योंकि उनके अधिकारों पर, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1970 में हाल ही में दिये गए इस निर्णय को कि अस्पताल कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं, बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : अस्पतालों और कुछ अन्य संस्थाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन 'उद्योग' शब्द की परिधि में लाने हेतु विधान बनाने के लिए पहले ही आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। तथापि, हो सकता है कि संसद के चालू सत्र में सदन में विधेयक पेश करना सम्भव न हो।

पड़ौसी देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार

627. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन, नेपाल, श्रीलंका आदि पड़ौसी देशों के साथ हमारे देश के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सही स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चीन :

चीन के साथ हमारे संबंधों में कुछ सुधार हुआ है । चीन में चीनी अधिकारीगण और विदेशों में उनके प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधियों के साथ सामान्य और मित्रतापूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हैं । चीनी समाचार-स्रोत भारत के प्रति कम आलोचनात्मक रुख अपना रहे हैं । चीनी राष्ट्र दिवस और संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश पर हमारे प्रधान मंत्री द्वारा भेजे गए बधाई संदेशों को चीन के समाचार-पत्रों में छापा गया था और चीन के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री के पत्र का उत्तर भेजा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र में चीन को यथोचित स्थान दिलाने के लिए किए गये समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया है ।

नेपाल :

नेपाल के साथ भारत के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है और इस दिशा में महत्वपूर्ण बात व्यापार और आवागमन संधि पर 13 अगस्त को हस्ताक्षर होना है । इसके बाद 3 से 5 सितम्बर 1971 तक विदेश मंत्री ने काठमाण्डू का दौरा किया । विस्तार के साथ विचार-विमर्श के बाद दोनों पक्षों ने, सार्वभौम शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने तथा विश्व में तनावों को कम करने में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में गुट निरपेक्षता की नीति के निरन्तर पालक को पुनः दौहराया । शरणार्थियों के अपने-अपने घरों को लौटाने के लिए स्थितियां कायम करने की आवश्यकता पर भी दोनों पक्ष सहमत थे । महामहिम नेपाल नरेश के 10 से 12 जून, 1971 तक के भारत के दौरे और तीसरे देश के लिए दिल्ली से गुजरते समय भी उच्चतम स्तर पर मित्रतापूर्ण विचार-विनियम के अवसर उपलब्ध हुए हैं और सदभावना बढ़ाने में मदद मिली है ।

श्रीलंका :

हाल ही के वर्षों में श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है । सितम्बर 1971 में हमारे विदेश मंत्री के श्रीलंका के दौरे के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में बढ़ोत्तरी हुई है । श्रीलंका का एक व्यापार एवं आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र ही भारत आयेगा । भारत सरकार ने श्रीलंका को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध की है । अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग हो रहा है ।

विदेशों के साथ शांति संधि

628. श्री चिंतामणि पाणिग्रही ।

श्री अमरनाथ चावला ।

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रूस शांति संधि के नमूने पर भारत के साथ संधि करने के लिए किसी अन्य देश ने भारत से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत रूस संबंधो को सुदृढ़ बनाना

629. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रूस शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात रूस के साथ सांस्कृतिक आर्थिक और राजनैतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई अग्रसर ठोस कदम उठाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख) : भारत और सोवियत संबंधों को प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ करने के विचार से भारत और सोवियत सरकारों के बीच बराबर आवश्यक विचार-विमर्श होता ही रहता है ।

भारत में रहने वाले श्रीलंका के राष्ट्रिक

630. श्री डी० वी० चन्द्र गौड़ा :

श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि इस समय जो श्रीलंका के लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें श्रीलंका के राष्ट्रिक नहीं माना जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

631. श्री एम० कल्याणसुंदरम् : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था और वह शरणार्थी शिविरों में गया था और उसने सामान्य हितों की समस्याओं पर सरकार से बातचीत की थी; और

(ख) बंगला देश की घटना पर उनकी राय क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधिमंडल के नेता प्रोफेसर आर० सवीर द्वारा 21 अगस्त को दिये गये वक्तव्य का संबंद्ध उदाहरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कलकत्ता के चहुँ ओर और सीमा क्षेत्र में हमने जो कुछ देखा और बातचीत के दौरान जो कुछ सुना वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शरणार्थियों की दशा अत्यन्त दहलाने वाली है, उनके साथ जो हुआ है वह अत्यन्त घृणास्पद है और जो कुछ मानविक दुर्दशा और ट्रेजेडी हमने देखी है वह इतनी भयंकर है कि हम स्तंभित रह गये हैं। जो कुछ सुना और देखा उसे आत्मसात करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़े। परन्तु इसी के लिए तो हम आये थे और अब हमें यह स्पष्ट है कि जिन स्थानों पर पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को अस्थायी रूप से ठहराया गया है और जहां पर दिन प्रतिदिन असंख्य अभागे लोग आ रहे हैं उन स्थानों पर गये बिना हम वस्तुस्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकते थे।

शरणार्थी केम्पों का दौरा करने से हमें विश्वास हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अपने घरों को छोड़कर भागने वाले पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की सुविधा के लिए भारत महान प्रयास कर रहा है। हमें यह भी स्पष्ट है कि भारत के संसाधनों पर यह बहुत बड़ा भार है। भारत ने अब तक शरणार्थियों का जो इतना अधिक भार उठाया है वह तथ्य आपके राष्ट्र की क्षमताओं के बारे में हमारे विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। शरणार्थियों की दिशा को सुधारने के लिए आपके लोगों ने जो महान त्याग किया है उसकी हम सराहना करते हैं।

शरणार्थी केम्पों के दौरे से हम पर एक अन्य बात स्पष्ट हुई है कि यह एक वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या से केवल भारत का ही सम्बन्ध नहीं है। मैं यह कह सकता हूँ कि जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार भारत सरकार के इस मत से सहमत है कि यह स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाती है और इस समस्या को केवल शांतिपूर्ण उपायों से ही हल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में उद्घोषित सिद्धांतों और मानविक अधिकारों की घोषणा जिसे जर्मन संघीय गणराज्य स्वीकार करता है, के आधार पर स्थाई समझौता किया जाना चाहिये।

शरणार्थियों का भारत में और प्रवेश अवश्यम्भावी रूप से रुकना चाहिये और शीघ्रता पूर्वक ऐसी परिस्थितियाँ स्थापित होनी चाहियें जिनसे शरणार्थियों का वापस जाना संभव हो सके। यह मूल राजनैतिक समस्या के स्थाई हल पर भी निर्भर करता है जो कि पूर्वी बंगाल के लोगों के मत और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के परामर्श से ही निकाला जा सकता है। हम शरणार्थियों के प्रति और पूर्वी बंगाल में सैनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई अतुल मानविक समस्या के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं।

हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ और सुस्पष्ट है और जर्मन संघीय गणराज्य की विदेश नीति के सिद्धांतों पर आधारित है। हम राजनैतिक समझौते के पक्ष में हैं जिससे एशिया और विश्व में

शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हमने पाकिस्तान को कभी शस्त्रास्त्र नहीं दिये और न ही कभी देंगे। हम शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई की मांग करते हैं और हमने भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, सहयोग और मित्रता की संधि का स्वागत किया है। अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य सामान भेजने को तत्पर था और इसने भारत को राहत सामग्री भेजी।

विश्व शान्ति परिषद प्रतिनिधि मंडल की यात्रा

632. श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व शांति परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा की थी और वह बंगला देश की घटनाओं के अध्ययन के लिए शरणार्थी शिविरों में भी गया था;

(ख) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या थे; और

(ग) बंगला देश के प्रश्न पर उनकी राय क्या थी?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) जी हां। विश्व शांति परिषद के दो शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया और वे शरणार्थियों के शिविरों में गये—इनमें से एक शिष्टमंडल अगस्त में आया था और दूसरा सितम्बर 1971 में।

(ख) पहले शिष्टमंडल के सदस्य थे :—

(1) श्री कार्ली एवल्दी मूसा, संसद सदस्य
इटालवी समाजवादी दल के सदस्य।

(2) श्री ऐन्टोनेली त्रोम्बादोरी,
इटली के मार्क्सवादी दल के सदस्य।

(3) डा० हर्वट एम्थेकर,
मार्क्सवादी अध्ययन के अमरीकी संस्थान के निदेशक।

(4) श्री महमाद तेब्बू, विधिवक्ता
उत्तरी लबनान में वामपंथी मोर्चे के आजाद सदस्य।

दूसरे शिष्टमंडल के सदस्य थे:—

(1) डा० फ्रान्सिसको फराको,
वेनेजूला संसद के सदस्य।

(2) श्री मोराद कोटले,
सीरियाई संसद के भूतपूर्व सदस्य।

(3) श्री यां यीव्स जोली,
दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, लोयन्स विश्वविद्यालय।

(4) श्री आरसीन राटसिफारा,
मालागासी गणतंत्र के संसद सदस्य ।

(5) डा० रहीम अजीना,
इराकी राष्ट्रीय शांति और एकता परिषद के सदस्य ।

(6) श्री मुनीज के अल-खतीब,
इराकी बाथ दल के सदस्य ।

(ग) इन शिष्टमंडलों पर शरणार्थियों के विनाश का, उनके भागकर भारत में आने के कारणों का, उनकी इस सार्वभौम मांग कि शेख मुजीबुरहमान को रिहा किया जाय, आदि बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा ।

वे भारत सरकार के मानवतावादी प्रयत्नों से भी प्रभावित हुये और उन्होंने इस बात को बहुत महसूस किया कि उनके राहत कार्यों के लिये तुरन्त भारी मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिलनी बहुत जरूरी है । उन्होंने महसूस किया कि केवल राजनीतिक हल निकलने पर ही शरणार्थी अपने देश को वापस जा सकेंगे ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची द्वारा इस्पात संयंत्रों का निर्माण

633. श्री शशि भूषण : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इस्पात संयंत्रों के कल-पुर्जे बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहां ये कल-पुर्जे कब तक बनाये जाएंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां । भारी इंजीनियरी निगम की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक संयंत्र तथा उपकरणों में से प्रमुख मदों का निर्माण करना है ।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम ने पहले ही भिलाई तथा बोकारो इस्पात कारखानों के लिए संयंत्र और उपकरणों के कई आर्डरों को पूरा किया है । वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार की योजनाओं तथा नये इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए आवश्यक संयंत्र तथा उपकरणों के काफी आर्डरों की पूर्ति भारी इंजीनियरी निगम द्वारा ही की जायेगी ।

कोयला खानों को सरकारी अधिकार में लेने के समाचार का समय से पूर्व प्रकाश में आना

634. श्री शशि भूषण :
श्री समर गुह :
श्री रोबिन सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी निर्णय की घोषणा से बहुत समय पहले ही कोककर कोयला खानों को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने का समाचार प्रकाश में आ गया था ।

(ख) क्या इस समाचार के समय से पूर्व प्रकाश में आ जाने के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई आयोग नियुक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समाचार को प्रकाश में लाने के लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

स्पंज इस्पात संयंत्रों की स्थापना

635. श्री शशि भूषण : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्पंज इस्पात संयंत्र लगाने के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदक पार्टियों के नाम क्या है;

(ख) इस से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल जाने की आशा है और इसके उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है;

(ग) क्या इस बीच देश में स्पंज इस्पात कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस देने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) निम्नलिखित पार्टियों ने देश से स्पंज आयरन और ना कि स्पंज स्टील बनाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किये है :—

1. मैसर्ज चोगुल एण्ड कम्पनी।
2. मैर्सज इन्डियन कापर कारपोरेशन।
3. मैर्सज बी० एस० डोम्पो।
4. मैर्सज कनार्टक माईनिंग कम्पनी।
5. मैर्सज जे० के० उद्योग लिमिटेड।
6. मैर्सज तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम।
7. राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम, महाराष्ट्र।
8. श्री बी० सी० मित्तल।
9. मैर्सज बागलकोट सीमेंट कम्पनी।
10. मैर्सज वी० सी० बमर्न।
11. मैर्सज मुकन्द आयरन एन्ड स्टील।
12. श्री एस० के० स्वरूप।
13. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम।

14. मैसर्ज मोदी इन्डस्ट्रीज ।

15. मैसर्ज एटलस आयरन एन्ड एलायज लि० ।

16. राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम ।

17. उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम ।

18. श्री आर० एम० सी० अतलुरी ।

(ख) इन पार्टियों द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दिए गए अपने आवेदन पत्रों में दिखाई गई रोजगार की संभावनाओं में इतना बड़ा अन्तर है कि कोई सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । चूंकि यह निर्माण की एक नई लाईन और देश में अभी तक ऐसी कोई यूनिट स्थापित नहीं हुई है, अतः इस समय यह कहना कठिन होगा कि इस में रोजगार की सम्भावना क्या होगी और यदि निर्यात किया गया तो इसके उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ।

(ग) और (घ) : उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को प्रतिवर्ष 100,000 टन स्पंज लोहा बनाने के लिए 8-9-70 को एक आशय-पत्र दिया गया है । श्री आर० एम० सी० अतलुरी के आवेदन पत्र को उन से मांगी गई अतिरिक्त आवश्यक सूचना के न मिल पाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है । दूसरे आवेदन पत्र विचाराधीन है ।

दिल्ली के क्लबों में श्रमिक संघ

636. श्री शशि भूषण : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में जिमखाना क्लब और चेम्सफोर्ड जैसे क्लबों में श्रमिक संघ के बारे में कोई कानून बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या लाखों घरेलू कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कोई कानून बनाने का सरकार ने निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो ये विधेयक कब तक पुरःस्थापित किये जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में एक संशोधन विचाराधीन है ताकि ऐसे श्रमिक उसकी परिधि में लाए जा सकें ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये गर्म कपड़े

637. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आने वाली शरणार्थी स्त्रियों और बच्चों के पास कपड़े नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो आगामी सर्दी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुये, उन्हें कपड़े उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) यह कहना बिलकुल ठीक नहीं होगा कि बंगाल देश से आने वाली महिलाओं तथा बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। भारत में स्थानीय जनता के गरीब वर्ग के लोगों के कपड़ों से उनकी महिलाओं तथा बच्चों के कपड़ों की तुलना की जा सकती है।

(ख) उन्हें एक सेट सूती कपड़े देने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा 12 साल तक के बच्चों को अभी स्वेटर या बण्डियां दी जा रही हैं। वयस्कों को ऊनी या सूती एक कम्बल दिया जा रहा है परन्तु प्रति परिवार तीन से अधिक कम्बल नहीं दिये जाते। कम्बलों की प्राप्ति के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा कार्यवाही की गई है।

P.M'S Visit to U.S.S.R.

638. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Prasannbhai Mehta :

Shri P. Gangadeb :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister visited U.S.S.R. in September, 1971; and

(b) if so, the outcome of the talks held between the Prime Minister and the Soviet leaders in connection with Bangla Desh issue and the refugees problem ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The relevant portion of the joint statement issued at the conclusion of the visit is placed on the Table of the House.

Copy of Joint Statement Referred to in Reply to Part (b) of Lok Sabha Unstarred Question No. 638 for 18.11.71

The two sides paid primary attention to the development of the situation in Asia, to the hotbeds of tensions and military conflicts existing there, to the discussion of ways to stop and prevent the acts of aggression and to consolidate the foundations of peace on the Asian continent.

The two sides expressed their concern over the grave situation which has arisen on the Indian subcontinent as a result of the recent events in East Bengal and declared their determination to continue efforts aimed at the preservation of peace in that region.

The Prime Minister of India informed the Soviet side that the presence in India of over nine million refugees from East Bengal had engendered serious social and political tensions and economic strains in India. This has caused a considerable setback to the socio-economic programme of India.

The Soviet side highly appreciated India's humane approach to the problem created by the influx of these refugees from East Bengal and expressed its understanding of the difficulties confronting friendly India in connection with the mass inflow of refugees.

The Soviet side took into account the statement by the Prime Minister that the Government of India is fully determined to take all necessary measures to stop the inflow of refugees from East Bengal to India and to ensure that those refugees who are already in India return to their homeland without delay.

The Soviet side reaffirmed its position regarding the problem of refugees and other questions which have arisen as a result of the events in East Bengal as laid down in the appeal of the Chairman of the Presidium of the USSR Supreme Soviet N. V. Podgorny to the President of Pakistan Yahya Khan on the 2nd of April, 1971.

Taking note of the developments in East Bengal since 25 March, 1971, both sides consider that the interests of the preservation of peace demand that urgent measures should be taken to reach a political solution of the problems which have arisen there paying regard to the wishes, the inalienable rights and lawful interests and of the people of East Bengal as well as for the speediest safe return of the refugees to their homeland in conditions safe-guarding their honour and dignity.

Taking into account the seriousness of the situation which has developed in the Indian sub-continent the two sides agreed to maintain further mutual contacts and to continue to exchange views on the questions arising in this connection.

वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता

639. श्री एम० कतामुतु :

श्री भोगेंद्र झा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य को पूर्ण राजनैतिक मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) वियतनाम लोक गणराज्य से अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने के प्रश्न पर भारत सरकार बराबर विचार करती रहती है। यह किस रूप से और किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस पर अभी विचार हो रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदी के कारण व्यर्थ हुए कार्य-दिवस

640. श्री दशरथ देव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों और तालाबन्दी के कारण कितने कार्य-दिवस व्यर्थ गये; और

(ख) उसके प्रमुख कारण क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1970 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हानि हुए कार्य-दिनों की संख्या 205.6 लाख थी।

(ख) विवाद मुख्यतः मजदूरी और भत्तों, बोनस, अभिकथित अनुशासनहीनता और हिंसा तथा कार्मिक मामलों से सम्बन्धित विषयों के बारे में थे।

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये भूमि की खरीद

641. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन बिहार क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने हेतु भूमि खरीदने का मामला 10 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में भूमि अर्जित करने के लिए या खरीदने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी पार्टियों को दिए जाने वाले अत्यधिक किराये को ध्यान में रखते हुए सरकारी भवन बनाने हेतु राज्य सरकार अथवा पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से भूमि आवंटित करने के लिये अनुरोध किया गया है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) से (ग) कार्यालय के भवन के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए काफी समय से प्रयास किए गए हैं। कार्यालय भवन के लिए उपयुक्त भूखण्ड बेचने की आफर आमंत्रित करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए हैं। परन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नगर सुधार न्यास से भी उपयुक्त भूखण्डों के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया। परन्तु कोई उचित आफर प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार से उपयुक्त भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निरीक्षणालयों की खराब दशा

642. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ को छोड़कर भारत भर में सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निरीक्षणालयों की दशा बहुत खराब है और वहां न कोई लिपिक और चपरासी है और न ही टेलीफोन है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यालयों की अवस्था सुधारने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस निधि के सदस्यों और कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों से जो भी सभी राज्यों में दूर-दूर स्थित है, प्रपत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, इन्हें केन्द्रीय स्थानों में स्थित करने पर विचार किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क), (ख) और (ग) : आम तौर पर प्रत्येक दो भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड-1 और 2) के लिए एक लिपिक की और प्रत्येक स्थान पर भविष्य निधि निरीक्षक के लिए चपरासी की व्यवस्था की जाती है। टेलीफोन का कनेक्शन देने के प्रश्न की गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है। इस समय, संगठन के निरीक्षणालय कार्यालय उपयुक्त स्थानों पर स्थित हैं और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भागलपुर में रेशम कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना का विस्तार

643. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर जिले में रेशम कारखाने और अन्य कुटीर उद्योग बहुत बड़ी संख्या में स्थित है, और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से अनेक कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू नहीं है और जिसमें यह योजना लागू भी है वहां भी इसका पूरी तरह पालन नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या एक इन्सपेक्टर नियुक्त करने की वांछनियता पर विचार किया गया है जिसका मुख्यालय भागलपुर में हो, जैसाकि चार वर्ष पूर्व किया गया था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बताया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसे यथा-समय सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

गंगानगर जिले में निष्क्राम्य कृषि भूमि के हरिजन अलाटियों द्वारा भुगतान

644. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला गंगानगर (राजस्थान) में अर्जित निष्क्राम्य कृषि भूमि के कई गैर दावेदार एशिया तथा अन्य अलाटी उन्हें अलाट की गई भूमि की कीमत अदा करने के लिए दावेदार लोगों से मिल गये हैं;

(ख) क्या पुनर्वास विभाग उनके इस प्रकार मिल जाने की बात नहीं मान रहा है क्योंकि मंत्रालय द्वारा इस की प्रयोजनार्थ अवधि बढ़ाई नहीं गई है; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या ऐसे अलाटियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस प्रकार की गई साझेदारी की समय सीमा को बढ़ाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 76 (ए) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने मुआवजा पूल की सम्पत्तियों के अलाटियों या खरीददारों या ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें 'लोक देय' का भुगतान करना था, इस प्रकार की सम्पत्ति या लोक देय की राशि का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के सत्यापित दावे के मुआवजे के भुगतान के समंजन द्वारा करने के अधिकार दे दिये गये थे। इस सुविधा की अन्तिम छूट 30 जनवरी, 1970 तक दी गयी थी। ऐसे विस्थापित व्यक्ति जिन्होंने उनको देय मुआवजे के भुगतान की राशि का अभी तक प्रयोग नहीं किया है वे शुद्ध देय मुआवजे का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। यदि गैर दावेदार हरिजनों और अन्य अलाटियों ने अपने एसोसियेशन पेपर्स 30-1-1970 तक दाखिल कर दिये हैं तो उनको अलाट की गयी भूमि के मूल्य को भुगतान करने के लिये जिन व्यक्तियों के सत्यापित दावे हैं, आवश्यक समंजन की अनुमति दे दी जायेगी। इस सुविधा की और छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीन के साथ बात-चीत

645. श्री वनमाली पटनायक :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ वार्ता करने के लिए भारत के प्रयासों का कोई परिणाम निकला है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) (ख) और (ग) भारत के प्रति चीन के रवैये में कुछ सुधार हुआ है। सम्बन्ध सुधारने की दशा में हमने कुछ विशेष सुझाव चीन के पास भेजे हैं और हम उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चीन की प्रतिक्रिया के आधार पर, अगले उचित कदम उठाये जायेंगे।

मुख्य औद्योगिक उपक्रमों में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण जन-दिवसों की हानि

646. श्री वनमाली पटनायक :

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मुख्य औद्योगिक उपक्रमों में हड़तालों और तालाबन्दी के परिणाम-स्वरूप 13 लाख जन-दिवसों की हानि हुई थी;

(ख) हड़तालों और तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में अब तक गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने जन-दिवसों की हानि हुई;

(ग) उन पर नियंत्रण के लिए क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले तथा किन मामलों में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) उनमें हड़तालों और तालाबन्दियों को रोकने और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हड़ताल-मुक्त अवधि बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1970 के दौरान 1,000 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 135.6 लाख थी ।

(ख) जनवरी से अगस्त 1971 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रमदिनों की संख्या 73.6 लाख (अनन्तिम) थी, जब कि इसकी तुलना मे 1970 की तदनुरूपी अवधि में हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 105.8 लाख थी ।

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्यों के औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के, वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वेच्छिक व्यवस्थाओं के अधीन आवश्यक अनौपचारिक मध्यस्थता, समझौते, न्यायनिर्णय अथवा पंच फैसले के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में कामबंदियों को कम करने के प्रयास जारी हैं । 1970 के दौरान, केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के अधिकारी एक तालाबंदी और 440 आशंकित हड़तालों में से 401 हड़तालों को रोकने में सक्षम हुए । 1970 के दौरान, केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के अधिकारियों की मध्यस्थता से 184 हड़तालें वापस ले ली गई । जहां उचित समझा गया, केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने में भी अपनी सहायता देता रहा । इसका हाल ही का एक उदाहरण इस्पात उद्योग में द्विपक्षीय समझौता है जो इस प्रयोजन के लिए प्रति-नियुक्त केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के एक अधिकारी द्वारा कराया गया । औद्योगिक सम्पर्क प्रणाली में सुधार लाने हेतु स्वीकृत उपाय निकालने के लिए सरकार सम्बन्धित पक्षों से भी, जिनमें श्रमिक और नियोजकों के संगठन शामिल हैं, विचार-विमर्श करती रही है ।

एक उद्योग के लिए एक ही श्रमिक संघ

647. श्री बनमाली पटनायक :

श्री पी० एम० मेहता :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक उद्योग के लिए एक ही श्रमिक संघ रखने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): स्वेच्छिक अनुशासन संहिता में, एक प्रतिष्ठान या उद्योग में एक यूनियन की मान्यता के लिए पहले से ही व्यवस्था है । तथापि, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने प्रतिष्ठान या उद्योग में बहुमत यूनियन को अनिवार्य रूप से मान्यता देने की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय विधान को सिफारिश की थी । इस सिफारिश पर स्थायी श्रम समिति द्वारा जुलाई, 1970 में हुए अपने 29वें अधिवेशन में विचार किया गया । परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही स्थगित कर दी, क्योंकि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा ने पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा मान्यता के समस्त प्रश्नों पर स्वीकृत मतैक्य प्राप्त करना था । अक्तूबर, 1971 में हुए 27वें भारतीय श्रम सम्मेलन में, इन संगठनों के

प्रतिनिधियों ने अपने विचार-विमर्श पूर्ण करने के लिए छः मास की और अवधि की माँग की, जो उन्हें दे दी गई ।

कोकिंग कोयला खानों के हस्तान्तरण के समय घटी अप्रिय घटनाएं

648. श्री निहार लास्कर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 214 कोकिंग कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेते समय बिहार तथा अन्य स्थानों पर अप्रिय घटनाएं घटी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी, नहीं । कोककर कोयला खानों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने का कार्य साधारणतः ठीक था ।

विदेशी सरकारों की भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश

649. श्री निहार लास्कर :

श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो बंगला देश के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस समस्या के कब तक सुलझ जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी सरकारों को यह स्पष्ट बता दिया है कि बंगला देश की समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों और दिसम्बर 1970 में निर्वाचित पूर्व बंगाल के प्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक समझौता हो जाए । इसलिए, अगर मध्यस्थता का प्रश्न उठता भी है तो वह इन्हीं दोनों पक्षों के बीच होगा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं ।

(ग) सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान के शासक बंगला देश के प्रतिनिधियों के साथ अविलम्ब कोई राजनीतिक समाधान खोज लेंगे ।

रूस द्वारा बंगला देश के मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश

650. श्री निहार लास्कर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने बंगला देश के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है;

(ख) क्या रूस ने दोनों देशों में बात-चीत आरम्भ कराने के उद्देश्य से बहुत से प्रस्ताव रखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शिविरों में बंगला देश के शरणार्थी

651. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों के शिविरों के आस पास में रहने वाले स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या शरणार्थियों को शिविरों के अहाते से बाहर रोजगार के अवसर ढूंढने की इजाजत है;

(ग) शिविरों में रहने वाले लोगों में राशन, कपड़ा, औषधि आदि के समुचित वितरण के संबंध में यदि कोई असंतोष है तो वह क्या है; और

(घ) क्या प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य की वैधता के प्रश्न पर रोष और हिंसा की कोई घटना घटित हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यदि पूर्ण रूप से देखा जाये तो स्थानीय जनता में शरणार्थियों के प्रति सहचारिता तथा सहानुभूति की भावना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) शिविरों में रहने वालों में असन्तोष की किसी बड़ी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) कुछ शिविरों में शरणार्थियों के एक छोटे से वर्ग द्वारा अनुशासनहीनता तथा प्रशासनिक अधिकारियों की अवज्ञा के कुछ मामले हुए हैं। ऐसे मामलों को शिविर कमाँडरों द्वारा सन्तोषजनक रूप से हल कर दिया गया है और स्थिति को स्थानीय प्रशासन की सहायता से नियंत्रण में कर लिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में तांबा तथा हीरों का निक्षेप

652. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तांबा तथा हीरों जैसे मूल्यवान खनिज पदार्थों के हाल में नए निक्षेपों का पता लगा हैं; और

(ख) यदि हाँ, इन निक्षेपों से उक्त पदार्थ निकालने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आन्ध्र प्रदेश में किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप बन्डालामोट्टू में 1.20 लाख टन, नत्लाकोण्डा खण्ड में 49.10 लाख टन और धुकोण्डा खण्ड में 2154 लाख टन ताम्र अयस्क की उपलभ्य राशियां उपदर्शित हुई है। जनवरी 1969 से 16 जुलाइ 1971 के मध्य अनन्तपुर जिले के वज्रकूरर क्षेत्र में नलिका चट्टान से अभिप्राप्त प्रपुन्ज नमूनों से धातु को व्यवहारित करने से कुल 22.42 कैरेट वजन के 21 हीरे उपलब्ध हुए हैं। इन में से एक हीरे का वजन 9.456 कैरेट है।

(ख) ताम्र अयस्क के, जिसे कार्यस्थल पर संकेन्द्रित और खेतड़ी प्रद्रावक में प्रद्रावित किया जाएगा, 500 टन प्रति दिन के उत्पादन के लिए एक परियोजना तैयार करने की दृष्टि से, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने नत्लाकोण्डा ताम्र निक्षेप पर एक समन्वेषी खनन परियोजना प्रारम्भ की है। धुकोण्डा निक्षेप नत्लाकोण्डा के समीपस्थ है और इसका विकास नत्लाकोण्डा खण्ड के विकास के सहयोजन से करना प्रस्तावित है। इस प्रयोजनार्थ परियोजना तैयार की जा रही है।

वज्रकूरर क्षेत्र की नलिका चट्टान में हीरक विस्तार प्रमाणित करने के लिए अन्वेषण प्रगति पर हैं। इस कार्य की 1973 तक संपूरित होने की परिकल्पना है।

भारतीय श्रम सम्मेलन

654. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री पी० एम० मेहता :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 22/23 अक्तूबर, 1971 को हुए, भारतीय श्रम सम्मेलन का क्या परिणाम रहा;

(ख) क्या आई० एन० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० और ए० आई० टी० यू० सी० से औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के प्रश्नों पर कोई सहमति प्राप्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें बिना और विलम्ब किए स्वीकार करेगी;

(घ) क्या उपदान और तालाबन्दी सूचना सम्बन्धी अखिल भारतीय विधान बनाया जाने वाला है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सम्मेलन के निष्कर्षों की एक प्रति संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1026/71)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में 27 वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

अमरीका में भारत विरोधी प्रचार

655. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी 'न्यूयार्क टाइम्स' और अमरीका के अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले संदत्त विज्ञापनों (पेड एडवरटाइजमेन्स) की जानकारी है जिनमें सिक्खों के लिए पृथक राज्य की मांग की गई है और लिखा है कि भारत में सिक्खों को नरसंहार का खतरा है;

(ख) क्या इस प्रकार के विज्ञापन जसवन्त सिंह चौहान के नाम से प्रकाशित किए गए है; और

(ग) अमरीका में इस शरारत भरे प्रचार का जवाब देने के लिए और इस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह शरारतपूर्ण योजना, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह किसी दूसरे देश द्वारा प्रेरित थी, जरा भी सफल नहीं हुई है। 13 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र की इमारत के सामने प्रदर्शन के आह्वान पर आधे दर्जन लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। भारत में और विदेश में सिक्ख समुदाय ने इस शरारतपूर्ण विज्ञापन पर कतई ध्यान नहीं दिया। डा० जगजीत सिंह की गतिविधियों पर गैर सरकारी प्रतिक्रिया हमारे लोगों की दृढ़ता की परिचायक है जो इस तरह के कारनामों से पथभ्रष्ट नहीं होते। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आगे और क्या कार्रवाई करने की जरुरत हैं।

हनुमान बिस्कुट फैक्ट्री, मारूफगंज पटना में कर्मचारी भविष्य निधि योजना को लागू किया जाना

656. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना शहर में मारूफगंज स्थित हनुमान बिस्कुट फैक्टरी कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत नहीं आती है यद्यपि वहां 70 से अधिक कर्मचारी कार्य करते है और यह अपना प्रारम्भिक काल समाप्त कर चुकी है;

(ख) क्या क्षेत्री भविष्य निधि आयुक्त के एक अधिकारी ने उक्त फैक्टरी का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो बीत चुकी तारीख से फैक्टरी को कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार

पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बताया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

बिहार में हजारीबाग, की अभ्रक खानों और कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना को लागू न किया जाना

657. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला हजारीबाग (बिहार) की कई अभ्रक खानों और कारखानों तथा गिरिडीह सब-डिवीजन में ही लगभग 100 कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की सीमा में आने वाले जिला हजारीबाग के इन अभ्रक कारखानों और खानों में बीत चुकी तिथियों से यह योजना लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बताया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

भारत काफी हाउस, पटना में कर्मचारी भविष्य निधि योजना

658. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित भारत काफी हाउस कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं आता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वहां अपेक्षित संस्था से अधिक कर्मचारी हैं और काफी हाऊस का आरम्भिक काल बहुत समय पहले पूरा हो चुका है परन्तु इस पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो यहां कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू न होने क्या के कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं हैं। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बताया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसे यथा-समय सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

कोककर कोयला खानों को सरकारी नियन्त्रण में लेने के बारे में तकनीकी परामर्शदाताओं का प्रतिवेदन

659. श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कोककर कोयला खानों को सरकारी नियन्त्रण में लेने सम्बन्धी तकनीकी परामर्श-दाताओं, जिनकी विशेषज्ञ राय सरकार ने मांगी थी, के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सरकार ने विगत समय में कोककर कोयला खानों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने के लिए किसी तकनीकी परामर्शदाता की विशेषज्ञ सलाह प्राप्त नहीं की थी, तथापि अनेक समितियों ने, जिन्होंने 1937 के बाद में कोयला उद्योग की समस्याओं का परीक्षण किया है, बंगाल बिहार क्षेत्र की कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी ।

विक्टरी कोयला खान तथा नीमचा कोयला खान द्वारा मजदूरों के वेतन को रोकना

660. श्री मुहम्मद इस्माईल :

श्री रोबिन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 27 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्टरी कोयला खान (एम) ग्रुप और नीमचा कोयला खान करनारी मैनेजमेंट रानीगंज बर्दमान द्वारा कई महीनों से मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मजदूरों को उनके वेतनों का भुगतान कराने के लिए कोयला खानों को बाध्य करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) विक्टरी कोलियरी ने श्रमिकों को बकाया देय राशियों का भुगतान कर दिया है, जबकि नीमचा कोलियरी ने, जोकि 26-4-1971 से बन्द कर दी गई है, श्रमिकों को देय राशियां नहीं दी हैं ।

(ख) (i) कोलियरी मजदूर सभा ने नीमचा कोलियरी के प्रबन्धकों के विरुद्ध अदा न की गई मजदूरी की वसूली के लिए सीधे दावा प्रार्थना पत्र दायर कर दिया है ।

(ii) भुगतान न किए गए तिमाही बोनस के बारे में संघ से श्रमिकों के वक्तव्य भेजने के लिए कहा गया है ।

(iii) अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कोलियरी के निदेशक और मालिक के विरुद्ध मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है ।

दुर्गापुर स्थित ए० सी० सी० कर्मचारी संघ के कार्यालय की तालाबन्दी

661. श्री मुहम्मद इस्माईल : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 1 जुलाई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित ए० सी० सी० विकर्ज वेबकाक कर्मचारी संघ के कार्यालय में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा पुलिस ने तालाबन्दी की हुई है और संघ के सदस्यों को उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है; और

(ख) सरकार ने संघ कार्यालय का ताला खुलवाने तथा वहां संघ को अपना कार्य करने देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Indo-Soviet Joint Communique of August, 1971

662. **Shri G. P. Yadav :**
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Indo-Soveit Joint Communique issued in the month of August, last contained references to Vietnam and the programmes of the National Liberation Front but the problem of Bangla Desh and the programmes of the Awami League did not figure therein;

(b) whether even after the declaration of the Independence by the elected representatives and leaders of Bangla Desh, they have been described as Pakistanis in the communique; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy. Minister in the Ministry of Eeternal Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The problem of Bangla Desh had featured in the joint statement issued at the conclusion of the visit of the USSR Foreign Minister to New Delhi in August, this year.

The term " EAST PAKISTAN" in the joint statement refers to Bangla Desh. We have been consistently using the term "EAST BENGAL" or "BANGLA DESH", but other Governments have not yet accepted this terminology officially, though in unofficial conversations they are beginning to accept it. We are continuing our efforts but it will take some time to make other Governments agree to our terminology.

(c) The joint statement expressed the understanding reached by the two sides during the talks held during the above-mantioned visit.

Collabortion of Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. with Russia

663. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state;

(a) whether the Central Engineering and Design Bureau has been set up the Hindutan Steel Limited in collaboration with Russia;

(b) whether long term development and expansion schemes of ferrous industries and feasibility schemes for which adequate expertise is available in India, have been brought under this collaboration;

(c) whether even-non-ferrous industries like Bharat Aluminium have been compalled to accept the advice tendered by it; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) (a) & (b) No. Sir. The Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. was set up in

April, 1969. The member probably has in mind an agreement signed by Hindustan Steel Ltd. with Tiajpron export of the USSR. This was entered into in May, 1970. This agreement which is intended to strengthen the Central Engineering and Design Bureau to enable it to plan and design iron and steel Plants will help to bridge the gap that existed in this country in the know how relating to project engineering and design and engineering of equipment.

(c) & (d) : No, Sir. Bharat Aluminium Co. have selected Central Engineering and Design Bureau as their consultants for Korba Aliminium Smelter on the basis of its competence and experience.

New Process of Making Steel

664. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Steel Ltd. had sent the cheapest and revolutionary process evolved by Shri Iqbal Krishan Bharati for manufacturing steel to M/s Henrich Coppers of West Germany for going into its practicability and M/s Henrich Coppers had given their report in favour of that process;

(b) whether Government have been postponing their decision to put that process into use for the last two years; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) A Statement indicating the action taken is enclosed.

[Placed in the Library See No L. T—1027-71]

आंध्र प्रदेश में अग्नी गुंडाला लीड माइन्स में अपर्याप्त वातायन व्यवस्था

665. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह धातु खान विनियम 1961 का आंध्र प्रदेश की अग्नी गुण्डला लीड माइन्स में यहां तक उल्लंघन किया गया कि वहां पर पर्याप्त वातायन व्यवस्था भी नहीं है और मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए बाध्य किया गया था;

(ख) इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन खानों में पर्याप्त वातायन व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) जुलाई और अगस्त 1971 में खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा किए गए खानों के आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान संवातन बहुत कुछ संतोषजनक पाया गया। फिर भी प्रबन्धकों को संवावन में और सुधार करने की सलाह दी गई थी।

आंध्र प्रदेश के गुण्टुर जिले की अग्निगुण्डला खानों में काम का बन्द होना

666. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) विजयवाड़ा और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) हैदराबाद आंध्र प्रदेश के गुंटुर जिले की अग्निगुण्डला खानों का दौरा करने में असफल रहे जबकि उन्हें तार द्वारा यह सूचित कर दिया गया था कि श्रमिकों के एक वर्ग ने काम करना बन्द कर दिया है और उन्हें अवैध रूप से 9 जुलाई 1971 से 19 जुलाई 1971 तक ग्यारह दिन तक काम से अनुपस्थित दिखाया गया है;

(ख) क्या सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) विजयवाड़ा ने एक पंजीकृत मजदूर संघ द्वारा उनके ध्यान में लाई गई श्रमिकों की शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और अभी तक उसने उस कार्यस्थान का दौरा करने का प्रयास नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण उद्योग की श्रमिक समस्याओं के तुरन्त समाधान के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), विजयवाड़ा कार्य-स्थल पर गए थे और सम्बन्धित पक्षों से विचार-विमर्श किया था। परिणामस्वरूप, समझौते पर पहुँचने के विचार से पक्षों ने मामले पर पारस्परिक विचार-विमर्श करना स्वीकार कर लिया। संबंधित पक्षों के बीच आपसी बात-चीत अभी भी जारी बताई जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिक नेता को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का महाप्रबन्धक नियुक्त करना

667. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक श्रमिक नेता को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का महा-प्रबंधक नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या श्रमिक विवादों से बचने के लिए, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में श्रमिक नेताओं को नियुक्त करने के लिए सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी, हाँ। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के महा प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिए श्री बगाराम तुलपुले को चुना गया है।

(ख) सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्ति के बारे में सरकार की नीति व्यक्तियों को सभी स्रोतों से उनकी उपयुक्तता को देखते हुए लेने की है।

Firing in Mana Refugee Camp

668. Dr. Laxminarain Pandey : will the Minitser of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Police resorted to firing in Mana refugee Camp in Madhya pradesh in september, 1971;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Pro-Pakistani elements had a hand in the riots which broke out in Mana refugee camp during the said period ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir. One incident of firing by the Police took place on the 18th September, 1971.

(b) & (c) : There was some agitation among a cartain section of refugees over the quality of wheat which was issued as part of their daily ration; this led to disturbance and breach of peace in the camp. A magisterial enquiry was ordered by the Collector, Raipur, on 18. 9. 1971. The enquiry is in progress since 11th October, 1971. The findings of the enquiry will probably disclose who were directly or indirectly responsible for the disturbances.

Production in new steel plants

669. Dr. Laxminarain Pandey :
Shri R. V. Bade :

Willen the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the time by which the steel plants at Visakhapatnam, Hospet, Salem and Bokaro will start production and the initial production capacity of each plant;

(b) the estimated cost of machinery installed in each plant; and

(c) the quantity of steel likely to be produced in the said steel plants annually ?

The Minister of state in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) : The new steel plants to be astablished near Visakhapatnam Hospet (named 'Vijayanagar Steel plant') and Salem are still in the planning stage. The Techno-economic Feasibility Reports in respect of these projects are expected shortly. The Feasibility Reports would bring out the tentative time schedules for commissioning the new steel plants, the cost estimates and production capacities. The Visakhapatnam and Vijayanagar Steel Plants are being planned for a production capacity of about two million ingot tonnes each of mild steel and the Salem Plant for 250,000 ingot tonnes of special steels.

The erection of the first blast furnace at Bokaro is scheduled to be completed by December, 1971. Every effort is being made to complete the erection of Stage I of Bokaro Steel Plant with a capacity of 1.7 million ingot tonnes by March, 1973. The cost of the plant and equipment to be erected in the first stage at Bokaro is estimated at about Rs. 525. crores.

Persons Registered with Employment Exchanges.

670. Dr.Laxminarain Panday: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased ot state :

(a) the number of persons registered for employment with the various employment exchanges in the conutry during the last year;

(b) the percentage increase registered in their number in comparison with the previous year; and

(c) the percentage of educated and uneducated persons out of those registered for employment ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R. K. khadilkar) (a) During the calendar year 1970 the number of persons registered with the employment exchanges was 45,15,934,

(b) 7.5%.

(c) Percentages of educated (Matriculates and above) and uneducated work-seekers to the total number are 44.1 and 55.9 respectively.

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता

671. श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री मुख्त्यार सिंह मलिक :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यह सहायता हमारी आवश्यकताओं को कहाँ तक पूरा करेगी; और

(ग) बंगला देश के शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) सरकार को विदेशों से 10.78 करोड़ रु० की नकद सहायता प्राप्त हुई है। नकद सहायता के अतिरिक्त, सरकार ने विदेशों से सामान के रूप में खाद्य सामग्री (चावल, खाने का तेल, चीनी) आश्रय स्थान सम्बन्धी सामग्री, गाड़ियां चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुएं आदि भी प्राप्त की हैं। अब तक प्राप्त वास्तविक विदेशी सहायता, जिसमें नकद भी शामिल है, लगभग 50 से 55 करोड़ रु० है। शेष इस समय समुद्री मार्ग से आ रही है और आशा है कि कुछ महीनों में प्राप्त हो जाएगी।

(ख) और (ग) अब तक प्राप्त सहायता या वचनबद्ध सहायता से हमारी कुल आवश्यकता की केवल आंशिक पूर्ति ही होगी। इसलिए इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से सरकार को अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए नए कर लगाने और योजना तथा गैर योजना खर्च में कमी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के हाई कमिश्नर और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया गया है कि शरणार्थियों के राहत कार्यों के लिए अधिक विदेशी सहायता एकत्रित करने के लिए नए और निरन्तर प्रयत्न किए जायें।

बोनस के विषय में त्रिपक्षीय वार्ता

672. श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री सेज्जियान :
श्री अन्नत राव पाटिल :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोनस की कम से कम सीमा में वृद्धि करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) इस मामले पर हाल ही में त्रिपक्षीय भारतीय-श्रम सम्मेलन द्वारा विचार-विमर्श किया गया। नियोजकों के प्रतिनिधि न्यूनतम बोनस बढ़ाने की मांग के विरुद्ध थे यह सामान्य रूप से महसूस किया गया कि बोनस की सम्पूर्ण योजना का एक समिति द्वारा, जो द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय हो सकती है, पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है।

नागालैंड में सैनिक कार्यवाही को रोकना

673. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड में सैनिक कार्यवाही को रोकने की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे कब तक बढ़ाते रहने का विचार है; और

(ग) इस मामले को स्थाई रूप से हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कार्यवाही बन्द रखने के समझौते की अवधि बढ़ाने तथा इसकी अवधि निर्धारित करने का निर्णय नागालैंड के राज्यपाल द्वारा वहां वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।

(ग) नागा समस्या 1960 में नागा नेताओं के साथ सुलझ गई थी। नागालैंड की जनता ने इस हल की संपुष्टि विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कर दी थी। छिपे नागाओं के साथ आगे राजनीतिक बातचीत करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। फिर भी भारतीय नागरिक के रूप में नागा लोग नागालैंड के राज्यपाल एवं नागालैंड की सरकार को नागालैंड की खुशहाली के लिए कोई भी सुझाव देने के लिए स्वतन्त्र है ।

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पूरे भुगतान वाले प्लाटों की रजिस्ट्री

674. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली स्थित विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में कुछ ऐसे मकान हैं जिनके सम्बन्ध में पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है परन्तु उनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ? उनके सम्बन्ध में भुगतान कब किया गया था और उनकी रजिस्ट्री न होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले हैं जिनके सम्बन्ध में दावों के माध्यम से बहुत पहले भुगतान

किया जा चुका था परन्तु उनके मालिकों का पता न लगने के कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और ऐसे मामलों में सम्पत्ति कर और पट्टे का किराया किससे वसूल किया जाता है और क्या सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने के बाद ऐसे प्लाटों को नीलाम करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी, हां।

(ख) कुल 298 मामले ऐसे हैं जिनमें नकद या मुआवजे के दावों के समंजन द्वारा विभिन्न तारीखों पर पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। ये मकान दिल्ली नई दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में स्थित हैं। बिक्री दस्तावेज इसलिये जारी नहीं किए जा सके कि रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाने पर भी खरीदार कागजातों का निष्पादन करने नहीं आ रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सम्पत्ति कर स्थानीय निकायों द्वारा उनकी अपनी विधि तथा पद्धति के अनुसार वसूल किया जाता है। ग्राउन्ड रेन्ट के बकाया की वसूली भूमि राजस्व के रूप में कल्कटर के माध्यम से की जाती है। ऐसी सम्पत्तियों के नीलाम का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में प्लाटों की नीलामी

675. श्री सतपाल कपूर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में अब तक कितने प्लाट निलाम किए गए हैं;

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में अभी भी कितने प्लाट नीलाम किए गए अथवा बेचे जाने शेष हैं;

(ग) इन प्लाटों के बेचे जाने में देरी करने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक बेचने का विचार है;

(घ) क्या कुछ लगे हुए प्लाटों को साथ वाले मकानों के मालिकों को एक निश्चित मूल्य पर बेचने की पेशकश की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है अर्थात ऐसे प्लाटों का क्षेत्रफल क्या है और इन प्लाटों को किस दर से बेचा गया है; और

(ङ) क्या सभी लोगों ने इस दर को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक धन राशि सरकार के पास जमा करा दी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1969, 1970 और 1971 के दौरान नीलाम किए गए प्लाटों की संख्या 313 है।

(ख) 1648.

(ग) उनमें से कुछ का नीलाम 1970 में किया गया था किन्तु नीलामों से जो मूल्य प्राप्त हुआ था उसकी आरक्षित मूल्य से तुलना की जानी थी और नीलाम से सम्बन्धित अन्य मामलों की जाँच की

जानी थी। इसलिए कुछ समय के लिए नीलाम स्थगित कर दिया गया था। इन प्लाटों का नीलाम फिर से चालू कर दिया गया है और इसे यथा सम्भव समय में निपटा दिया जायेगा।

(घ) जी, हां, बिक्री के लिए प्रस्तुत प्लाटों का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न होता है। जिन दरों पर प्लाट पेश किए जा रहे हैं वे विभिन्न स्थानों के लिए निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई वर्तमान बाजार दरें हैं।

(ङ) कुछ व्यक्ति जिन्होंने मकान और प्लाट खरीद लिए थे और जिन्हें पास वाली भूमि के टुकड़े देने की पेशकश की गई थी, उन्होंने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और उन्होंने पट्टे के कागजात प्राप्त कर लिए हैं। तथापि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाजार मूल्य लिए जाने पर आपत्ति प्रकट की है।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में अनधिकृत रूप से कब्जा किए गए प्लाटों को खाली कराया जाना

676. श्री सतपाल कपूर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास कालोनियों में अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये सभी प्लाटों को इस बीच खाली करा लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध विलम्ब से कार्यवाही करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कठोर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है और इन प्लाटों को कैसे निपटाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अनधिकृत कब्जेदारों ने जिन्हें बेदखली के नोटिस जारी किए गये थे प्लाट खाली नहीं किये हैं। अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली एक न्यायिक प्रक्रिया है और कभी कभी इसमें न्यायालयों में मुकदमेबाजी भी करनी पड़ती है। प्लाटों का निपटान नीलाम द्वारा 'जैसा है जहां है' के आधार पर किया जा रहा है।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में मकानों के लिये भुगतान

677. श्री सतपाल कपूर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास कालोनियों के ऐसे मकानों की संख्या तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिनका अब तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) उन उपरोक्त मकानों की संख्या क्या है जिनका अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है और जिन्हें सरकार ने अपने कब्जे में लेकर पुन: बेच दिया या नीलाम कर दिया है; और

(ग) उन मकानों के संबंध में सरकार का क्या कठोर कार्यवाई करने का विचार है जिनका पूरा भगतान अभी तक नहीं किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अभी 4848 मकानों का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। कालोनियों के अनुसार इनका विभाजन दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1028/71)

(ख) जिन 128 मकानों को पूरा भुगतान प्राप्त नही हुआ था उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया तथा फिर नीलाम द्वारा बेच दिया गया, परन्तु सरकार द्वारा इन मकानों का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया। इन मकानों को 'जैसा है जहां हैं' के आधार पर बेच दिया गया है।

(ग) उन मामलों में जिनमें एलाटी पुरा भुगतान नहीं करते बकाया चुकता करने के लिये सम्बन्धित एलाटियों को नोटिस दिये जाते हैं एलाटियों द्वारा ऐसा न किए जाने पर उन पर कब्जा कर लिया जाता है और नीलाम द्वारा बेच दिया जाता है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

678. श्री मुरासौली मारन :

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक उपकरण दिये हैं यद्यपि उन्होंने 25 मार्च 1971 को इस पर प्रतिबन्ध लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की निरन्तर सप्लाई पर भारत सरकार की गहरी चिंता से अमरीकी सरकार को विभिन्न स्तरों पर अवगत करा दिया गया है। 9 नवम्बर 1971 को अमरीकी सरकार ने यह घोषणा की है कि पाकिस्तान सरकार की सहमति से उन्होंने शेष अस्त्रों को भेजना और पाकिस्तान को सैनिक साज सामान भेजने के बकाया लाइसेंसों को रद्द करना स्वीकार कर लिया है। मजदूरों की हड़ताल की वजह से न्यूयार्क की गोदियों में 1,60,000 डालर के मूल्य का जो सामान पड़ा हुआ है वह इस निर्णय में शामिल नहीं है।

जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता देना

679. श्री एन० शिवप्पा :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो मान्यता देने के मार्ग में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और जर्मन जनगणतन्त्र के बीच सम्बन्धों में संतोषजनक प्रगति हो रही हैं। जैसा कि सदन को मालूम है, भारत और जर्मन जनगणतन्त्र ने पिछले वर्ष अपने अपने प्रतिनिधियों का दर्जा बढ़ाकर प्रधान कोंसलावास का कर दिया है। सरकार की इच्छा है कि उपयुक्त समय पर इन संबंधों को और सुदृढ़ किया जाए।

इंजीनियरिंग उद्योगों में इस्पात की कमी

680. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात तैयार करने के लिए कच्चे माल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजीनियरिंग उद्योग को इस्पात के कच्चे माल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) देश में निर्यात प्रधान इन्जीजियरिंग उद्योग को कच्चा माल सप्लाई करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) जी हां। देश में कई श्रेणियों के इस्पात की कमी है जिससे इन्जीनियरी उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) निर्यातोन्मुख इन्जीनियरी उद्योगों को मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात के माल की आपूर्ति इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। जिन श्रेणियों की देश में कमी है उनके लिए उदार आयात नीति अपनाई जा रही है। सितम्बर 1970 में आयात के लिए एक विशेष नीति की घोषणा की गई थी जो अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ साथ निर्यातोन्मुख इन्जीनियरी उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में थी। इस नीति के अधीन अधिकतर माल इसी वर्ष आयेगा। इस वर्ष किये जाने वाले आयात में भी इन आवश्यकताओं को पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान की गई है।

मद्रास गोदी श्रम बोर्ड का समाप्त किया जाना

681. श्री रतन लाल ब्राह्मण :

श्री इंद्रजीत गुप्त :

श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मद्रास गोदी श्रम बोर्ड को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कैसे; और

(ग) इसके कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड को 4 अक्तूबर, 1971 से चार मास की समयावधि के लिए निरस्त किया गया है । निष्प्रभावीकरण की समयावधि के दौरान, वे अधिकार और कार्य जो पहले मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा प्रयोग में लाये जाते थे या किये जाते थे, सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त एक विशेष अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाये जाएंगे या किए जाएंगे ।

(ग) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा हाल के अतीत में लिए गए अनेक निर्णय न केवल अनियमित और आपत्तिजनक दिखाई दिए, अपितु वे ऐसे हैं जो मद्रास के महत्वपूर्ण पत्तन के दक्ष एवं मितव्ययी परिचालन को बिगाड़ते हैं । तदनुसार, श्रम और रोजगार विभाग के एक संयुक्त सचिव को गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 6क(1) के अधीन मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के कार्य-संचालन की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । जांच अधिकारी की रिपोर्ट द्वारा प्रकट किये गए तथ्यों पर विचार करने पर बोर्ड को एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया जिसमें उसकी विभिन्न कमियां और भूलें सूचीबद्ध की गई हैं । सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नोटिस में निर्दिष्ट प्रत्येक कमी और भूल तथा बोर्ड में निहित अधिकारों के दुरुपयोग की घटनाएं सिद्ध हो चुकी हैं और यह कि बोर्ड ने अपने कार्यों के सम्पादन में लगातार दोष किया है । तदनुसार गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 6 ख की उप-धारा (1) के अधीन 4 अक्तूबर, 1971 को एक आदेश जारी किया गया और बोर्ड को चार मास की समयावधि के लिए निरस्त किया गया ।

बंगला देश के संबंध में रूस अल्जीरियन विज्ञप्ति

682. श्री समर गुह :

श्री एम० एम० जोजफ :

श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के मामले में रूस अल्जीरिया द्वारा की गई अद्यतन विज्ञप्ति में रूस सरकार के विचार दिल्ली में भारत रूस सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद तथा उसके बाद प्रधान मंत्री के वयस्कों के समय जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में जारी किए विचारों के विपरीत है;

(ख) क्या बंगला देश की समस्या के बारे में रूस अल्जीरिया विज्ञप्ति में व्यक्त की गई सरकार की नीति अमरीका की नीति जैसी है;

(ग) क्या सरकार ने रूस अल्जीरिया विज्ञप्ति के बारे में रूस सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त हुए उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अध्यक्ष कोसिगिन की अल्जीरिया की यात्रा के अंत में जो सोवियत अल्जीरियाई विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें बंगला देश के प्रश्न का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस विज्ञप्ति में भारत और

पाकिस्तान से यह सामान्य अपील की गई है कि उनके बीच जो समस्याएं हैं उनका वे शांति पूर्ण समाधान खोज लें। जैसा कि कई अवसरों पर स्पष्ट किया जा चुका है भारत सरकार बंगला देश के प्रश्न को भारत और पाकिस्तान के बीच की कोई समस्या नहीं मानती। प्रत्येक संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों हस्ताक्षर कर्त्ताओं के बीच जिन विषयों पर अधिकाधिक ध्यान दें उन्हें रखा जाता है और उनमें दोनों में से किसी भी पक्ष के सभी विचार अनिवार्यत: नहीं रहते।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) सोवियत सरकार ने यह कहा है कि सोवियत अल्जीरियाई विज्ञप्ति में जो उल्लेख है वह बंगला देश के प्रति सोवियत नीति में किसी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता जो कि भारत से भिन्न नहीं है।

उत्तरी कोरिया द्वारा पाकिस्तान को शास्त्रास्त्रों की सप्लाई

683. श्री समर गुह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तरी कोरिया सरकार के प्रतिनिधियों ने गुप्त रूप से पाकिस्तान की यात्रा की थी;

(ख) क्या उत्तरी कोरिया ने हाल ही में पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान की सप्लाई की थी;

(ग) यदि हाँ, तो उत्तरी कोरिया द्वारा पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सहायता देने तथा समर्थन करने के बारे में वस्तुस्थिति क्या है;

(घ) क्या उत्तरी कोरिया का दूतावास लगभग सभी भारतीय समाचार पत्रों में राजनीति से सम्बन्धित बड़े आकार के विज्ञापन प्रकाशित करा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तरी कोरिया द्वारा किए जा रहे देश के अन्दर तथा बाहर भारत विरोधी प्रचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस प्रकार की खबरें देखी है।

(ख) दिल्ली में कोरियाई लोक गणराज्य के प्रधान कोंसलावास ने आधिकारिक रूप से इस बात से इनकार किया है कि उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) कोरियाई लोक गणराज्य के प्रधान कोंसलावास द्वारा दिये गये अधिकतर विज्ञापन में राष्ट्रपति किम इल सुंग के जीवन, उनके भाषणों और विभिन्न अवसरों पर दिए गये वक्तव्यों के रूप में छपी हुई सामग्री के पुनुरुत्पादन की शक्ल में है।

(ङ) उत्तरी कोरिया के प्रधान कोंसलावास ने अधिकारिक तौर पर इस बात को मानने से इन्कार किया है, उन्होंने कोई भारत विरोधी कार्यवाही की है। सरकार स्थिति पर बराबर निगाह रखती है और जब कभी भी आवश्यक होता है उक्त प्रधान कोंसलावास के साथ उस मामले को उठाती है।

कोयला खानों को अधिकार में लेने सम्बंधी अध्यादेश जारी करने से पूर्व कोयला खानों द्वारा अपनी परिसम्पतियां हटा लेना

684. श्री समर गुह :

श्री रोबिन सेन :

श्री बरके जार्ज :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 214 कोककर कोयला खानों को अपने अधिकार में करने से पहले ही इनकी मशीनें, कोयले के भंडार, बैंकों में जमा राशियां तथा अन्य सम्पत्ति आदि हटा ली गई थी;

(ख) क्या उनको अपने अधिकार में लेने सम्बन्धी अध्यादेश जारी होने से पहले इन खानों के बहुत से अधिकारी स्थानान्तरित कर दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) सरकार की ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। उन खानों के अभिरक्षक, जिनका प्रबंध सरकार ने कोककर कोयला खान (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 के अधीन अपने अधिकार में लिया है, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अतः पूरे ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

निवेली लिगनाइट निगम में हड़ताल

685. श्री के० बालतण्डातुयम : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में निबेली लिगनाइट निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों ने क्या माँगें रखी थीं, और

(ग) क्या पुलिस ने 419 कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या का समाधान

686. डा० रानेन सेन :

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों की सुरक्षित और आदर सहित वापसी के लिए बंगला देश में आवश्यक स्थिति पैदा करने के सम्बन्ध में की गई भारतीय अपील पर अंतरोष्ट्रीय समुदाय में बड़ी ही धीमी प्रतिक्रिया हुई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भारत आये बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आमतौर से यह राय है कि पूर्व बंगाल से और शरणार्थियों के आने को रोका जा सकता है और इस समय भारत में जो पूर्व बंगाली शरणार्थी हैं वे तभी अपने घरों को लौटेंगे जबकि पूर्व बंगाल में किसी राजनीतिक समझौते से स्थिति सामान्य हो जाये।

(ख) सरकार इस बात के लिये कृत संकल्प है कि ये शरणार्थी अपने देश लौट जाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह मनवाने के लिये हर सम्भव स्तर पर प्रयत्न कर रही है कि वह पाकिस्तान के सैनिक शासन को जोर देकर इस बात के लिये राजी करे कि वह पूर्व बंगाल की जनता द्वारा पहले ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ इस उद्देश्य से कोई राजनीतिक हल ढूंढ निकाले।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का संशोधन

687. डा० रानेन सेन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में कोई ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत निधि में अपना अंशदान देने के अपराधी नियोजकों को कठोर दण्ड और कारावास का उपबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अपराध के मामलों में और अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये कुपोषण विरोधी कार्यक्रम

688. श्री एम० एम० जोजेफ : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थी बच्चों के लिये पूरक भोजन, कुपोषण विरोधी और चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रम को नौकरशाही और अधिकारियों में सहयोग की कमी के कारण आघात पहुंचा हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से विरोध पत्र

689. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने 30 सितम्बर, 1971 को एक विरोध पत्र भेजा था जिस में यह आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान उच्च आयोग के चार पूर्व बंगाली अधिकारी और उनके परिवार भारतीय अधिकारियों द्वारा अपहृत किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो विरोध पत्र का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तानी नोट और हमने उसका जो उत्तर भेजा है उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1029/71)

भारतीय उप महाद्वीप की तनावपूर्ण स्थिति कम करने के लिए मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का प्रस्ताव

690. **श्री सी० चिति बाबू** :

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थता करने के प्रस्ताव के साथ प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो पत्र का मसौदा क्या है; और

(ग) उन्हें भेजे गये उत्तर का ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 20 अक्तूबर 1971 को भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम एक एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और सुरक्षा के लिये बढ़ते हुए खतरे की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था और तनाव कम करने के लिये अपने सद्प्रयत्नों से काम लेने का प्रस्ताव किया था।

(ख) और (ग) महासचिव के पत्र की और उसकी हमने 17 नवम्बर को जो जवाब दिया था उसकी प्रतियाँ सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी०—1030/71)

पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी

692. **श्री राम कंवार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से भारत में पाकिस्तान की पश्चिमी ओर से भी शरणार्थी आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस बारे में 4 अक्तूबर, 1971 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जानकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रकाशित समाचार पंजाब सरकार के नोटिस में लाया गया है ।

कपड़ा उद्योग में बोनस सम्बन्धी विवाद

693. **श्री रामकंवर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिल मालिकों तथा मजदूरों के बीच बोनस निश्चित करने के सम्बन्ध में एक गम्भीर विवाद चल रहा है;

(ख) क्या नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच बोनस के मामले को निपटाने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो किए गये समझौते का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) कपड़ा तथा अन्य उद्योगों में उच्चतर बोनस की अदायगी के लिए माँगें की गई हैं । श्रम मंत्री ने 20 सितम्बर, 1971 को बम्बई में नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया । इस बैठक के बाद नियोजकों के दो प्रतिनिधियों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठन के एक प्रतिनिधि द्वारा, बोनस की सम्पूर्ण योजना की जांच करने हेतु स्थापित की जाने वाली समिति की सिफारिशों के आने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में 1 से 4-1/3 प्रतिशत तक अग्रिमों की अदायगी के लिए एक तदर्थ फार्मूला बनाया गया । केन्द्रीय श्रम मंत्री ने अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी नियोजकों द्वारा इस फार्मूले को अपनाए जाने की सिफारिश की है ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पश्चिम बंगाल में पुनर्वास के सम्बंध में निर्माण कार्य पुनर्विलोकन समिति का चौथा प्रतिवेदन

694. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से आये उन शरणार्थियों के सम्बन्ध में पश्चिम

बंगाल में पुनर्वास कार्य का पुनरावलोकन करने वाली समिति के चौथे प्रतिवेदन की जानकारी है जो पश्चिम बंगाल में सरकारी और अधिग्रहीत स्थानों पर रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश के अनुरूप उन्हें पुनर्वासित करने के लिए अब तक क्या विशेष व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या बी० ओ० आर० कैंप, टोलीगंज, जोधपुर (के-साइट) कैंप, लेक-बैरक और टोलीगंज रेलवे कालौनी के लिए कोई विशेष उपाय तुरन्त किये जा सकते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) (ख) और (ग) चतुर्थ रिपोर्ट में दी गई समीक्षा समिति की सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

(1) राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जेदार; और

(2) पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जेदार सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

समीक्षा समिति ने अपनी चतुर्थ रिपोर्ट में बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तिलक-नगर स्क्वैटर्स कालौनी के एक भाग के रूप में बी० ओ० आर० शिविर, टोलीगंज को अर्जित कर ने का निश्चय किया है जिससे शिविर के अनधिकृत कब्जेदारों को नियमित किया जा सके। तिलक नगर पूरक योजना के रूप में भूमि अर्जन करने के लिये अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है।

लैक बैरक पर बैठे 452 परिवारों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय ने पहले ही 17.41 लाख रुपये की मंजूरी जारी कर दी है।

जहाँ तक केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई शेष सम्पत्तियों का सम्बन्ध है, रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों से विचार करने का अनुरोध किया गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि

695. श्री प्रियरंजनदास मुंशी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इस वर्ष के पहले सात महीनों अर्थात अप्रैल से अक्तूबर 1971 में कुल 369,300 टन इस्पात पिंडों का उत्पादन हुआ जबकि गत वर्ष के पहले सात महीनों अर्थात अप्रैल से अक्तूबर 1970 में इस्पात पिंड का कुल उत्पादन 319,900 टन था। किन्तु गत वर्ष के पहले

सात महीनों में उत्पादित 261,000 टन विक्रेय इस्पात की तुलना में इस वर्ष पहले सात महीनों में कुल 251,700 टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन हुआ। इस प्रकार जहाँ इस्पात पिंडों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार हुआ है वहां गत वर्ष के मुकाबले में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कमी आई है।

(ख) विक्रेय इस्पात के उत्पादन में वृद्धि न हो सकने के मुख्य कारण कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्ध का संतोषजनक न होना तथा संधारण के बकाया काम हैं, जिससे कारखाने की क्रिटिकल यूनिटों पर प्रभाव पड़ा है।

बंगला देश को मान्यता देना

696. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री राम सहाय पाँडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को मान्यता देने के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) बंगला देश को मान्यता देने का प्रश्न बराबर विचाराधीन रहता है और उपयुक्त समय आने पर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

चीन के साथ संबंध

697. श्री श्यामनंदन मिश्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन में हमारे कार्यवाहक दूत को परामर्श के लिए बुलाया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने भारत के प्रति चीन सरकार की नीति में किसी परिवर्तन की सूचना दी है।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

पाकिस्तानी राजनयिकों का भारत से स्थानांतरण

698. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अपने 56 कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे अल्प सूचना पर पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार रहें;

(ख) क्या पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अपने कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण के कारण भारत को बताये हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान के लिए ऐसे स्थानान्तरण से पूर्व भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है,

(घ) क्या भारत सरकार ने अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है कि इस्लामाबाद से उतने ही भारतीय राजनयिकों को यहाँ वापिस बुलाया जाये जिससे हमारे कर्मचारियों को संकट के समय बंधक व्यक्ति रूप में न रखा जा सके ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार की अनुमति अब तक नहीं माँगी गयी है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

चीन भारत सीमा

699. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर 1971 के 'इण्डियन ऐक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीनी पत्रिका 'चाइना रीकन्स्ट्रक्श' ने प्रथम बार अपने सितम्बर मास के अंक में नक्शे के माध्यम से चीन भारत सीमा की व्याख्या करने का प्रयास किया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने काश्मीर, नेफा और अक्साइचिन में भारतीय सीमाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए नक्शे का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन नक्शों से चीनी विचारधारा में परिवर्तन के कोई संकेत मिलते हैं और यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने यह खबर देखी है।

(ख) जी हां।

(ग) इस नक्शे से चीनी विचार धारा में किसी तरह का कोई परिवर्तन होने का संकेत नहीं मिलता।

गोआ में लौह अयस्क और खनन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

700. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में सभी खान मालिकों ने लौह अयस्क और खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने लौह अयस्क और खनन उद्योग के लिए की गई केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ग) क्या अस्थायी, नैमित्तिक और ठेका श्रमिकों के सम्बन्ध में क्रियान्वयन अधिकारियों द्वारा कोई क्रियान्वयन रिपोर्ट तैयार की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : एक विवरण जिसमें उन खानों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है, संलग्न है।

(ग) क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, ये सिफारिशें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त ठेका-श्रमिकों के सम्बन्ध में इस आधार पर कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं कि ठेका-श्रमिक उनके कर्मकार नहीं हैं, क्योंकि उनमें मालिक और नौकर का सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार, नैमित्तिक मजदूरों और अस्थायी श्रमिकों को, जो सामान्यतः ठेकेदार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, लाभ नहीं दिये गये हैं।

विवरण

विवरण, जिसमें उन खानों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने कच्चा लोहा और खनन उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है।

क्रमांक	खानों के नाम
1.	तेलन माइन
2.	डान कोंड माइन
3.	विनचुडरेन माइन
4.	सक्टोलन माइन
5.	उनान्डा माइन
6.	बागातीमे माइन
7.	पनडावासोडा माइन
8.	कोलन माइन
9.	कुरपरेन माइन
10.	कोला पोला डोंगर माइन
11.	पटियाफल माइन

12.	देवचीम राइम माइन
13.	कुरनोल माइन
14.	चारनाल माइन
15.	निलातेंम्बो माइन
16.	जम्बीगल माइन
17.	क्यूलोन माइनज
18.	कोलाम्बा माइन
19.	पांडोवसोडा माइन
20.	मिनाटिल मुरडी
21.	चिरबंड माइन
22.	बितेल फाना माइन
23.	क्यूरड्रो डोंगोरवाडो
24.	डाबाल माइन

राज्यों में औद्योगिक विवाद

701. श्री एन० ई० होरो : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां औद्योगिक विवादों का श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1971 में सरकार को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ख) इन समस्याओं का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से सितम्बर, 1971 के दौरान औद्योगिक विवादों के कारण हुई कामबदियां, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जहाँ से अभी सम्बद्ध विवरणियाँ प्राप्त होनी हैं, सभी राज्यों द्वारा सूचित कर दी गई हैं। जनवरी से सितम्बर, 1971 के दौरान हुई कुल 1,436 कामबंदियों में से, जिनके सम्बन्ध में अन्तिम सूचना उपलब्ध है, 604 कामबंदियों के कारण अनुमानित हानि 29·58 करोड़ रुपये बताई जाती है।

(ख) औद्योगिक सम्पर्क तन्त्र के वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वेच्छिक व्यवस्थाओं के अधीन आवश्यक प्रारम्भिक विचार-विमर्शों, समझौते और न्यायनिर्णय या पंच-फैसले के माध्यम से कामबंदियों को कम करने के प्रयास जारी हैं; औद्योगिक सम्पर्क प्रणाली में सुधार लाने हेतु स्वीकृत उपाय निकालने के लिए सरकार सम्बन्धित पक्षों से भी, जिनमें श्रमिकों और नियोजकों के संगठन शामिल हैं, विचार-विमर्श करती रही है।

कर्मचारियों के कार्य घंटों में कमी करना

702. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों और कर्मकारों के कार्य घंटे एक सप्ताह में 48 घन्टों से घटा कर एक सप्ताह में 40 घंटे करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के कपड़ा मिलों में हड़ताल

703. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में अधिकांश कपड़ा मिल हड़ताल से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त हड़ताल के परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय हानि होने का अनुमान है;

(ग) उक्त हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कपड़ा मिल मालिकों ने कर्मचारियों की मांगें स्वीकार कर ली है और यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है। और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बिहार में लौह अयस्क और कोयला पर रायल्टी

704. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उसे राज्य की योजना हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए लौह अयस्क और कोयला पर रायल्टी की दर तथा खनिज विकास उपकर में वृद्धि करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। हाल ही में इस प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथापि, लौह अयस्क पर स्वामित्व का पुनरीक्षण सरकार के विचाराधीन है। मूल्यानुसार दर को प्रति टन आधार में परिवर्तन कर, वर्ष में पहले ही कोयले के बारे में अभिवृद्धि को भी अनुज्ञात किया जा चुका है। साधारण खनिज विकास उपकर को स्वीकार्य-योग्य नहीं पाया गया है।

बिहार में उपयुक्त खनिज अयस्कों का उपयोग

705. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में सामान्यतः तथा विशेषतः पालामाऊ जिले में छिपे पड़े विभिन्न खनिज अयस्कों का क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या पालामाऊ जिले में दबे पड़े खनिज अयस्कों को निकालने के लिए बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष है; और

(ग) यदि हां, तो उन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी ।

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर में तालाबंदी

706. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड बंगलौर ने हाल ही में तालाबन्दी की घोषणा कर दी है;

(ख) तालाबन्दी के क्या कारण हैं तथा इस तालाबन्दी का कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या तालाबन्दी वापस ले ली गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां, 21 सितम्बर, 1971 को ।

(ख) बंगलौर एकक में तालाबन्दी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या लगभग 4,000 बतलाई जाती है । प्रबन्धकों के कथनानुसार तालाबन्दी का कारण श्रमिकों द्वारा अनुचित हड़ताल और हिंसात्मक क्रियाकलाप थे ।

(ग) सौहार्दपूर्ण समझौते के बाद 1 अक्तूबर, 1971, की तीसरी पारी से तालाबन्दी वापस ले ली गई ।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना (मैसूर)

707. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना (मैसूर) के बारे में अनापत्ति पत्र देने वाली है; और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) मैसूर में कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के लिए विस्तृत प्रायोजन रिपोर्ट सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल के परीक्षणाधीन है ।

कार्यकारी दल की सिफारिशों की प्राप्ति पर प्रायोजना के बारे में विनिश्चय लिया जाएगा ।

Deposit of E. P- F. By Cloth Mills in Madhya Pradesh

708. Shri. Phool Chand Verma : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the Cloth Mills in Madhya Pradesh which have not deposited the amounts of Provident Fund of the workers as also the amount due from each Mill till the 31st October, 1971; and

(b) the action taken against those Mills and the outcome thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation(Shri R.K. Khadilkar) : (a) and(b) The administration of the Employees Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees Provident Funds and Family Pension ,Fund Act, 1952 and not the direct concern of the Central Goverment A statement showing the names of the unexempted Textile Mills in Madhya Pradesh which defaulted in payment of provident fund contributions of Rs. 1 lakh and above as on 30-6-71 together with ihe action taken to recover the amount as furnished by the Provident Fund authorities is attached. (Placed in the Library See No L. T 1031/71)

बोकारो इस्पात संयंत्र में कच्चे लोहे का उत्पादन

709. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की दिसम्बर, 1971 में कार्य आरम्भ करने वाली पहली धमन भट्टी कच्चे लोहे का उत्पादन करेगी जो कि देश में पहले ही अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या कच्चे लोहे का उत्पादन इस वर्ष बहुत ही अधिक मात्रा तक पहुंच जायेगा जब कि विशेषज्ञों के अनुसार इसके निर्यात की सम्भावना 'कम' है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कच्चे लोहे के उत्पादन को स्थगित करेगी अथवा अतिरिक्त कच्चे लोहे को उपयोग में लाने की व्यवस्था करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) वर्तमान निर्माण अनुसूची के अनुसार बोकारो की प्रथम धमन भट्टी का निर्माण दिसम्बर 1971 के अन्त तक पूरा हो जाएगा और इसे चालू करने में लगभग उसे 6 महीने लग जाएंगे । इस तरह बोकारो इस्पात कारखाने से वर्ष 1972-73 से ही कच्चा लोहा उपलब्ध हो सकेगा । यद्यपि हाल के महीनों में विश्व में कच्चे लोहे की मांग कुछ कम हो गई है, बोकारो में तैयार होने वाले कच्चे लोहे के लिए देश में तथा विदेशों में मंडियां ढूंढनी होंगी ।

बोनस का नकद भुगतान करना

710. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को

दिया जाने वाला 4 प्रतिशत बोनस नकद देने के लिए नियोजक बाध्य नहीं होंगे;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है जिससे नियोजकों को बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन स्वीकार्य बोनस से अधिक बोनस देने लिए बाध्य किया गया हो परन्तु अधिनियम में सम्मिलित योजना की पुनरीक्षा निबंबित रहने तक पक्षकारों के पास अग्रिमों के लिए एक तदर्थ फार्मूले की सिफारिश की गई है। कैसे मामले में अग्रिम दिए जाएं, इसका निर्णय पारस्परिक करार द्वारा किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बंगला देश के मामले में चीनी रूख में परिवर्तन

711. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश के मामले में चीन के रूख में परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को प्रसन्नता है कि चीन सरकार पूर्व बंगाल की समस्या के उचित समाधान का समर्थन करती है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीयों की गिरफ्तारी

712. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार द्वारा गत 6 महीने में पश्चिम पाकिस्तान में और बंगला देश में, अलग अलग कुल कितने पत्रकारों और अन्य भारतीयों को गिरफ्तार किया; और

(ख) उन्हें रिहा करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले छः महीनों में किसी पत्रकार या किसी अन्य भारतीय की पाकिस्तान सरकार द्वारा गिरफ्तारी का कोई मामला हमारी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोरिया का एकीकरण

713. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के एकीकरण की दिशा में हाल ही की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए 26 वीं महासभा की कार्य सूची "कोरिया के प्रश्न" को हटाने के लिए और दक्षिणी कोरिया में अमरीका के सैनिक कब्जे को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष कार्यसूची में कोरिया से संबद्ध तीन प्रश्नों पर विचार विमर्श अगले अधिवेशन तक के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

विदेशों में भारतीय दूतावासों में पाई गई अनियमितताएं

714. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अनियमितताओं और दुर्विनियोगों के कितने मामले पाए गए हैं;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले में स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में पिछले तीन वर्षों में दुर्विनियोगों के निम्नलिखित दो मामले पाए गए:—

I. ब्रिटेन स्थित भारत के हाई कमीशन में स्थानीय रूप से नियुक्त खजांची द्वारा 1.7 लाख रु० का गबन।

II. ब्रिटेन स्थित भारत के हाई कमीशन की डाक शाखा में स्थानीय रूप से नियुक्त दो कर्मचारियों द्वारा 5,240 पौंड का गबन।

(ख) ऊपर (I) में उल्लिखित मामला लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सिविल) 1970 के पृष्ठ 42-43 के पैरा 33 का विषय था। लोक लेखा समिति ने 21-9-70 की अपनी बैठक में इस पर विचार किया था और उनकी सिफारिश समिति की पहली रिपोर्ट (पांचवी लोकसभा) में दी गई है। इसके लिए निर्धारित कार्य विधि के अनुसार इस सिफारिश को क्रियान्वित किया जायेगा।

(II) ऊपर (II) में उल्लिखित मामला लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सिविल) 1969 अनुबंध 'एक' के पृष्ठ 149-50 में एक नोट का विषय था। गबन की गई कुल राशि वापस प्राप्त हो गई थी और दोषी कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया था।

(ग) राजनयिक प्रथा के अनुकूल इन मामलों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी।

रूमानिया से शंटर रेलवे इंजनों का आयात

715. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूमानिया से 14 शंटर रेल इन्जनों का आयात करने का प्रयत्न किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जहां तक इस्पात और खान मंत्रालय का सम्बन्ध है रूमानिया से कोई रेल इन्जन आयात करने का प्रयत्न नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीन-भारत सम्बंधों को सामान्य बनाने के लिए युगोस्लाविया की पेशकश।

716. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेलग्रेड (युगोस्लाविया) ने भारत और चीन के बीच परस्पर सम्बन्ध सुधारने हेतु पुनः बातचीत आरम्भ करने के लिए मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाओं की पेशकश की है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह अमरीका और रूस के बीच हाल ही में हुए परमाणु समझौते का परिणाम है; और

(घ) यदि हां, तो बेलग्रेड द्वारा की गई इस पेशकश के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात का उत्पादन

717. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात के उत्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं है ?

(ख) क्या कम उत्पादन के कारणों की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) देश में इस्पात के उत्पादन को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अप्रैल-अक्तूबर 1971 की अवधि में 5 मुख्य इस्पात कारखानों का इस्पात पिंड का उत्पादन 31 लाख टन था जबकि अप्रैल-अक्तूबर 1970 की अवधि में इनका उत्पादन 33 लाख टन था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मवूर रेयन कारखाना, कालीकट, जिला केरल के कर्मचारियों को जबरन छुट्टी देना ।

718. श्री एम० के० कृष्णन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिरला के मवूर रेयन कारखाना, कालीकट, जिला केरल के 3,500 कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दिलाये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को कारखाने के कर्मचारी संघ से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उनसे हस्तक्षेप करने तथा प्रबन्धकों की जबरन छुट्टी रद्द करने के बारे में कहने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : जी हां, ऐसी रिपोर्टें थीं, जिनमें श्रमिकों द्वारा 29 अगस्त, 1971 से की गई हड़ताल और प्रबन्धकों द्वारा 30 अगस्त, 1971 से की गई कारखानों की अनुवर्ती तालाबन्दी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था । चूंकी इस मामले में सम्बन्धित सरकार राज्य सरकार है, इसलिए यह मामला उसके ध्यान में लाया गया । समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, राज्य श्रम मंत्री की मध्यस्थता के कारण समझौते के बाद कारखाने में हड़ताल और तालाबन्दी समाप्त हो गई है ।

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी

719. श्री एस० पी० भट्टाचार्य : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के वास्तविक कारण क्या हैं; और

(ख) देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) देश में बेरोजगारी बढ़ने के कारणों में एक मुख्य कारण उपलब्ध किए गए अतिरिक्त नियुक्ति अवसरों की तुलना में हुई श्रम-शक्ति की वृद्धि है । सरकार द्वारा दिसम्बर, 1970 में नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति आजकल बेरोजगारी/अपूर्ण-रोजगार की समस्याओं पर समग्र रूप से विचार कर रही है ।

(ख) इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 970 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में दिनांक 7. 7. 1971 को सभा पटल पर रखे विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

संकटग्रस्त उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों के काम के घंटे ।

720. श्री एस० पी० भट्टाचार्य : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारखाना मंत्रणा सेवा तथा श्रमिक संस्थान, बम्बई के महानिदेशक से संकटग्रस्त उपक्रमों की सूची तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या संकटग्रस्त उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों के काम के घंटों में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने ऐसे श्रमिकों के कार्य-घंटों में तत्काल कटौती की सिफारिश की है जो हानिकर प्रक्रियाओं में नियोजित है या धुएं और गैसों से अनावृत हैं। सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार करली गई है और महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई को कहा गया है कि वे विभिन्न उद्योगों में ऐसी हानिकर प्रक्रियाओं की एक सूची तैयार करें जहां कार्य-घंटों में कटौती आवश्यक है।

दिल्ली में भवन निर्माण के लिए इस्पात की मांग

721. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 6 महीनों में निर्माण कार्यों के लिए दिल्ली में कुल कितने इस्पात की मांग की गई;

(ख) उक्त मांग किस हद तक पूरी की गई;

(ग) क्या इस्पात की कमी के कारण दिल्ली में भवन निर्माण के कार्यक्रम में बाधा आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का क्या विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक इस्पात प्रमुख उत्पादकों तथा पुनर्वेलकों से प्राप्त किया जा सकता है। अत: मांग की और उसकी पूर्ति की सीमा का कोई ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह ठीक है कि इस्पात की व्यापक कमी के कारण देश के अन्य भागों की तरह दिल्ली में भी निर्माण कार्यक्रमों पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा होगा।

(घ) इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इनमें उत्पादन व वृद्धि, निर्यात का नियमन, कमी वाले किस्मों के आयात में उदार नीति अपनाना शामिल है। जहां तक दिल्ली में भवन निर्माणकर्ताओं का प्रश्न है, तीनों प्रमुख उत्पादकों ने एक समिति गठित की है जो आवेदनों की छानबीन करती है और तीनों के दिल्ली में स्थित स्टाकयार्डों में उपलब्धि की स्थिति को ध्यान में रखकर समन्वित ढंग से आवंटन करती है।

छोटे प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को बोनस

722. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन छोटे प्रतिष्ठानों पर जिनमें कर्मचारिगों की संख्या 20 से कम है; बोनस कानून लागू करने के प्रस्तावों पर मंत्रालय विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) इस प्रकार की मांग की गई है और जब वर्तमान बोनस विधान की कोई पुनरीक्षा की जाएगी तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

मालिक-मजदूर समितियों का गठन

723. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार 100 अथवा इस से अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों में मालिक-मजदूर समितियों का गठन अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध संस्थानों की मान्यता प्राप्त यूनियनों को उक्त समितियों के श्रमिक-सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा तथा इस सम्बन्ध में उनकी सर्वसम्मत सिफारिशें प्रबन्धकों के लिए बाध्य होंगी; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) यह प्रस्ताव अन्य सम्बन्धित वाद-पदों सहित 22-23 अक्तूबर, 1971 को हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें सत्र के सामने रखा गया था; परन्तु समय के अभाव के कारण इस पर बहस न हो सकी ।

औद्योगिक एककों को बन्द करने के लिए सूचनावधि

724. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में ऐसे संशोधन करने पर विचार कर रही है जिसके अनुसार औद्योगिक एककों को अपने एकक बंद करने के बारे में सरकार को न्यूनतम अवधि की सूचना देना अनिवार्य होगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान संसद में कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना हे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित संशोधी विधेयक के संसद के चालू सत्र में पेश किये जाने की सम्भावना है ।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

725. श्री एच० के० एल भगत :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध बोर्डों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व के बारे में विस्तृत योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त प्रतिनिधित्व कब से दिया जायेगा;

(ग) उक्त योजना किन उपक्रमों में लागू की जा चुकी हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण जिसमें योजना के मुख्य लक्षण दिखाये गए हैं, संलग्न है।

(ग) सरकार ने योजना को हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में लागू करने का निश्चय किया है।

विवरण

योजना

जहां कहीं निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, श्रमिकों के प्रतिनिधि को सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल करने की योजना को लागू किया जाना है :—

(i) कि उपक्रम में, चाहे अनुशासन संहिता के अधीन अथवा कानून के अधीन, विधिवत् मान्यता प्राप्त संघ विद्यमान है;

(ii) कि मान्यता संघ के पदाधारी प्रधान रूप से उपक्रम के श्रमिक हैं।

(iii) कि श्रमिकों का निदेशक नियुक्त किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त संघ द्वारा प्रवर्तित प्रतिनिधि वास्तव में उपक्रम काम करता है;

(i) कि उपक्रम में प्रबन्धकों और मान्यता प्राप्त संघ के सम्बन्ध सौहार्द पूर्ण रहे हैं और उनके पीछे विवाद को आपस में सुलझाने की परम्परा है। (बहु एकक उपक्रम की हालत में, जिसमें केन्द्रीय प्रबन्धक बोर्ड हो, श्रमिकों के प्रतिनिधि का चयन बारी-बारी प्रत्येक प्लांट से किया जाना चाहिये, तथापि जहाँ प्लांटों में से किसी प्लांट में मान्यता प्राप्त कोई संघ न हो, वहां उस प्लांट के श्रमिकों की बारी नहीं आयेगी।)

2. मान्यता प्राप्त संघ को ऐसे तीन व्यक्तियों के नामों की नामिका पेश करनी होगी, जो विहित शर्तों और अहर्ताओं को पूरा करते हैं। निदेशक नामित करने हेतु सरकार उनमें से एक को चुनेगी।

3. मान्यता प्राप्त संघ द्वारा पेश की गई तीन की नामिका में शामिल किये जाने वाले व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के हो चुके होने चाहिए; उनकी उपक्रम में कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो चुकी होनी चाहिए; वे ऐसे श्रमिक होने चाहिए जो वास्तव में उपक्रम में कार्य कर रहे हो; निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने के समय उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनिर्णित न पड़ी हो; वे ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिये जो निदेशक के रूप में अपने कार्यालय के दौरान वार्धक्य की आयु को प्राप्त हो जाये; और जबकि उनके पास औपचारिक न्यूनतम अर्हता आवश्यक रूप से भले ही न हो, उन्हें उद्योग के परिचालन का और नियोजक-कर्मचारी संबंध का एक सीमा तक ज्ञान तथा अनुभव होना चाहिए।

4. श्रमिक-निदेशक को उपक्रम का कर्मकार बना रहना चाहिये और उसे सम्बन्धित उपक्रम के अनुशासन के सामान्य नियम के अध्याधीन होना चाहिये; इससे वह अपने साथी श्रमिकों के निकट सम्पर्क में रह सकेगा तथा उनके दृष्टिकोणों का पर्याप्त रूप से तथा प्रभावशाली ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकेगा।

5. इस प्रकार नियुक्त किये गये श्रमिक-निदेशक को, श्रमिक होने के नाते मिलने वाले पारिश्रमिक के अतिरिक्त, ऐसी फीस और भत्ते प्राप्त करने का हक होना चाहिए, जो उपक्रम के अन्य अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशकों को स्वीकार्य हैं।

6. श्रमिक-निदेशक की नियुक्ति एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए जो दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सके बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति श्रमिक बना रहता है और जो संघ उसका प्रवर्तन करता है; उसे मान्यता मिलनी जारी रहती है; श्रमिक निदेशक यदि श्रमिक नहीं बना रहता और ऐसे श्रमिक निदेशक की सारी पदावधि पूरी होने से पूर्व उसे नामित करने वाले संघ की मान्यता यदि समाप्त हो जाती है तो वह श्रमिक निदेशक के पद को छोड़ देगा। साथ ही यदि किसी कारणवश मान्यता प्राप्त संघ की ही मान्यता वापस ले ली गई हो, तो अन्ततः उसका स्थान जो संघ लेगा, वह तब सरकार द्वारा श्रमिक-निदेशक के चयन हेतु एक नई नामिका भेज सकता है।

बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल

726. श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों द्वारा हाल ही में की गई हड़ताल से बम्बई के कितने कपड़ा मिल प्रभावित हुए थे;

(ख) श्रमिकों ने किन मांगों के लिए हड़ताल की थी;

(ग) हड़ताल के परिणामस्वरूप मिलों को कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या श्रमिकों का मालिकों से कोई समझौता हो गया था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : यह मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है।

कोकिंग कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिए जाने के फलस्वरूप दी गई क्षतिपूर्ति

727. श्री विश्वनारायण शास्त्री :

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में कोकिंग कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लिए जाने के फलस्वरूप कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है अथवा देने का विचार है तथा उसका हिसाब लगाने का फार्मूला क्या है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिये जाने के फलस्वरूप कोयला खानों के कितने श्रमिकों को लाभ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शानवाज खाँ) : (क) 16 अक्तूबर 1971 को प्रख्यापित कोककर कोयला खान (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 के अधीन केवल 214 कोकर कोयला खानों के प्रबन्ध को अधिकार में लिया गया है। अध्यादेश में, खान के प्रबन्ध के अधिकार को सरकार में निहित करने के लिए, ऐसी खानों के कोयले के 1968, 1969 और 1970 के दौरान के औसतन मासिक उत्पादन पर 25 पैसे प्रति टन की दर से प्रतिकर के संदाय की व्यवस्था है। क्योंकि अभी आस्तियों का अर्जन किया जाना है, अतः इस समय आस्तियों के प्रतिकर के संदाय का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) लगभग 3,300 कर्मकार।

बस्तर में छोटे इस्पात कारखाने की स्थापना

728. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर में एक छोटा इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार मध्य प्रदेश के अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) संयंत्र की कुल क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : संभवतः प्रश्न का संकेत विद्युत भट्टी एवं लगातार बिलेट ढलाई की इकाई से है। अभी तक मंत्रालय को मध्य प्रदेश की सरकार से बस्तर में ऐसी इकाई लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

री-रोलिंग मिल्स को कच्चे माल की सप्लाई

729. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी समिति की सूची में शामिल नहीं की गई री-रोलिंग मिल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में और उन्हें कच्चे माल का पर्याप्त कोटा देने के बारे में जिससे ये एकक बन्द न हों और इस प्रकार भारी संख्या में लोग बेरोजगार न हो जाये, सरकार की नीति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : वर्तमान औद्योगिक लाइसेन्स नीति के अधीन उन लघु इकाइयों को जिनके पास 7·5 लाख रुपये से कम मूल्य की मशीनें तथा उपकरण है औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है तथा वे अपने आपको संबंधित राज्य के उद्योग निदेशक के पास रजिस्टर करा सकते हैं।

कुछ अन्य इकाइयों को भी औद्योगिक लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि वे कुछ शर्तें पूरी करती हों जिनमें एक शर्त यह है कि उनकी परि सम्पत्ति एक करोड़ रुपये से कम हो। 'इन इकाइयों को केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए

आवेदन करना पड़ता है जिसकी मंजूरी 14 दिनों के अन्दर देनी होती है। ऐसे मामलों में सरकार से विस्तृत छानबीन अथवा नियन्त्रण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः इस प्रकार किये गये रजिस्ट्रेशन का यह अभिप्राय नहीं है कि सरकार आवेदन में दिये गये सभी तथ्यों को स्वीकार करती है। इसके अतिरिक्त इस रजिस्ट्रेशन से आवेदक को पूंजीगत उपकरणों अथवा कच्चे माल के आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा देने तथा और कोई सहायता देने के लिए सरकार वचनबद्ध नहीं है।

ये शर्तें उद्योग पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है।

नई पुनर्बेलन मिल स्थापित करने से पहले सरकार सभी संबंधितों को इस बात से सतर्क करती रही है कि पहले ही स्थापित क्षमता की तुलना में पुनर्बेलन-योग्य कच्चे माल की बहुत कमी है। इस सलाह के बावजूद भी जो इकाइयां स्थापित की गई है उन्होंने कच्चे माल की कठिनाइयों को अच्छी तरह जानते हुए ही ऐसा किया है।

फिर भी सरकार ने इस्पात कारखानों से निकलने वाले पुनर्बेलन योग्य स्क्रेप की बहुत ही सीमित सप्लाई को यथा संभव न्यायसंगत ढंग से वितरण करने का प्रयास किया है।

री-रोलिंग मिल्स के नए एककों का पंजीकरण

730. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **इस्पात और खान** का यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या री-रोलिंग मिल्स के कुछ नये एककों को पंजीकृत करने से इन्कार कर दिया गया है जबकि कुछ को सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए पात्र समझा गया; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण-व्यवहार के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख) : लघु उद्योग क्षेत्र से बाहर के किसी भी री-रोलिंग यूनिट को, जो औद्योगिक लाइसेंस देने की वर्तमान नीति के अन्तर्गत सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए पंजीकरण का पात्र है, पंजीकृत करने से इन्कार नहीं किया गया है।

लोहे की री-रोलिंग मिल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में नीति

731. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के बाद स्थापित लोहे की री-रोलिंग मिल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या नीति निर्धारित की गई है और किस नीति का पालन किया जाता है; और

(ख) तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के बाद साँख्यकीय प्रयोजनों के लिए अथवा बिलेट का कोटा देने के लिये रजिस्टर्ड री-रोलिंग मिल्स के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (शाह श्री नवाज खां) : (क) औद्योगिक लाइसेन्स देने की लागू नीति के अनुसार स्टील री-रोलिंग मिलों को औद्योगिक लाइसेन्स दिये जाते हैं अथवा उन्हें पंजीकृत किया जाता है। आजकल उन एककों को जिनमें 7.5 लाख रुपये से कम

की मशीनें और उपकरण हैं उद्योग निदेशालयों के साथ लघ उद्योग एककों के रूप में पंजीकृत किया जायेगा । उन एककों को, जिनकी परिसम्पत्ति एक करोड़ रुपये से कम हैं और जो कुछ दूसरी शर्तें पूरी करते हैं, साँख्यिकीय प्रयोजनों के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा पंजीकृत किया जायेगा । शेष एककों को औद्योगिक लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा ।

फिर भी औद्योगिक लाइसेन्स के प्रयोजनों के लिए क्षमता के इस रिकार्ड से ही एकक स्वतः बिलेट री-रोलरों के रूप में पंजीकरण के पात्र नहीं हो जाते । तकनीकी समिति की रिपोर्ट के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नये एककों को सामान्यतः बिलेट री-रोलरों के के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाता ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तकनीकी समिति की सूची में सम्मिलित लोहे की री-रोलिंग मिलें

732. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि री-रोलिंग मिलों की राज्य-वार, संख्या कितनी है जो तकनीकी समिति की सूची में सम्मिलित की गई थी और जिन्हें रजिस्टर्ड री-रोलिंग मिल्स करार दिया गया था और छड़ों (बिलेटों) के कोटे के लिए पात्र समझा गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : री-रोलिंग क्षमता को मूल्याँकन करने के लिए नियुक्त की गई तकनीकी समिति ने अपनी जुलाई 1966 की रिपोर्ट में इस्पात के बिलेटों के आवंटन के लिए जिन री-रीलरों की सिफारिशों की थी उनकी राज्यवार संख्या निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बिलेट री-रोलरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	3
5.	जम्मू तथा काश्मीर	1
6.	केरल	2
7.	मद्रास	4
8.	मध्य प्रदेश	3
9.	महाराष्ट्र	11
10.	मैसूर	3
11.	उड़ीसा	1
12.	पंजाब	6
13.	राजस्थान	1
14.	उत्तर प्रदेश	12

15.	पश्चिमी बंगाल	18
16.	दिल्ली	6
17.	गोआ	1
	योग	79

पाकिस्तान द्वारा भारत रूस संधि की आलोचना

733. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत रूस मैत्री सन्धि की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि अब भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध उत्तेजनात्मक गतिविधियां तेज करने के लिए और उत्साह मिलेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत-सोवियत संधि शांति, मित्रता और और सहयोग की सन्धि है जो किसी के खिलाफ नहीं।

बोनस फार्मूला पर विचार विमर्श

734. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री राम सहाय पांडे :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री और मालिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य 21 अक्तूबर 1971 को उस नए बोनस फार्मूला पर विचार विमर्श हुआ था जिसको सब प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त विचार-विमश का स्वरूप क्या था और इसमें क्या निर्णय किये गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए भूमिका के रूप में 21 अक्तूबर, 1971 को नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बहस की गई और अन्य बातों के साथ-साथ बोनस के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) विचार-विमर्श अनौपचारिक स्वरूप के थे। कोई निर्णय नहीं किए गये।

भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा एक गैर-सरकारी फर्म को रद्दी लोहे की बिक्री

735. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखानों के अधिकारियों ने 20.55 करोड़ रुपये मूल्य का रद्दी लोहा एक गैर-सरकारी फर्म को बहुत कम मूल्य पर बेचा था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारण हुई भारी हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

संकट ग्रस्त मिलों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

736. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितनी संकट ग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) ऐसे मिलों के बन्द होने मुख्य के कारण क्या थे;

(ग) उनके बन्द होने से कितने श्रमिक बेकार हो गए थे; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उद्योग को उत्पादन की दृष्टि से कितनी हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

बंगला देश से शरणार्थियो के और आगमन को रोकना

737. **श्री राम सहाय पाडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से और अधिक शरणार्थियों का निरन्तर आगमन जारी है; और

(ख) यदि हां, तो बंगला देश से शरथार्थियों के और आगमन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जब तक बंगला देश में सामान्य स्थितियां स्थापित नहीं हो जाती. तब तक मानवता की दृष्टि से बंगला देश से शरणार्थियों का आना बन्द करने या सीमित करने के लिए कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

कारखानों के बंद होने के कारण राज्यों में बेरोजगार हुए कर्मचारी

738 **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन की कमी अथवा कच्चे माल के प्रभाव के कारण बन्द हुए कारखानों से प्रत्येक राज्य में 1969-70 और 1970-71 के दौरान कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

पोप पाल द्वारा पूर्व बंगाल के विस्थापितों की सहायता के लिये अपील

739. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोप पाल ने पूर्व बंगाल के विस्थापितों की सहायता के लिये सभी देशों से अपील की है; और

(ख) उस अपील पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सामान और अन्य प्रकार की सहायता मिली है परन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी विशेष अपील पर कितनी सहायता प्राप्त हुई है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभ्यावेदन

740. श्री राजदेव सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) इन खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने तक, 214 कोककर कोयला खानों के प्रबन्ध को सरकार ने पहले ही अपने अधिकार में ले लिया है। अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

बंगला दश से आये शरणार्थियों की सम्पति का पुनर्वितरण

741. श्री राजदेव सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने बंगला देश से भारत आये शरणार्थियों की सम्पत्ति का वितरण पुनः आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस कार्यवाही का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया गया है कि यदि शरणार्थियों को उनके घर और जमीनों से वंचित किया गया तो इससे उनके पूर्वी पाकिस्तान लौटने में बाधा अवश्य ही आयेगी और भारत सरकार इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती । पाकिस्तान सरकार से यह आश्वासन मांगा गया है कि इन शरणार्थियों की सम्पत्ति की रक्षा की जायेगी और पूर्वी बंगाल में अपने घरों को लौटने पर उन्हें वापिस कर दी जायेगी ।

भारतीय विमान के अपहरण के बारे में भारत-पाक वार्ता

742. श्री राजदेव सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को कहा था कि वह इण्डियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण के बारे में राजनयिक स्तर पर वार्ता करने को तैयार है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत ने इस मामले को निपटाने के लिए अपनी इच्छा किन शर्तों पर व्यक्त की है; और

(ग) इस संकल्प में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संकेत दिया था कि हम निम्नलिखित आधारों पर इस मसले पर बात करने को तैयार हैं:—

1. वायुयान के मुआवजे की अदायगी ।

2. इस वायुयान का अपहरण करने वाले दोनों अभियुक्तों को दण्ड;

3. भविष्य के बारे में समुचित आश्वासन ।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार की इन उचित बातों को मानना अस्वीकार कर दिया है ।

इस्पात उद्योग के लिए अनुसंधान बोर्ड

743. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिए तथा वर्तमान अनुसंधान एककों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने की सुविधायें देने हेतु इस्पात उद्योग के लिए एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : लोहा और इस्पात उद्योग के लिए एक अनुसंधान तथा विकास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा हैं। इस बोर्ड का उद्देश्य चल रहे अनुसन्धान कार्यक्रमों में सहायता

करना, नये अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना तथा उनमें सहायता देना, प्रलेख-पोषण एवं सूचना केन्द्र स्थापित करना है। इस प्रस्ताव में देश के सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा बोर्ड की गतिविधियों में भाग लेने तथा इसमें धन लगाने और सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

श्रमिकों को शिक्षा देना

744. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में श्रमिकों को शिक्षा देने के संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : जी हाँ। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक 'सोसायटी' है, श्रमिक शिक्षा की एक देश-व्यापी योजना परिचालित की जा रही है। बोर्ड ने 30 क्षेत्रीय केन्द्र और कतिपय उप-क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं जहां 'श्रमिक अध्यापक' प्रशिक्षित किये जाते हैं। अपने प्रशिक्षण के बाद, श्रमिक अध्यापक अन्य श्रमिकों के लिए कक्षाओं का संचालन करते हैं। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में मजदूर संघवाद, संघ-प्रबन्धक संबंध, श्रम विधान जैसे विषय और श्रमिकों की रुचि के अन्य मामले शामिल हैं।

देश में बेरोजगार युवक

745. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बेरोजगार युवक हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं;

(ग) इस वर्ष कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस वर्ष रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने पर केन्द्रीय सरकार का अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : इस विषय से संबंधित प्राप्त जानकारी देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित है और यह संलग्न विवरण एक में दी गई है।

(ग) यद्यपि यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चौथी योजना के अन्तर्गत और अन्यथा भी चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(घ) रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है।

नियुक्ति अवसर प्रदान करने वाली कुछ अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 1971-72 के बजट में की व्यवस्था संलग्न विवरण दो में दी गई है।

विवरण I

(क) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों नौजवानों (आयु समूह 15-24 वर्ष) की संख्या जैसा कि *31 दिसम्बर, 1970 को थी ।

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	31 दिसम्बर, 1971 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वाले नौजवानों (आयु समूह 15-24) की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,10,493
2.	असम	50,709
3.	बिहार	2,51,221
4.	गुजरात	1,27,161
5.	हरियाणा	65,240
6.	हिमाचल प्रदेश	29,406
7.	जम्मू व कश्मीर	9,460
8.	केरल	1,92,343
9.	मध्य प्रदेश	1,62,376
10.	महाराष्ट्र	2,36,805
11.	मैसूर	1,64,149
12.	उड़ीसा	1,17,636
13.	पंजाब	73,217
14.	राजस्थान	1,01,915
15.	तमिलनाडू	3,01,481
16.	उत्तर प्रदेश	3,27,133
17.	पश्चिमी बंगाल	4,10,945
18.	चन्डीगढ़	10,265
19.	दिल्ली	96,649
20.	गोवा	5,762
21.	लक्कादीप	689
22.	मणिपुर	28,681
23.	पांडिचेरी	5,197
24.	त्रिपुरा	14,019
		योग 29,92,952

* रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों का आयु के अनुसार सम्बन्धित आंकड़े वार्षिक अन्तराल में हर वर्ष 31 दिसम्बर को इकट्ठे किये जाते हैं । नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 31 दिसम्बर, 1971 से सम्बन्धित हैं ।

(ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों को शैक्षणिक स्तर के अनुसार विवरण अर्धवार्षिक अन्तराल से (प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के अन्त में) इकट्ठे किये जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 30 जून, 1971 से सम्बन्धित हैं जिनके अनुसार शिक्षित काम चाहने वालों की संख्या 20, 53, 348 थी।

विवरण II

योजनायें	सन् 1971-72 के लिये बजट व्यवस्था
1. छोटे किन्तु सक्षम किसानों का विकास	6 करोड़ रुपये
2. सीमान्त किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए योजना	3 करोड़ रुपये
3. अजल खेती का विकास	2·16 करोड़ रुपये
4. ग्रामीण निर्माण कार्य हेतु कार्यक्रम	20 करोड़ रुपये
5. क्षेत्रीय विकास-सड़कों, विनियमित बाजारों आदि जैसे आधारभूत ढांचों के लिए विकास योजना	3 करोड़ रुपये
6. देहाती क्षेत्रों में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए त्वरित योजना (क्रेश स्कीम)	50 करोड़ रुपये
7. शिक्षित (इन्जीनियरों और तकनीशियनों सहित) बेरोजगारों के लिए कार्यक्रमों की विशेष व्यवस्था।	25 करोड़ रुपये

उपर्युक्त व्यवस्था में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चौथी पचवर्षीय योजना के अधीन और अन्यथा भी चलाये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि सम्मिलित नहीं है। इसके फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ नियुक्त अवसरों में वृद्धि होगी।

Talks with Indonesian Foreign Minister

746. Shri Atal Bihari Vajpayee: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether during his visit to Indonesia in August, last, he had talks with his Indonesian Counterpart in connection with Bangla Desh and for concluding a treaty with that country similar to the one that has been entered into with the Soviet Union; and

(b) if so, the complete facts in this regard and the reaction of Indonesia thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b) : During his visit to Indonesia in August, 1971, the Minister of External Affairs discussed with the Indonesian Foreign Minister the situation in Bangla Desh. In this connection, attention is invited to the joint communique published after the visit. No discussions regarding the signing of any treaty with Indonesia similar to the Indo-Soviet Treaty were contemplated or had taken place.

Protest to U.S.A. on Arms Supply to Pakistan

747. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether India told America through a protest note that Indian Government consider the supply of arms to Pakistan as a "hostile" act; and

(b) if so, the reaction of American Government thereto and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) A written note had been sent to the US Embassy on June 27, 1971. in which the serious consern of the Government of India at the supply of arms by USA to Pakistan was expressed.

(b) The US Government, justified supply of arms to Pakistan on the plea that it wishes to have some leverage with Pakistan.

The US Government, however, announced on 9th November, 71 that they are cancelling outstanding licences.

Visits of Foreigners to India

748. Shri Birender Singh Rao : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the particulars of representatives of foreign powers who visited India during the last 6 months;

(b) the nature of discussions held between the representatives of Government of India and of those foreign countries; and

(c) the conclusions arrived at on the question of Bangla Desh problem at these discussions ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) A consolidated statement is laid on the Table of the House.

(Placed in Library, See No LT 1032-71)

रूस मिश्र संयुक्त विज्ञप्ति

749. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस संधि के पश्चात अक्तूबर, 1971 में रूस और मिश्र द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति बंगला देश के सम्बन्ध में भारत के रुख के विपरीत है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अक्तूबर 1971 में राष्ट्रपति सादात की मास्को यात्रा की समाप्ति के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में बंगला देश या भारत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शरणार्थियों के लिए विदेशी सहायता

750. श्री अमरनाथ चावला :

श्री समर गुह :

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता दी;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा कितनी सहायता का वचन दिया गया;

(ग) इन देशों ने अपने प्रस्ताव अथवा वचन को कहां तक पूरा किया; और

(घ) ऐसे मामलों में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जहां प्रस्ताव तो अधिक सहायता का दिया गया था परन्तु वास्तविक सहायता केवल नाममात्र की ही दी गई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : एक विवरण, जिसमें 15—11—1971 तक पुनर्वास विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशी सरकारों संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों और स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त सहायता दी गयी है नीचे रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1033/71]

(ग) सरकार को विदेशों से 10.78 करोड़ रुपये की नकद सहायता प्राप्त हुई है। नकद सहायता के अतिरिक्त, सरकार ने विदेशों से सामान के रूप में खाद्य सामग्री (चावल, खाने का तेल, चीनी) आश्रयस्थान सम्बन्धी सामग्री, गाड़ियां, चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुएं आदि भी प्राप्त हुई हैं। अब तक प्राप्त वास्तविक विदेशी सहायता जिसमें नकद भी शामिल है, लगभग 50 से 55 करोड़ रुपये है। शेष इस समय समुद्री मार्ग से आ रही है और आशा है कि कुछ महीनों तक प्राप्त हो जायेगी।

(घ) विभिन्न देशों/एजेन्सियों द्वारा दिये गये वचन के अनुसार सरकार को सहायता के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

भारत रूस संधि पर विदेशों के विचार

751. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शान्ति, मित्रता और सहयोग के लिए की गई भारत रूस सन्धि की सराहना करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कुछ देशों ने इस सन्धि की आलोचना की है। और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि भारत और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न शांति, मित्रता और सहयोग की सन्धि की किसी देश ने निन्दा की है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने आमतौर से इस सन्धि की यह कहकर सराहना की है कि इससे भारत और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है और इससे इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को भी बल मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश का राजनीतिक समाधान

752. श्री पीलू मोदी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर के 'दि मदरलैंड' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिसमें कहा गया है कि रूस और अमरीका ने बंगला देश की समस्या के राजनीतिक समाधान सम्बन्धी योजना की एक ऐसी रूप रेखा आपस में तैयार की है जो भारत की विचारधारा के अनुरूप नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 10 अक्तबर 1971 के 'दि मदरलैंड' में प्रकाशित जिस खबर का जिक्र किया गया है वह सरकार ने देखी है । यह खबर ठीक नहीं है ।

न्यूनतम बोनस

753. श्री पी० एम० मेहता :

श्री पी० गंगादेव:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल मालिक संघ ने सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है कि औद्योगिक नियोजकों को बोनस अधिनियम में अनुबद्ध न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस के भुगतान के अतिरिक्त अपने कर्मचारियों को एक से $4\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक अतिरिक्त बोनस और देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अक्तूबर, 1971 में जारी किए एक वक्तव्य में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने 1 से 4-1/3 प्रतिशत अग्रिमों की अदायगी के लिए एक तदर्थ फार्मूले की सिफारिश की । विभिन्न नियोजकों द्वारा इस फार्मूले के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बंगला देश के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की टीका-टिप्पणी

754. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव ने महासभा को दिये गये अपने प्रतिवेदन में बंगला देश की गतिविधियों के बारे में कुछ टीका-टिप्पणी की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या टिप्पणी की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो टिप्पणियां की थीं उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1034/71)

गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना

755. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन इस्पात संयंत्रों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है और ये किन किन राज्यों में स्थित होंगे; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्हें इस्पात के छोटे संयंत्र लगाने के लिए लाइसेंस दिये गये है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) संभवतः प्रश्न का अभिप्राय उन इकाइयों से है जो विद्युत भट्टियों द्वारा इस्पात पिण्ड/बिलेट को उत्पादन करती है और पिघले इस्पात की या तो परंपरागत अथवा लगातार ढलाई की प्रणाली का प्रयोग करती है। फरवरी 1970 से, जब कि औद्योगिक लाइसेंस देने की नई नीति लागू की गई थी, निजी क्षेत्रों की निम्नलिखित पार्टियों को ऐसी इकाइयों के लिए आशय पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये हैं :—

	पार्टी	स्थान
1.	मेसर्स इलक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स	यू० पी०
2.	मेसर्स राठी एलायज एण्ड स्टील	यू० पी०
3.	श्री एस० एन० अग्रवाल	मैसूर
4.	मैसर्स कृष्णा स्टील इन्डस्ट्रीज	महाराष्ट्र
5.	मैसर्स आन्ध्र स्टील कारपोरेशन	मैसूर
6.	मैसर्स अमृत वनस्पति	यू० पी०
7.	मैसर्स वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि०	हरियाणा
8.	मैसर्स ऊषा मार्टिन ब्लैक (वायर रोप्स)	बिहार

भारत के प्रति पुर्तगाल के रवैये में परिवर्तन

756. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल के सार्वजनिक प्रचार साधनों में भारत के विरुद्ध विषैला प्रचार होना बन्द हो गया है और अब वहां से भारत के पक्ष में ही प्रचार शुरू हो गया है;

(ख) क्या इससे यह संकेत मिलता है कि नई सरकार भारत के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उनकी इस पहल का प्रत्युत्तर दिया है, और यदि हां, तो किस रूप में ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) भारत के प्रति पुर्तगाली सरकार के रवैये में अथवा साम्राज्यवाद जैसे बुनियादी विषयों के बारे में, जिन पर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं, उनकी नीति में किसी सार्थक परिवर्तन की सरकार को जानकारी नहीं है। पुर्तगाली समाचार-पत्रों तथा अन्य संचार माध्यमों पर तो सरकारी नियंत्रण है और उनसे सरकारी रुख का ही पता चलता है और पुर्तगाल के साथ हमारे राजनयिक संबंध नहीं है, इसीलिए, भारत के प्रति उनके रवैये में किसी नई प्रवृत्ति का हमें पता नहीं लगा है। यदि भारत के प्रति पुर्तगाली रुख में कोई सदपरिवर्तन हुआ तो सरकार इस पहलू पर उपयुक्त तथा यथोचित विचार करेगी।

केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड़, केरल में श्रमिकों को कार्मिक संघ अधिकार

757. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि केरल में केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड़, प्रशासन के द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे इस संस्थान के श्रमिकों को मौलिक कार्मिक संघ अधिकारों से वंचित रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) श्रम मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नई दिल्ली में बंगला देश के मिशन की स्थापना

758. श्री पी० गंगादेव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बंगला देश के एक मिशन की विधिवत स्थापना हो गई है जिस पर उनका अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार का रुख बंगला देश को मान्यता देने के प्रश्न पर उसकी नीति के अनुरूप है; जिस पर उपयुक्त समय आने पर निर्णय लिया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश का मामला उठाया जाना

759. श्री पी० गंगादेव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश के मामले को उठाया था;

(ख) यदि हां, तो भारत को अन्य देशों से किस सीमा तक समर्थन मिला;

(ग) कितने देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु उक्त चर्चा में भाग लिया; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कुछ अन्य देशों ने भी कोई प्रस्ताव पेश किये थे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। भारत के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में आम बहस के दौरान बंगला देश का प्रश्न उठाया था और अब भी उपयुक्त समझने पर सभा की विभिन्न समितियों में इस प्रश्न को उठाता रहता है।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में इस बात पर आम तौर से सहमति थी कि :

(1) पूर्व बंगाल की स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से वास्तव में सम्बन्ध है, क्योंकि यह एक विशाल समुदाय पर घोर आपत्ति है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य के राष्ट्रिकों का दूसरे देश में अभूतपूर्व प्रव्रजन हुआ है;

(2) पूर्व बंगाल की समस्या का समाधान सैनिक उपायों से नहीं बल्कि राजनीतिक माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए और इसमें पूर्व बंगाल के लोगों की इच्छाओं और कल्याण का ध्यान रखा जाए ;

(3) इस प्रकार का समाधान निकालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रयत्न करने चाहिये, और शरणार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं;

(4) भारत में पूर्व बंगाल से शरणार्थियों का बहुत बड़ी संख्या में आगमन हुआ है और वे अपने घरों को तभी लौट सकते हैं जबकि उनकी सुरक्षा और सम्मान की उन्हें विश्वासनीय गारन्टी दी जाय।

आम बहस में जिन 117 प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था उनमें से 55 प्रतिनिधिमंडलों ने उक्त स्थिति के अनुसार पूर्व बंगाल की घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।

(घ) समस्या के हल के लिये किसी देश ने कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं किया, यद्यपि कुछ देशों ने मध्यस्थता, सद्प्रयत्नों और संयुक्त राष्ट्र के एक सम्पर्क दल द्वारा भारत व पाकिस्तान के दौरे का सुझाव दिया। ऐसे अनौपचारिक सुझावों का भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह कहते हुए तीव्र विरोध किया कि भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रख कर समस्या के हल के प्रस्तावों से पूर्व बंगाल में व्याप्त असन्तोष के मूल कारण को दूर नहीं किया जा सकता। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पूर्व बंगाल में सैनिक आतंक को रोकने और पूर्व बंगाल के लोगों के मूल अधिकार व स्वतंत्रता पुनः कायम करने से सम्बद्ध प्रस्तावों से ही स्थायी हल ढूंढने में मदद मिल सकती है। समस्या के प्रति इस दृष्टिकोण की वैधता को आमतौर पर सराहा गया।

केन्द्रीय भविष्य निधि न्यास बोर्ड द्वारा प्रशासनिक शुल्क में कमी

760. श्री वयालार रवि : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि न्यास बोर्ड ने प्रशासनिक शुल्क को आधा कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी न्यास बोर्ड में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) प्रारम्भ में, प्रशासनिक प्रभार की दर, अंशदान के दोनों हिस्सों का 3 प्रतिशत निश्चित की गई थी, जब कि भविष्य निधि अंशदान की सांविधिक दर वेतन का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत थी। कुछ उद्योगों के संबंध में जनवरी, 1963 से, अंशदान की सांविधिक दर को बढ़ाकर वेतन का 8 प्रतिशत कर दिया गया। जिन प्रतिष्ठानों के लिए वेतन के 8 प्रतिशत की दर से अंशदान देने अपेक्षित थे, उनके सम्बन्ध में प्रशासनिक प्रभार की दर भविष्य निधि अंशदानों के दोनों हिस्सों का 2.40 प्रतिशत निश्चित की गई, जो $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से अंशदानों के दोनों हिस्सों के 3 प्रतिशत के बराबर थी। चूंकि प्रशासनिक प्रभार की इन दो दरों से सभी ओर अतिरिक्त कार्य पैदा हुआ, अतएव वेतन के 0.37 प्रतिशत की समरूप दर निश्चित की गई।

चीन अधिकृत भारतीय क्षेत्र के प्रश्न को राष्ट्र संघ में उठाने का प्रस्ताव

761. श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया है क्या सरकार का विचार चीन के अनधिकृत कब्जे में भारतीय क्षेत्र के मामले को राष्ट्र संघ में उठाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) हमने हमेशा यही कहा है कि इस तरह के सभी मामलों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाना ही बेहतर है।

रेलवे, बैंकों, वायु-यातायात उद्योग और कोयला खानों में हड़ताल और तालाबंदी के कारण हुई जन दिवसों की हानि

762. डा० कर्णी सिंह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष (1) रेलवे, (2) बैंकों, (3) वायु यातायात उद्योग और (4) कोयला खानों मे, पृथक-पृथक, हड़ताल एवं तालाबंदी के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) हड़ताल और तालाबंदी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1970 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण हानि हुए श्रम.दिनों की कुल संख्या और उत्पादन में हानि इस प्रकार थी :—

उद्योग	हानि हुए श्रम-दिन	उत्पादन में हानि का मूल्य
(1)	(2)	(3)
(i) रेलवेज जिनमें कर्मशालायें शामिल हैं	31,134	*5.90
(ii) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थान	97,085	उपलब्ध नहीं
(iii) हवाई परिवहन जिनमें कर्मशालायें शामिल हैं	7,109	उपलब्ध नहीं
(iv) कोयला खानें	4,67,441	**73.1

(ग) मुख्य प्रयास वर्तमान सांविधिक तन्त्र के अन्तर्गत यथा आवश्यक प्रारम्भिक विचार-विमर्शों, अनौपचारिक मध्यस्थता, समझौते और न्याय निर्णय अथवा पंच फैसले और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के माध्यम से विवादों को कम से कम करना है; औद्योगिक सम्पर्क प्रणाली में सुधार लाने हेतु स्वीकृत उपाय निकालने के लिये सरकार सम्बन्धित पक्षों से भी, जिनमें श्रमिकों और नियोजकों के संगठन आमिल हैं, विचार-विमर्श करती रही है।

कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स, मिश्र इस्पात और स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स के उत्पादन के लिए लाइसेंस का जारी किया जाना

763. **श्री वी० मायावन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) जिन फर्मों को कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स, मिश्र इस्पात और स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स के कारखाने स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी किये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने लाइसेंस जारी किये गए हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिना जोड़ वाली ट्यूबें बनाने के कारखाने की स्थापना

764. **श्री वी० मायावन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना जोड़ वाली ट्यूबें बनाने के एक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

*उत्पादन में हानि 15 विवादों में से 7 सम्बन्धित हैं जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है।

**उत्पादन में हानि 185 विवादों में से 174 से सम्बन्धित हैं जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है।

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात उद्योग में उष्मसह भट्टियों की मांग

765. श्री वी० मायावन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दस वर्षों में इस्पात उद्योग के लिए विभिन्न किस्म और आकार के उष्मसह भट्टियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ठोस उपाय सुझाने हेतु गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में मुख्यत: क्या सिफारिशें की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और रूस के बीच शिष्ट मण्डल का आदान प्रदान

766. श्री पी० ए० सामिनाथन् : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रूस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से भारत रूस के बीच मंत्रालय स्तर पर तथा सरकारी स्तर पर कितने शिष्ट मण्डलों का परस्पर आदान प्रदान हुआ; और

(ख) दोनों देशों के शिष्टमंडलों की यात्राओं के उद्देश्यों तथा उनके सदस्यों के नामों एवं उनके सरकारी पदनामों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये ठेके

767. श्री पी० ए० सामिनाथन् : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों में किस प्रकार के और कितने मूल्य के ठेके देश में और विदेशों में प्राप्त किये;

(ख) उक्त प्रतिष्ठान में भर्ती का क्या तरीका है; और

(ग) उस प्रतिष्ठान की वर्तमान पूंजी तथा अधिकृत पूंजी कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया (लिमिटेड) अप्रैल 1970 में निगमित की गई थी। तब से उसने निम्नलिखित ठेके लिये है:—

भारतीय खाद्य निगम के लिए अनाज के लिए साइलों का निर्माण ठेका 59.9 लाख रुपये का है।

(ख) कम्पनी का प्रशासनिक प्रधान प्रबन्ध निदेशक है। कम्पनी में चार प्रभाग है अर्थात वित्त, विपणन (मार्किटिंग) परियोजना तथा सामान्य प्रशासन और सचिवीय प्रत्येक प्रभाग एक वरिष्ठ आधिकारी के अधीन है। इस समय कम्पनी में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 26 है।

(ग) अधिकृत पूंजी : 30 लाख रुपये

अभिदत पूंजी : 10.56 लाख रुपये।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल

768. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों को श्रमिकों की हड़ताल के कारण उत्पादन की कितनी हानि हुई; और

(ख) श्रमिकों द्वारा ऐसी हड़तालें किये जाने के क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : (क) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक भिलाई और राउरकेला में श्रमिकों की हड़तालों और दुर्गापुर में सभी किस्मों के अन्य श्रमिक विवादों के कारण हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में हुई उत्पादन की हानि इस प्रकार थी:—

	बी० एफ० कोक	सिन्दर	गर्म धातु	इस्पात पिण्ड	अर्द्ध तैयार	टन तैयार इस्पात	ढली वस्तुएं
भिलाई इस्पात कारखाना							
1968-69	—	—	—	894	380	88	45
1969-70	9,490	—	23,060	59,532	8,500	18,355	—
1970-71	—	—	—	—	—	—	—
राउरकेला इस्पात कारखाना							
1968-69	—	—	—	—	—	—	—
1969-70	—	—	—	97,388	—	53,731	932
1970-71	1,909	2,709	1,584	132,028	973	88,201	176
दुर्गापुर इस्पात कारखाना							
1968-69	55,000	—	214,167	328,790	675,765	173,704	—
1969-70	40,218	—	328,235	238,241	158,809	134,248	—
1970 71	85.014	50	250,255	268,721	225,147	133,926	—

विदेश मंत्री द्वारा सिंगापुर और जकार्ता की यात्रा

769. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अगस्त में उन्होंने सिंगापुर और जकार्ता की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों में उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य था; और

(ग) जकार्ता में भारतीयों के साथ अपने कार्यक्रम को रद्द करने और सिंगापुर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 12 से 15 अगस्त, 1971 तक इण्डोनेशिया की यात्रा इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर की गई थी। उनकी इस यात्रा के दौरान अधिकारी एवं मंत्री-स्तर पर दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय परामर्श भी हुए।

इन यात्राओं से दोनों देश के नेताओं से अनेक विषयों पर, विशेष रूप से बंगला देश की स्थिति के सन्दर्भ में, बहुत ही उपयोगी विचार विमर्श हुआ।

(ग) अपने प्रवास काल में विदेश मंत्री ने जकार्ता में दो अवसरों पर भारतीय समुदाय से भेंट की उनके एक कार्यक्रम को पुनर्निधारित किया गया था, ताकि सिंगापुर के प्रधान मंत्री के साथ वह अपना कार्यक्रम पूरा कर सकें।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना

770. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगला देश से आए शरणार्थियों के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया था;

(ख) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया है कि इन शरणार्थियों के लिए और अधिक सहायता दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ। बंगला देश से भारत में आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ के बारे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र का ध्यान 25 मार्च 1971 के बाद पूर्व बंगाल में हुई घटनाओं के तुरन्त बाद आकर्षित किया था। 27 सितम्बर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 26वें अधिवेशन की आम सभा में हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री ने इस प्रश्न को विशेष रूप से उठाया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त राष्ट्र में बताया है कि भारत इन शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से केवल मानवीय आधार पर रख रहा और उनकी देखभाल कर रहा है। इस बात पर बल दिया गया है कि शरणार्थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है और और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सर्वोच्च प्रतिनिधि संगठन होने के नाते संयुक्त राष्ट्र को शरणार्थियों के वास्ते उनकी आवश्यकतानुसार, सहायता देनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के सभी उपयुक्त मंचों पर भारत इन विचारों को व्यक्त करता रहता है।

(ग) भारत की अपीलों के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया अविलम्ब हुई बंगला देश के शरणार्थियों के लिए सहायता के वास्ते महासचिव ने 19 मई और 16 जून 1971 को दो अपीलें जारी की थीं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी हाई कमिश्नर को बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नामजद किया है। बंगला देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के जरिये आने वाली सहायता का समन्वय करने के वास्ते पर्याप्त स्टाफ सहित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी हाई कमिश्नर का एक रेजीडेन्ट मिशन दिल्ली में काम कर रहा है। सहायता प्राप्त करने में यद्यपि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया अविलम्ब रही है किंतु शरणार्थियों के निरंतर आने से जिनकी संख्या लगभग एक करोड़ हो चुकी है प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है। शरणार्थियों को सहायता देने में अब भी भारत ही प्रमुख बोझा उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय ऐजेंसी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 अक्तूबर 1971 तक संयुक्त राष्ट्र के जरिये वायदा किए गए अंशदान की कुल राशि 157,935,000 डालर थी और 15 नवम्बर 1971 तक प्राप्त वास्तविक राशि 465,80,000 डालर है।

कालका जी, नई दिल्ली, स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी में खाली पड़ी भूमि का अप्रयुक्त पड़ा होना

771. श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कालका स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालौनी में भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है और वितरण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;

(ख) क्या पूर्वी पाकिस्तान अथवा पश्चिम बंगाल से आने वाले बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजा है जिसमें कहा गया है कि उनको भी पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी में पुनर्वास पाने हेतु प्लाट आवंटित किए जाने चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस समय इस कालोनी में बिना एलाट किये गए 62 प्लाट हैं जिनमें से लगभग 40 प्लाटों के बराबर के क्षेत्र के बारे में मुकदमा चल रहा है। इस समय पहले से ही 26 आवेदक प्रतीक्षा-सूची में है और यदि और भी जांच की जाए तो उन आवेदकों में से भी कुछ एलाटमेंट के लिए पात्र पाए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्लाटों के लिए आवेदन पत्र दे दिये हैं। कालोनी में कुछ खाली भूमि भी उपलब्ध है परन्तु यह आवासीय प्लाटों के अनुकूल नहीं है।

(ख) और (ग) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों से जनवरी 1966 और अगस्त, 1967 में दो बार आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे। सभी पात्र आवेदकों को या तो प्लाट दे दिये गए हैं या उनके नाम प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल से आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों की सहकारी समिति ने इस कालोनी में भूमि के एलाटमेंट के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया था। इस समिति को सूचित कर दिया गया है कि पुनर्वास विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत गैर-विस्थापित व्यक्तियों की समिति को भूमि के एलाटमेंट के बारे में विचार किया जा सके।

नीमचा कोयला खान का पुनः खोला जाना

772. श्री रोबिन सेन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज कोयला क्षेत्र में नीमचा खान पुनः खोलने के लिए कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस संघ का नाम क्या है जिसके साथ समझौता हुआ है;

(ग) क्या 26 अप्रैल, 1971 से होने वाली खान की तालाबन्दी से पूर्व श्रमिकों की कानूनी रूप से देय राशि काफी मात्रा में बकाया है यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि बकाया है; और

(घ) क्या श्रमिकों को बकाया वैध देय राशि का भुगतान करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Contribution to Employees Provident Fund

773. Shri Chhatprapati Ambesh: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the requiste number of employees for interoduction of Provident Fund Scheme in an instituti on;

(b) whether it is possible that in an institution certain employees may contribute towards Provident Fund while others may not be given this facility; and

(c) whether any employee may decline of his own to contribute towards Provident Fund ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) Twenty. However, the Central Government have the power to apply the provisions of the Act to any establishments of employing such number of persons less than twenty as may be specified in the notification.

(b) Yes. The employees are covered subject to certain conditions.

(c) In the case of an employee who is required to be a member of a Provident Fund it is not open to him to decline to be a member.

श्रीलंका में रह रहे भारतीय

774. श्री आर० वी० सामिनाथन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका सरकार द्वारा शास्त्री श्रीमाओ करार के अधीन भारत मूल के कितने व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की है; और

(ख) उक्त करार के अधीन कितने व्यक्तियों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 31 अगस्त 1971 तक 17,632

(ख) 2,82,368.

भिलाई इस्पात कारखाने में इस्पात का उत्पादन

775. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात की कमी पूरी करने हेतु भिलाई इस्पात कारखाने में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ तुरन्त उपाय करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई प्रौद्योगिक और संगठनात्मक उपायों को कार्यान्वित किया गया है अथवा किया जा रहा है। प्रमुख उपाय निम्नलिखित है :—

(1) कोक भट्टियों की भारी मरम्मत के लिए दलों का गठन।

(2) ईंधन के रूप में वेन्जीन का प्रयोग।

(3) धमन भट्टियों की उपलब्धि में सुधार लाने के लिए एक से अधिक खुले मुंह की भट्टियों की एक साथ मरम्मत करना।

(4) खुले मुंह की भट्टियों में आक्सीजन लैंसिंग का प्रयोग आरम्भ करना।

(5) क्वालिटी में सुधार और रद्दी माल आदि में कमी लाने के लिए उपाय करना।

इस्पात और खान मंत्री द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा

776. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थल का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का क्या उद्देश्य था ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) दौरे की तारीख और उसका उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

दौरे की तारीख	दौरे का उद्देश्य
5—5—71	कारखाने का दौरा किया, अधिकारियों से बातचीत की और मजदूर संघ के नेताओं से मिले।
30—7—71	छठी धमन भट्टी का उद्घाटन किया। इस्पात के उत्पादन में प्रगति के बारे में अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।
15—10—71	राजहारा खानों और इस्पात कारखाने का दौरा किया सोवियत और भारतीय अधिकारियों से विचार-विमर्श किया और मजदूर संघ के नेताओं से मिले।

भिलाई इस्पात कारखाने में हड़ताल

777. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भिलाई इस्पात कारखाने में कोई हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल होने के क्या कारण थे;

(ग) हड़ताल के दौरान कितने श्रम-घण्टों की हानि हुई और इसके परिणाम-स्वरूप कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमिगत नागा नेता श्री फिजो और मिजो विद्रोही नेता श्री लालडांगा की बैठक

778. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अगस्त 1971, में आत्म-निर्वासित भूमिगत नागा नेता श्री फिजो और मिजो विद्रोही नेता श्री लालडांगा की ढाका में एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि मिजो विद्रोही नेता श्री लालडांगा आत्म-समर्पण करना चाहता है;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि चीन और पूर्वी पाकिस्तान में कितने नागा और मिजो विद्रोही हैं; और

(घ) क्या विद्रोही नागा नेताओं ने सरकार से बातचीत करने के लिए फिर से कोई नया प्रयास किया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) . (क) हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) हमें इसकी भी जानकारी नहीं है कि मिजो विद्रोही नेता श्री लालडाँगा आत्म-समर्पण करना चाहते है । इसके विपरीत, हमें सूचना मिली है कि लालडांगा के नेतृत्व में मिजो विद्रोही पूर्व बंगाल में पश्चिम पाकिस्तानी सेना को सक्रिय सहयोग दे रहे हैं । लेकिन एम० एन० एफ० के उदारपंथी गुट के कई बड़े-बड़े नेता हाल ही में भारत वापस आ गए हैं और उन्होंने हमारे अधिकारियों के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया है ।

(ग) चीन में किसी मिजो विद्रोही दल के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है । जहां तक पूर्व बंगाल का प्रश्न है महिलाओं एवं बच्चों सहित इनकी कुल संख्या लगभग दो हजार और तथाकथित "मिजो राष्ट्रीय सेना" के कर्मचारियों की संख्या लगभग 1200 थी । ऐसी भी रिपोर्ट है कि 1971 में कुछ नागा विद्रोही चीन चले गये थे । उनकी सही संख्या ज्ञात नहीं है । जहाँ तक

पूर्व बंगाल का प्रश्न है, वहां किसी भी नागा विद्रोही की उपस्थिति के बारे में हमें कोई पक्की सूचना नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। इस विषय पर सरकार की नीति सुविदित है और अनेक अवसरों पर संसद में बताई जा चुकी है। 1960 में नागा नेताओं के साथ नागा समस्या का समाधान खोजा गया था। नागालैण्ड राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में नागालैण्ड की जनता ने इस समाधान का समर्थन किया है। सरकार का छिपे नागाओं से और राजनीतिक वार्ता करने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी, नागाओं को इसकी स्वतन्त्रता है कि भारतीय नागरिक के रूप में नागालैंड की प्रगति के लिए भारत सरकार एवं नागालैंड सरकार को वे सुझाव दें।

पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में बंगला देश से और अधिक शरणार्थियों का आगमन

779. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर मास के बाद से मेघालय, आसाम और त्रिपुरा में विस्थापितों का बहुत संख्या में फिर से आगमन आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बंगला देश से और अधिक विस्थापितों के भारत में आने के क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) बंगला देश में गृह-युद्ध और पाकिस्तानी सेना के निरन्तर अत्याचारों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित स्थितियों के कारण शरणार्थियों का आना जारी है।

केन्द्रीय अधिकारियों के दल द्वारा बालात और मैलान में बंगला देश शरणार्थी शिविरों का दौरा

780. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अक्तूबर, को पांच उच्च केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल ने बालात और मैलान स्थित बंगला देश शरणार्थी शिविरों का तथा 7 अक्तूबर, 1971 को सारभोग के शिविर का दौरा किया ताकि वहां की सही स्थिति का पता लगाया जा सके; और

(ख) इस दल ने अपने आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के दौरे के दौरान कौन से अन्य शिविरों का दौरा किया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। पांच वरिष्ठ अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने 6 अक्तूबर को मेघालय में बालात और मैलान शिविरों का दौरा किया है। इन अधिकारियों में से चार ने 8 अक्तूबर, 1971 को आसाम में सोरभोग का भी दौरा किया है।

(ख) इस दल ने 3 अक्तूबर, 1971 को आसाम में चांगसेरी केन्द्रीय शिविर का भी दौरा किया है। यह दल इस अवसर पर त्रिपुरा नहीं गया था परन्तु इसने मई के अन्त में 27 अक्तूबर से 29 अक्तूबर 1971 तक वहां का दौरा किया था।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

781. श्री नागेश्वर राव मेदुरी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए हाल ही में उसका पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न एककों में क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है। रिक्त हुए कई उच्च पदों को भरा गया है अथवा भरा जा रहा है।

श्रीलंका द्वारा भारत श्रीलंका करार का उल्लंघन

782. श्री मती भार्गवी तनकप्पन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने श्रीलंका में रह रहे भारतीयों के भविष्य के संबंध में भारत श्रीलंका करार का बार-बार उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए रूस से चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

783. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शरणार्थी शिविरों में फैले हैजे की रोकथाम के लिए रूस से प्राप्त चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : अब तक रूस से 1,50,000 मिलिलिटर हैजे के टीके प्राप्त हुए हैं।

चौथी योजना में कोयले का उत्पादन

784. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या इस लक्ष्य में कमी होने की कोई सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 935 लाख टन ।

(ख) और (ग) : यदि कोयला उद्योग के सम्मुख आ रही परिवहन की मुख्य कठिनाई का रेलवे द्वारा शीघ्रता से समाधान हो जाए तो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हुए प्रदर्शन में श्री जगजीत सिंह द्वारा भाग लिया जाना

785. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० जगजीत सिंह महासचिव, संत अकाली दल ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हुए प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में क्या जानकारी उपलब्ध है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के आह्वान की प्रतिक्रियास्वरूप, 13 अक्तूबर 1971 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर कठिनता से आधे दर्जन व्यक्ति आये ।

तटस्थ देशों की बैठक

786: **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1971 के स्टेट्समैन में राष्ट्रपति टीटो द्वारा तटस्थ देशों की बैठक के प्रस्ताव सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लुसाका सम्मेलन के निर्णयों के अनुसरण में, जिसमें कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपना कार्य करते रहें, इस वर्ष 1 अक्तूबर को न्यूयार्क में मंत्री स्तर पर एक सलाहकार समिति की बैठक हुई । संयुक्त राष्ट्र महासभा के 27वें अधिवेशन से पहले इसी प्रकार की एक और सभा बुलाने का निर्णय किया गया है । भारत और युगोस्लाविया इस कार्य के लिए आयोजित प्रारम्भिक समिति के सदस्य हैं ।

Shifting of Head-quarters of National Mineral Development Corporation to Hyderabad

788. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the headquarters of National Mineral Development Corporation is being shifted to Hyderabad from Delhi and the expenditure thereon is estimated to be rupees one crore; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir. The expenditure on shifting is estimated at Rs. 6 lakhs.

(b) Government have decided that public undertakings should have their head-offices in Delhi only if it is absolutely essential. The projects of the N.M.D.C. are located in the States of Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Mysore. From the point of view of accessibility and easy communication to and management of all of its ptojects, Hyderabad has been considered to be more suitable for the location of the Corporation's Head Offices.

पाकिस्तानी कर्मचारियों द्वारा पीटे गये पाकिस्तानी चान्सरी के बंगाली कर्मचारी

789. श्री अर्जुन सेठी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर, 1971 को पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ गैर-राजनयिक बंगाली कर्मचारियों को पाकिस्तानी कर्मचारियों द्वारा पीटा गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) यह घटना नयी दिल्ली-स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के अन्दर घटी थी। अतः यह भारत सरकार के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। फिर भी, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर इस घटना के बारे में पूछताछ की थी।

हिंद महासागर सम्मेलन

790. श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महासागर को महा शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखने के लिए लुसाका घोषणा के अनुसरण में एक हिन्द महासागर सम्मेलन बुलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान इस प्रस्ताव के बारे में सम्बन्धित महा शक्तियों की प्रतिक्रिया का पता लगा लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) चूँकि सरकार हिन्द महासागर से सम्बद्ध लुसाका घोषणा का पूर्णतः समर्थन करती है। अतः इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वह हर संभव कदम उठाती रही हैं। राजनयिक माध्यमों के जरिए सभी संबद्ध देशों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। यद्यपि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई औपचारिक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव नहीं है, किंतु उचित मौके पर इस पर विचार किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में एक लघु-इस्पात संयंत्र की स्थापना

791. श्री पी० नरसिंहा रेड्डी: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक लघु-इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह संयंत्र कहां स्थापित किया जायेग ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न का संकेत विद्युत भट्टी एवं लगातार ढिलाई कारखाने की ओर है। 11-11-1971 को मैसर्स आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को आन्ध्र प्रदेश में प्रति वर्ष 50,000 टन साधारण इस्पात तथा हाई कार्बन स्टील बिलेट और 20,000 टन तार छड़ के उत्पादनार्थ एक ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है। निगम ने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि राज्य में यह कारखाना किस स्थान पर लगाया जाएगा।

Rehabiliiation of Bangla Desh Displaced Persons in Madhya Pradesh

792. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Bangla Desh refugees rehabilitated in Madhya Pradesh and the names of the places where they have been rehabilitated;

(b) the number of displaced persons already rehabilitated in Madhya Pradesh prior to the rehabilitation of Bangla Desh refugees there;

(c) the places where they have been rehabilitated: and

(d) the facilities being provided by Government to both the categories of refugees ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) : As the refugees from Bangla Desh will be sent back as soon as they are in a position to return to their home safely, the question of their rehabilitation in Madhya Pradesh and or any other part of India does not arise.

(b) to (d) : About 6,500 displaced families who came to India prior to the influx of the Bangla Desh refugees, i.e., prior to 26/3. 1971, have so far been rehabilitated in the Districts of Surguja, Panna, Betul, Raigarh, Satna, Hoshagabad and Raipur. Of these migrants, agriculturists have been settled/are being settled on land/and provided with agricultural lands, houses and homestead plots, bullocks, agricultural implements and seeds and fertilizers, water supply arrangements, have been made by sinking of tube-wells, construction of open wells and nistar tanks and other Educational and Medical facilities have been provided. Similarly, the non-agriculturist families are provided with houses, homestead plots, employment or financial assistance for trade and business and business premises, etc.

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राष्ट्रिक

793. श्री जे० बी० पटनायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय राष्ट्रिक हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान की जेलों में पड़े कुछ भारतीय राष्ट्रिकों की कारावास अवधि समाप्त हो चुकी है और उनको फिर भी मुक्त नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तानी जेलों में भारतीय नागरिकों के बारे में पाकिस्तान सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) जब भी किसी भारतीय राष्ट्रिक के पाकिस्तान के जेल में होने की सूचना हमारी सरकार को मिलती है, उसे छुड़ाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to the matter of urgent Public importance

दिल्ली में परिवहन सम्बन्धी समस्याएं

Transport Problem in Delhi

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): मैं नौवहन और परिवहन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

"दिल्ली में परिवहन सम्बन्धी समस्याओं तथा उनके परिणामस्वरूप छात्रों में व्याप्त असन्तोष और कालेजों के छात्रों द्वारा बसों के अपहरण की बार-बार की घटनाएँ"

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली में बस सेवाएं जो प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाई जा रही थी को परिवहन मंत्रालय ने 1948 के विभागीय रूप में ग्रहण किया। 1950 में, उन्हें दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण, अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण को सौंप दिया गया। 1957 में जब दिल्ली नगर निगम बना तब दिल्ली में परिवहन उपक्रम उसकी जिम्मेवारी हो गई नगर परिवहन उपक्रम का कार्यकरण पिछले छः या सात वर्षों में निरन्तर गिरती गई और इसके प्रशासन में परिवर्तन के लिए निरन्तर मांग की गई। मुरारका आयोग और महानगर परिवहन सेवाओं के कार्यदल ने दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्यकरण की जांच की और इसके कार्य में निम्नलिखित त्रुटियां सामने लाये।

(क) दिल्ली परिवहन उपक्रम के वित्त बहुत कम हो गये और उपक्रम को हर वर्ष बढ़ती हुई हानि का सामना करना पड़ा चढ़ती हुई कीमतों, कराधान में वृद्धि और कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में अक्सर वृद्धि के कारण 1963-64 से राजस्व और व्यय के बीच खाई निरन्तर बढ़ती गई। बसों की खरीद और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार उनको ऋण दिया करती थी। 31-3-1971 तक 16·58 करोड़ रुपये के कुल ऋण (इसमें लगभग 38 लाख के वापिस न करने वाले ऋण शामिल नहीं है) उपक्रम को दिया गया था। परन्तु वित्तीय स्थिति के कारण निगम ऋण का भुगतान न कर सका और न सांविधिक निधि की ओर ही कोई अशदान दे सका। 1 मार्च 1971 को बकाया ऋण की राशि 14·18 करोड़ रुपये थी। उपक्रम 31 मार्च 1971 की 5·5 करोड़ रुपये ऋण पर देय किस्त और 3·71 करोड़ रुपये का उस पर ब्याज देने में असमर्थ रहा;

(ख) नयी बसों के लिए रखा गया ऋण अर्थोपाय ऋणों के रूप में विशाखित करना पड़ा। इससे बसों की बड़ी कमी आ गई;

(ग) पुरानी बसों का बेड़ा दिल्ली परिवहन उपक्रम की एक गंभीर समस्या थी। 31-3-71 को लगभग 37 प्र०श० बसें 8 वर्ष से अधिक पुरानी थीं और 24 प्र०श० बसें 10 वर्ष से अधिक पुरानी थी; और

(घ) बड़ी मरम्मतों और ओवर हाल के लिए पूरे बेड़े की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उपक्रम के पास केवल दिल्ली में एक ही केन्द्रीय वर्कशाप थी। गाड़ियों के रख रखाव और भारी मरम्मतों के बढ़े हुए भार से निपटने के लिए वर्कशाप सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण आवश्यक था।

दिल्ली परिवहन निगम के पास 1391 बसें हैं जिनमें से केवल 934 बसें उस दिन सड़क पर चल रही थी जिस दिन सरकार ने दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया इसके अलावा, प्राइवेट परिचालकों की 230 बसें भी नगर में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चल रही थी। प्रतिदिन के निर्धारित फेरों की कुल संख्या 15,992 थी जिसमें से 12,526 फेरे उक्त तारीख को परिचालन में थी। दिल्ली परिवहन निगम ने अनुमान लगाया है कि उन्हें उनकी 1391 बसों के अलावा 270 बसों को आवश्यकता होगी, ताकि नगर की आवश्यकताएं किसी युक्ति-युक्त सीमा तक पूरी हो सके।

उन गाड़ियों में से जो केन्द्रीय वर्कशाप और डिपो वर्कशाप में है 180 रद्दी ठहराये जाने वाली है और इनकी गाड़ियों के उपलब्ध संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए इनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। परन्तु, लगभग 200 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी मरम्मत हो सकती है और सड़क पर चल सकती हैं।

इन समस्याओं और कठिनाइयों के कारण परिवहन उपक्रम दिल्ली की यात्रा आवश्यकताओं की यथेष्ट पूर्ति नहीं कर सकती थी और अनियमित सेवाओं फेरों में कमी आने की शिकायत होती थी। जुलाई, अगस्त और सितम्बर 1971 के महीनों के दौरान स्थिति और भी बिगड़ गई क्योंकि इन दिनों दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच झगड़े हुए जो विद्यार्थियों के लिए बस सेवाओं की अपर्याप्त और अनियमितता के कारण थी। इस अवधि में 91 घटनाएं हुई जिनमें से कुछ में विद्यार्थियों ने दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें रोकी और उन पर पत्थर फेंकें या उन पर आग लगा दी या उनको भगाकर ले गये। इससे कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए और उपक्रम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए और सेवाओं में कार्यकुशलता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और दिल्ली परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थापित सांविधिक निगम को अन्तरण करना पड़ा।

निगम के बन जाने से नगर परिवहन उपक्रम के कार्य में कुछ सुधार हुआ है। अक्तूबर 191 के दूसरे सप्ताह की आय की तुलना में नवम्बर के दूसरे सप्ताह में लगभग 21,000 रु० से यातायात की आय में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन के प्रति बस के किलो मीटर भी 177 से बढ़कर 187 हो गये और बस परिचालन अनुपात लगभग 71 प्रतिशत से लगभग 77 प्रतिशत हो गया है।

निगम 28 करोड़ रुपये के लागत पर 1971-72 में 270 बसों के लिये क्रयादेश देने वाला है और फालतू पुर्जे खरीदने का भी प्रस्ताव है ताकि उन 100 अतिरिक्त बसों की जो वर्कशाप में बेकार पड़ी हैं मरम्मत हो सके। निगम सेवाओं में सुधार लाने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से बसों को उधार पर लेने के लिये बातचीत कर रहा है। हरियाणा विभिन्न कारणों से कोई भी बस देने में असमर्थ रहा है परन्तु उत्तर प्रदेश ने कुछ मदद करने का वायदा किया है। भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए निगम को आवश्यक वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगी। निगम हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है। जनता की कठिनाइयां दूर हो। परन्तु क्योंकि वर्तमान बस सेवाएं बड़ी सीमा तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं निगम के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि निकट भविष्य में वह पूरी मांग की पूर्ति कर सके। निगम को अपनी स्थिति बनाने में कुछ समय लगेगा जब वह नियमित और पर्याप्त सेवाओं की व्यवस्था कर सकेगा।

जहां तक विद्यार्थियों की परिवहन आवश्यकताओं का सम्बन्ध है स्थिति यह है कि अगस्त 1971 में समिति के सिफारिशों के आधार पर दिल्ली परिवहन उपक्रम प्राधिकरण ने विद्यार्थियों

के लिए 21 सहमत मार्ग अतिरिक्त सेवाएं शुरू की और दुर्गम स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेरे की आवृति की वृद्धि को सुनिश्चित किया। यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक कालेज में संयुक्त समितियां बनाई जाये जिसमें विद्यार्थियों, दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों, दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रबन्ध और कालेज के अधिकारियों के प्रतिनिधि हों। यह भी निश्चय किया गया कि सात क्षेत्रीय समितियाँ काम करे और शीर्ष समिति बने जिसमें विश्वविद्यालय, दिल्ली परिवहन उपक्रम और ड्राइवरों और संवाहकों के प्रतिनिधि हो ताकि कालेज समितियाँ और केन्द्रीय सरकार के साथ सम्पर्क बनाया जा सके। इन कालेज, क्षेत्रीय और शीर्ष समितियों की कुछ बैठकें हुई।

हाल ही में, विश्व विद्यालय ने विद्यार्थी समुदाय की यात्रा आवश्यकता का सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण के आधार पर, वर्तमान सेवाओं में समायोजन और अतिरिक्त सेवाओं को चलाने के लिए कुछ और सिफारिश की रिज होकर आर्य समाज रोड और रामकृष्णपुरम के बीच दिन भर 30 मिनट की आवृत्ति वाली एक नई बस सेवा को चलाने के सम्बन्ध में मुख्य सिफारिश पर पहले ही कार्यान्वित हो गई है। कार्यक्रमों के समायोजन द्वारा तथा नये और नवीकृत बसों को चालू करके 774 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था कर दी गई है। अतिरिक्त सेवा और फेरे से विद्यार्थी समुदाय को राहत पहुँची है। विश्व विद्यालय अधिकारियों द्वारा की गई अन्य 28 सिफारिशें भी कार्यन्वित की गई हैं उनमें से 23 आंशिक रूप से पूरी हो गई है और शेष 45 दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन हैं।

मैं विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि वे बसों को भगाकर ले जाने और इस प्रकार के काम का आश्रय न लें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी शिकायतों को मुखरित करने के लिए पहले से गठित कालेज समितियों के माध्यम का उपयोग करें। मैं निगम से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी सभी प्रकार की शिकायतों पर शीघ्रता से ध्यान दें। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि निगम और उपराज्यपाल विद्यार्थियों की शिकायतों को सुनने के लिए सदा तैयार रहेंगे और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए उपाय खोजेंगें।

श्री विक्रम चन्द महाजन : दिल्ली में बसों के लिए यात्रियों को घण्डों खड़ा रहना पड़ता है। बस आने पर भी उनमें चढ़ना कठिन होता है। यदि कोई यात्री बस में चढ़ भी जाता है तो वह ढोरों की तरह उसमें भरा रहता है। दिल्ली की बस सेवा के तीन उद्देश्य, यथा सस्ती, सुरक्षित तथा शीघ्र सेवा, पूरी तरह विफल रहें हैं। यात्रियों को पायदानों और बम्परों पर सफर करना पड़ता है। उनमें से कितने ही गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

सेवाओं की अनियमितताओं के कारण छात्रों और बस कर्मचारियों में संघर्ष होता रहता है। स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पूर्व 91 बसों के भगा ले जाने अथवा जला दिए जाने की घटनाएं हुई। पहले कभी यह प्रयत्न नहीं किया गया कि छात्रों को अथवा जनता को परिवहन के प्रबन्ध में शामिल किया जाए।

दिल्ली परिवहन की 1300 बसों में से केवल 900 चालू हालत में हैं जिसके परिणाम-स्वरूप परिवहन को भारी आर्थिक हानि हो रही है।

ऐसा जान पड़ता है कि राष्ट्रीयकृत सेवाओं को जानबूझ कर ठप्प करने की चेष्टा की जा रही है। जिससे कि समाजवाद की बदनामी हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह है कि हाल में चालू की गयी मिनी बसें बहुत अधिक किराया लेती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री विक्रम महाजन : मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली बस सेवा के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के बाद आय में 21,000 रुपए की वृद्धि हुई है और 270 नई बसों की मंजूरी दे दी गई है।

क्या छात्रों के अलावा यात्रियों को भी, जिनके पास मासिक टिकट है, प्रबन्ध कार्यों से संबद्ध किया जाएगा ? क्या मिनी बसों का किराया सामान्य बसों के समान किया जाएगा तथा वर्तमान किराये को बढ़ाया तो नहीं जायेगा ? क्या मंत्रालय इस बात की जांच करायेगा कि एक भी प्राइवेट बस जलाई अथवा भगाई नहीं गई ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें प्राइवेट बसों के विरुद्ध उकसा रहे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : क्या सरकार एक समिति नियुक्त करेगी कि प्राइवेट बसें क्यों नहीं जलाई गईं ? क्या प्रबन्ध से संबद्ध कुछ व्यक्ति तथा मंत्रीगण बसों में यात्रा करके जनता की कठिनाइयों का अनुभव करेंगे।

श्री ओम मेहता : मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि इन कमियों के कारण ही बस सेवा को अधिकार में लिया गया है। मैं आश्वासन देता हूं कि सेवा में सुधार के सभी संभव उपाय किये जायेंगे। हम प्रबन्ध में अन्य यात्रियों को भी संबद्ध करेंगे। हम जांच कराएंगे और हर बुराई को दूर करने की चेष्टा करेंगे। मैं पहले भी बसों में यात्रा करता रहा हूं और निश्चय ही आगे भी करूंगा। अधिकांश बसें हंसराज कालेज के छात्रों द्वारा भगाई गईं हैं।

Shri Satpal Kapoor (Patiala): There is no denying the fact that the service of DTU had deteriorated. Improvements are necessary in the service. There was a big scandal in regard to the issue of transport permits under D.T.U. The permits should be issued to cooperative section and an enquiry should be held in the matter of issue of permits to wrong persons. I can understand the irritation caused by the non-availability of buses. But the burning of only D.T. U. buses is not understandable. By what time an enquiry could be held and report submitted to the House.

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : I want to assure the Hon. Member that the Government would make every effort to emprove the service. Mini buses are required only in narrow streets. We intend to take over Mini buses from private operators and run them under the Corporation that has now been formed.

We are not at all satisfied with the present arrangement vis-a-vis private buses. We shall try to increase our own fleet and shall keep private buses to the barest minimum.

Shri Hukam Chand Kachwai : Please enquire into the case of money being paid for getting permits.

Shri Raj Bahadur : If the House so desires, that question can also be considered on a regular motion.

It is strange that only D. T. U- buses are being hijacked and not the private buses.

***Shri Shashi Bhushan :**
***Shri Hukam Chand Kachwai :**

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

Shri Raj Bahadur : The centre had given a sum of Rs- 16 crores for augmenting the D. T. U. fleet.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Chairman was of the Congress party. He is responsible for all this. He did not want to purchase the buses.

Mr. Speaker : Please do not interrupt.

Shri Raj Bahadur : I have mentioned this fact as responsible persons have made allegations against the Central Government that it did not give money. We did give money and if the service had been improved. I would have congratulated them.

We shall provide service which the capital of the couutry deserves. But the service had deterirated so much during the past several years that it cannot be improved quickly. We want to bring 300 new double deckers. The Finance Minisier has assured me of as much money as may be needed to improve the service.

Shri Satpal Kapoor : What about an enquiry into the 91 cases of hijacking ?

Shri Raj Bahadur : It is no use wasting time on enquiries into past events. We have to improve the service first. The public will then decided for itself as to who had improved the sevice.....(interruptions).

Shri Amar Nath Chawla (Delhi Sadar) : The facts and figures indicate that D. T. U has not paid Rs. 9.21 crores to the Central Government.

The population of Delhi is increasing every day and the roads are having heavy load.

Has any attempt been made for planning the transport needs of Delhi for the coming 5 to 10 years? Has the Delhi Municipal Corporation made any survey in tnis regard and if not that only shows how much slackness has there been in the matter.

Is the Government thinking of introducing the facility of underground Railway to the residents of Delhi ?

Shri Om Mehta : It has been asked whether any attempt was made to plan the requirment of transport in Delhi during the past five years or so. For that purpose, we formed a working group for Metropolitan transport and that group gave its recommendations. Unfortunately that could not be implemented. I assure you that we shall endevour to remove the difficulties.

We do not have any scheme for an under-ground Railway system in Delhi.

The paivate buses were engaged by the Undertaking and we shall try to reduce them. We are assessing the need for transport of students and shall try to meet them.

सभापटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री एस० मोहन

---

*Not recorded.

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कुमारमंगलम की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(एक) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1013/71]

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) राजस्व प्राप्तियां सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1970 (हिन्दी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1014/71]

(दो) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 1969-70 का प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 5-इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1015/71]

भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें अधिवेशन के निष्कर्ष

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : मैं श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से नई दिल्ली में 22 और 23 अक्तूबर, 1971 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें अधिवेशन के निष्कर्षों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1016/71]

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शासन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृत विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रो० एस० नूरूल हसन की ओर से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शासन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन-भाग 1—विश्वविद्यालयों का शासन—की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1017/71]

पारपत्र (दूसरा संशोधन) नियम

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 15 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1344 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1018/71]

केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि के अंतर्गत अधिसूचना

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों एवं अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति धनबाद, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1019/71]

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3412 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद को शामिल किया गया है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1020/71]

(3) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद (पश्चिमी बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 8) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में प्रकाशित किया गया था। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1021/71)

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

10वां, 11वां और 12वां प्रतिवेदन

श्री टी० ए० पाटिल (उस्मानाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) रेल मंत्रालय—डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, के सम्बन्ध में समिति के 119वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में रेल मंत्रालय सम्बन्धी दसवां प्रतिवेदन।

(2) भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय—भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध में समिति के 126वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इस्पात और खान मंत्रालय सम्बन्धी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग)—भारतीय खान ब्यूरो के सम्बन्ध में समिति के 127वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इस्पात और खान मंत्रालय सम्बन्धी बारहवां प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति

Public Acccounts Committee

चौदहवां और ईक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) विनियोग लेखे (डाक-तार), 1967-68 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (डाक-तार), 1969 के सम्बन्ध में समिति के 112वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन ।

(2) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्वास्थय विभाग) के सम्बन्ध में समिति के 101वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन ।

केन्द्रीय विक्रय कर [संशोधन] विधेयक

Central Sales tax (Amendment) Bill

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को बढ़ाया जाना

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करके वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopoted

कार्यमंत्रणा समिति

Business Advisory Commitee

पांचवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के पाँचवें प्रतिवेदन से, जो 17 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रूपभेद के अध्यधीन कि प्रतिवेदन के पैरा 2 की मद (27) में सोमवार, 22 नवम्बर, 1971' के स्थान पर 'मंगलवार 23 नवम्बर, 1971' प्रतिस्थापित किया जाये, सहमत है।''

उड़ीसा में आये तूफान के बारे में मद संख्या 27 पर सिंचाई और विद्युत मंत्री चर्चा करेंगे क्योंकि वह यहां नहीं है और वे 24 तारीख को आयेंगे। अत: मैंने इस पर 24 तारीख को चर्चा करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सरकार की यह अत्यन्त गम्भीर गैर जिम्मेदारी की बात है कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा को इस तरह टाला गया है। वहाँ अनेक व्यक्ति मर गए हैं और सरकार इस प्रकार चुप है। हम आज सदन की कार्यवाही को स्थगित कर इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। परन्तु इस पर विलम्ब किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जायें। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमने कार्य-मंत्रणा समिति में सोमवार का दिन नियत किया है परन्तु इस शर्त पर कि सिंचाई और विद्युत मंत्री श्रीलंका से यहां आ जायें। परन्तु वह 22 तारीख के प्रात: काल लौट रहे हैं इसलिए सोमवार को उनका यहां उपस्थित होना कुछ कठिन प्रतीत होता है।

श्री पी० के० देव : यह तो कटे पर नमक छिड़कना है। संसदीय कार्य मन्त्री ने यहां कहा है कि उड़ीसा सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है।

श्री राज बहादुर : यह बात सरासर गलत है कि सरकार इस मामले में बहुत कठोर और उदासीन है। प्रत्येक सम्बन्धित अधिकारी एवं नेता तूफान पीड़ित स्थिति को देखने गया है। यहां तक कि प्रधान मन्त्री ने अपना जन्म दिवस तक उस दिन नहीं मनाया और वह स्वयं उसी दिन वहां जा रही हैं। इससे अधिक और क्या हो सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): कार्य मंत्रणा समिति में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि शीघ्र से शीघ्र ही इस मामले पर चर्चा की जाये। परन्तु क्योंकि अब मन्त्री महोदय 22—11—71 को दिल्ली लौट रहे हैं इसलिए चर्चा के लिए 23—11—71 नियत की जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर चर्चा करने के लिए 23—11—71 नियत की जाती है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): According to the dicision taken yesterday in the Business Advisory Committee the House shall be adjourned for two hours on 19-11-71. Will this practice shall be adopted in the case of other religions ? This practice should be made applicable for all the religions.

श्री एस० एम० बनर्जी : कार्यमंत्रणा समिति में सब राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है । श्री बड़े की अनुपस्थिति में डा० लक्ष्मीनारायण पाँडे वहाँ उपस्थित थे और बात उनकी उपस्थिति में निश्चित की गई थी । कुछ सदस्य तो चाहते थे कि सदन की छुट्टी होनी चाहिए । परन्तु निर्णय 2 घण्टे की छुट्टी का हुआ है ।

Mr. Speaker : Our Mohammedan Hon. Members wanted a holiday on that day on account of 'Id'. The matter was taken up in the Business Advisory Committee for decision Which decided that House should be adjourned for an hour for 'Namaz'. There should be no hitch in this. This matter should not have been raised here.

अध्यक्ष महोदय : अब मै श्री राज बहादुर के प्रस्ताव को संशोधित रूप में लोकसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 17 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रूपभेद के अध्यधीन कि प्रतिवेदन के पैरा 2 की मद (27) में सोमवार, 22 नवम्बर, 1971' के स्थान पर मंगलवार 23 नवम्बर, 1971' को प्रतिस्थापित किया जाये, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

अग्रिम संविदा (संशोधन) विधेयक
Forward Contracts Amendment Bill

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was Adopted

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण
Statement regarding Forward Contracts (Regulation) Amendments Ordinance

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन, अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन

अध्यादेश 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

Commission of Inquiry (Amendment) Bill

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Moton was adopted

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त को ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव–जारी

Motion re. Eleventh Report of the Commissioner for Linguistic Minorities—Contd.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): We are disappointed to see the contents of the report of Commissioner for Linguistic Minorities. It has been stated in the report that certain decisions were taken and directions were issued to safeguard the interests of the linguistic minorities but neither Central Government nor State Government did anything to implement these decisions and recommendations. The greivances of the linguistic minorities can be redressed without much difficulty but the Central Government and State Governments failed to do anything in this direction.

It is regretted that the Commissioner for Linguistic Minorities cared very little to see that recommendations are implemented by the various State Governments. Previously students of Magadh University in Bihar were allowed to answer their papers in Bengali, Oria and Urdu but it is regrettable that this facility has been withdrawn now. This is also being done in other universities of Bihar.

Punjabi language has been given an official status but the work in Punjab is neither being trans acted in Hindi nor in Punjabi but in English.

Urdu speaking people constitute the biggest linguistic minority. It is a matter of gratification that Andhra Pradesh Government gave some cosideration to Urdu, but in U. P. and Bihar no rightful place has been given to this language. The students were demanding that medium of instruction should be Urdu but no arrangements have been made to accede to this demand. Injustice is being done to the Urdu speaking people. Urdu is a rich language.

Crores of Urdu speaking Hindus and Muslims demand the setting up of Urdu University in the country but it has not been done. What is the fault of Urdu speaking people ? Why the Central Government is not declaring Urdu as second language in Delhi for which there had been a great demand from the Urdu speaking people. As a result of injustice done to the linguistic minorities, states like Nagaland and Meghalaya have declared English as their official language. It is a slap on our face that we are giving a place to the foreign language which should have actually been given to some local language.

My party is not against English and Hindi; but at the same time it wants the local language to prosper. I have seen in some foreign countries that the small and local languages have been given proper place which possess both literature and script. As a result of ignoring the local languages, there is great restlessness in almost all parts of the country.

Tne report is silent over the question of providing security to different languages spoken in the big cities. I think that one man commission may be replaced by a three man commission consisting of Members of Parliament. I hope that the injustice done to the linguistic minorities so far, will not continue.

Shri M. C. Daga (Pali) : Neither the Central Government nor the State Governments gave serious consideration to the welfare of Linguistic Minorities. The Government is going to create a bigger problem in the matter of these languages. It appears from the report that no state Government follows the instructions of the Commission for Linguistic Minoritis. The Commissioner has demanded more staff. The Government should not accede to his demand.

It seems that the President has not recognised a single language from 1951 to 1971. The Government has appointed Commissioner for the languages of minorities, but no body wants to study these languages for which there are neither teachers nor books. The 11th. report of the Commission has revealed that neither Central Government not State Governments gave serious thought to this Problem. Every state wants three language formula. Do you want to introduce four language formula in the villages ? It has no utility. It should be stopped.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : हमारा देश कई संस्कृतियों तथा भाषाओं का संगम है। और यह विभिन्नता ही देश की समृद्धि है, मैं इस बात को नहीं मानता कि संस्कृति और भाषा की यह विभिन्नता राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। अनेकता में एकता ही इस देश का विशेष गुण है।

भाषा से भावात्मक सम्बन्ध पैदा होते हैं। भाषा और संस्कृति का पारस्परिक सम्बन्ध है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। संविधान की धारा 29, 30, 350क और 350ख में अल्पसंख्यकों के लिए विशेषरूप से सुरक्षण की व्यवस्था की गई है।

स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया इस आयोग की सिफारिशों के परिणाम सुखद नहीं रहे, जिसके परिणामस्वरूप भाषा के आधार पर बम्बई राज्य का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में हुआ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेराईकेला तथा खरस्वान के सम्बन्ध में बिहार सरकार को आंकड़ों के लिये कहा गया लेकिन बिहार सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उड़िया भाषा तथा संस्कृति को समाप्त करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। आंध्र प्रदेश में भी उड़िया अल्पसंख्यकों को उड़िया भाषा के अध्यापक नहीं मिलते।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतने सीमा विवाद क्यों पैदा हो गए हैं। इसका स्थायी समाधान क्यों न किया जाये ? मुझे इस बात का खेद है कि महाजन आयोग की सिफारिशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सम्भवतः इस पर राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर ही निर्णय लिया जायेगा। इस विषय पर चर्चा करना संसद का समय बरबाद करना है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो अल्पसंख्यकों की सहायता कीजिए, बहुसंख्यकों के दमन से उन्हें बचाइए तथा जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज्य समाप्त कीजिए।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : This report is the result of an honest effort by the Commissioner. Its implementation or non-implementation is a different thing. I agree that it was not implemented at the state level. The Government of India should pay due attention in order to implement these recommendations.

I do not agree to being the religion or caste in the name of linguistic minorities. Proper arrangements should be made for the teaching of a particular language.

Punjab has become a multi-lingual state but it came about after incurring heavy losses. Its population has been assessed at one crore and eleven lakhs. How can we assess the number of children interested in the study of a particular language.

Many things have been mentioned in this report including the Sachar Formula. A committee of zonal council was formed which recommended that no state is multi-lingual. I am confused in regard to the languages of minorities. National integration is vitally important. It is being done under provisions of Constitution. In order to achieve national integration we ought to change our education system. Unless the recommendations of these reports are implemented, it is no use appointing such committees or commissions. Haryana has done well in accepting the position of Urdu and Punjabi, Himachal ha followed suit.

प्रो० नारायण चन्द पाराशार (हमीरपुर) : रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को देख कर मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भाषा न तो धर्म की प्रतीक है न राजनीति की। भाषा किसी जीवित संस्कृति की भावनाओं को अभिव्यता करती है। सच्ची बात तो यह है कि भारत बहु भाषी देश हैं अतः हमें तमिल, उर्दू, फेंच इंगलिश साहित्य में विद्यमान सौंदर्य को मान्यता देनी चाहिए।

मुझे कुछ राज्यों की विफलताओं को जानकर खेद हुआ है। बिहार सरकार ने तो अल्पमतों के लिए उपलब्ध आरक्षणों के सम्बन्ध में पुस्तिकाएं भी प्रकाशित नहीं की हैं। पंजाब की भी वैसी ही स्थिति है।

दूसरी बात उन भाषाओं के प्रशिक्षण की सुविधाओं के बारे में है। और तीसरी बात सेवाओं के सम्बन्ध में है। आयोग द्वारा उल्लेख की गई विफलताओं की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पंजाब में विज्ञान के विषयों के प्राध्यापकों के लिये भी पंजाबी में परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इस प्रकार संरक्षणों के बारे में दिये गये आश्वासन कार्यान्वित नहीं हो पाते। ऐसे अन्याय को समाप्त करना राज्य सरकारों का ही नहीं, केन्द्रीय सरकार का भी कर्त्तव्य है। भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह कहीं भी रहते हुए अपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सके। यह सोचना गलत है कि यदि भारत एक भाषी राज्य बन जाये तो सारी समस्याएं हल हो जायेंगी।

किसी प्रजातन्त्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये आयुक्त के कार्यालय का होना उपयोगी है। उस कार्यालय के समाप्त करने की मांग का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। राजभाषा के बने रहते क्षेत्रीय भाषाओं की अवहेलना करना उचित नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों का अभाव भी उसकी क्रियान्वित में एक बाधा है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त को राज्यों के शिक्षा विभागों एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए।

पाठ्य पुस्तकों का अभाव भी समस्या का एक कारण है।

कुछ लोग भाषा के प्रश्न को लिपि के साथ जोड़ते हैं जोकि अनुचित है। भारत की सभी पुस्तकें किसी एक लिपि में लिखी जा सकती हैं। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

रिपोर्ट में उल्लिखित प्रोत्साहन अच्छी बात है। इनको बढ़ावा मिलना चाहिए।

आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जन-जातियों में नई प्रवृत्ति आई है कि अपनी भाषा का अध्ययन तो किया जाये परन्तु उसे शिक्षा का माध्यम न बानया जाये। भाषा को किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों के रहम पर नहीं छोड़ना चाहिए।

यह रिपोर्ट अत्यन्त उपयोगी है और मुझे प्रसन्नता है कि उर्दू आदि भाषाओं के लिए संरक्षणों की व्यवस्था की गई।

कुछ भाषाओं जैसे सिंधी, संस्कृत आदि की यह समस्या है कि उनका उपयोग किसी विशेष क्षेत्र में नहीं होता। ऐसी भाषाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

भारत के सभी प्रकार के साहित्य का संरक्षण होना चाहिए।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : अल्प संख्यकों को अनुरक्षण देने के लिये विभिन्न संवैधानिक उपबन्ध हैं और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में सीमित भूमिका निभा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण मामले को समुचित महत्व नहीं देती बल्कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भाषायी अल्पसंख्यकों का आयुक्त एक पदाधिकारी है जैसा कि संविधान में उल्लिखित है, परन्तु उसके पास कार्य पालिका शक्तियां नहीं हैं जैसा कि भाषाओं के अध्ययन तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में राज्य सरकारों के पास हैं।

वास्तव में यह एक बहुत नाजुक प्रश्न है कि हम इन विभिन्न निर्णयों को कार्यन्वित करने हेतु राज्य सरकारों पर कहां तक दबाव डाल सकते हैं। भारत सरकार के लिये यह एक जटिल मामला है और इस सम्बन्ध में हम अपनी जिम्पेदारियों को भूले नहीं हैं। आयुक्त ने अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी सफलता पूर्वक निभाया है।

कुछ भाषाओं, जिनकी लिपि स्पष्ट नहीं है, के अध्ययन के बारे उल्लेख किया गया है। त्रिपुरी भाषा और मध्य प्रदेश की आदिवासी भाषाओं के अध्ययन के बारे में भी उल्लेख किया गया है। किन्तु जब इन भाषाओं के सम्बन्ध में भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में इन निर्णयों को कार्यान्वित करने का समय आता है तो कठिनाई उत्पन्न हो जाती है क्योंकि प्राथमिक और उच्चतर

माध्यमिक स्तर पर इन अल्पसंख्यकों को भाषा पढ़ाने के किये कोई निश्चित लिपि नहीं है। भाषा का विकास और विशेषकर उस लिपि में पाठय पुस्तकों का तैयार करना और तत्पश्चात इन विशेष भाषाओं में पढ़ाने के लिये अध्यापकों को तैयार करना और उन्हें प्रशिक्षण देना ये सभी कठिन कार्य हैं। परन्तु विभिन्न राज्य सरकारें इन तथाकथित पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़ी जातियों के बारे में अधिक रूचि लेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि उनकी भाषाओं का ठीक प्रकार से विकास हो।

कहा गया है कि आयुक्त का कार्यालय समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह तर्क किया गया हैं कि इन अल्पसंख्यकों को भाषाओं के माध्यम से भी शिक्षा देने की प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जिन्होंने ऐसी सलाह दी है, उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव भी दिये हैं जिनमें यह भी कहा गया है कि आयुक्त को अधिकाधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। सरकार इन सुझावों का ध्यान रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आयुक्त के स्टाफ में वृद्धि की जाये।

सिंधी और उर्दू भाषाओं का कोई क्षेत्र नहीं है, जहां कि उनका प्रयोग होता है। और इस दृष्टि से वे क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं। किन्तु उनको संवैधानिक सम्मान प्राप्त है, जिसकी वजह से इनके प्रति विशेष ध्यान की आवश्यकता है। भाषायी अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख कर सरकार ने 14 जुलाई, 1958 को उर्दू भाषा के सम्बन्ध में एक विशेष वक्तव्य दिया था। जिन क्षेत्रों में उर्दू भाषा का बोलबाला है हमने वहां के लिए विशेष रूप से कुछ सुविधाएं देने का सुझाव दिया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया गया है कि भाषायी अल्पसंख्यकों को वर्ष 1958 के भाषा सम्बन्धी विवरण में उल्लिखित सुविधाएं दी जायें। जहां तक नवीनतम स्थिति का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू अध्ययन मण्डल गठित किया गया है। पाठय पुस्तकों की कमी दूर करने के लिए उर्दू शिक्षा के लिए एक उप-निदेशक का पद बनाया गया है। उन जिलों में, जिनकी जनसंख्या का काफी बड़ा भाग उर्दू भाषी है, कम से कम एक डिग्री कालेज में उर्दू शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। बिहार सरकार से भी ऐसी ही व्यवस्था करने को कहा गया है।

कई क्षेत्रों में सिंधी भाषा का भी विकास किया जा रहा है। दिल्ली में आकाशवाणी पर हाल में विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रीय स्टेशनों से नियमित आधार पर बार बार सिन्धी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार जो योगदान दे सकती है, वह केवल संवैधानिक तथा बहुत सीमित है। परन्तु आयोग ने अत्यन्त संतोषजनक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया है हालांकि इस के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है तथा यह सुझाव आये हैं कि आयुक्त के कार्यालय को और सुदृढ़ बनाया जाये।

जैसा कि आप को विदित है, राज्य सरकार की सेवाओं के लिए राज्य भाषा के ज्ञान को अनिवार्य नहीं रखना चाहिए। कुछ राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हो सकती हैं और यह भी हो सकता है कि उन भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में रहते हों। अतः वे अवश्य यह चाहेंगे कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भी वही सुविधाएं प्राप्त हों।

मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के बारे में संवैधानिक उपबन्धों को तथा अब तक किये गये निर्णयों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जायेगा ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिये क्षेत्रीय संस्था की स्थापना की आवश्कता है ।

श्री राम निवास मिर्धा : जहां तक त्रिपुरी भाषा का सम्बन्ध है वहाँ प्रयोग के तौर पर एक स्कूल चालू किया गया है जिसमें त्रिपुरी सम्बन्धी सभी बातों का परीक्षण किया जाता है तथा अध्यापन कार्य पूर्ण रूप से त्रिपुरी में होता है । उन क्षेत्रों में जहां त्रिपुरी के शिक्षक उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य भाषाओं के शिक्षक त्रिपुरी में पढ़ाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री महंती के स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ : प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"भाषायी अल्पसँख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 तक की अवधि सम्बन्धी ग्यारहवें प्रतिवेदन पर, जो 31 जुलाई, 1970 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद इस सभा की राय है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का पद समाप्त कर दिया जाये क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 350 ख (2) में कल्पित भाषायी अल्प संख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने की दृष्टि से भाषायी अल्प संख्यकों की समस्याओं की यथोचित छानबीन करने में असफल रहे हैं ।"

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 तक की अवधि सम्बन्धी ग्यारहवें प्रतिवेदन पर, जो 31 जुलाई, 1970 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद इस सभा की राय है कि—

(क) आंध्र प्रदेश और बिहार में रहने वाले उड़िया भाषी अल्प-संख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहियें ।

(ख) केन्द्रीय सेवाओं में प्रवेश के लिए राज भाषा का ज्ञान होने के लिए केन्द्रीय सरकार के आग्रह के अनुरूप राज्य सरकारों को राज्य सेवाओं में प्रवेश लिए प्रादेशिक भाषा के ज्ञान की आवश्यकता के लिए आग्रह करना चाहिए ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अवधि के लिए लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

Statutory Resolution Re: Continuance of Presidents Proclamation in Respect of Mysore

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनाँक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा को 25 नवम्बर, 1971 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

सदस्यों को याद होगा कि मैसूर राज्य के सम्बन्ध में किन परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करनी पड़ी थी। इसका अनुमोदन इस सदन ने 24 मई, 1971 और राज्य सभा ने 25 मई, 1971 को किया था। उदघोषणा को समाप्त करना तब ही सम्भव होगा जब विधान सभाओं के चुनाव हो जायेंगे और राज्य में एक लोक-प्रिय सरकार स्थापित हो जायेगी। मैसूर राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हाल ही में पूरा हो गया है। अतः राज्य में उद्घोषणा को आगामी फरवरी में ही समाप्त करना सम्भव हो सकेगा। अतः आज मैंने संसद से उद्घोषणा को 6 महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। आशा है मेरे इस संकल्प को बिना विरोध पारित कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा इस विषय पर डेढ़ घन्टे की चर्चा करने को सहमत हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि सदस्यगण संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : निर्वाचन आयोग ने राज्य में फरवरी के मध्य में चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की है। इसके लिए उद्घोषणा को ही केवल तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता था। उद्घोषणा को 6 महीने के लिए बढ़ाने की बात मेरी समझ में नहीं आती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' नारे के आधार पर चुनाव में उनकी भारी विजय के तुरन्त बाद ही अनेक राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था और अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों को गन्दे तरीकों से गिराया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्तारूढ़ काँग्रेस दल राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों को सहन नहीं कर पा रहा है।

सत्तारूढ़ कांग्रेस दल द्वारा मैसूर राज्य में गैर-कांग्रेसी सरकार को गिराना बहुत आपत्ति जनक बात है। सत्तारूढ़ कांग्रेस की भारी विजय के बाद लोगों को राहत मिलने के स्थान पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे सिक्कों की भारी कमी की वजह से भी जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें वस्तुओं के लिए अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार जनता के हित मे कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

भारी कराधान के परिणाम स्वरूप भी मूल्यों मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। सरकार ने जनता के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों का हनन करने के लिए आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम बनाये रखने सम्बन्धी कानून बनाया है।

मैसूर में 6 महीने के राष्ट्रपति शासन के दौरान कावेरी जल विवाद समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके सरकार अपना मतलब पूरा करना चाहती थी। इसीलिए हमने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उस समय जोरदार विरोध किया था।

मेरे अपने ही राज्य में जहां एक दल को विधान सभा के 36 स्थानों में से 30 स्थान प्राप्त हैं, सभा का विघटन किया गया ।

यदि देश में लोकतन्त्रात्मक वातावरण पैदा करना है तो कांग्रेस दल को उन आदर्शों का पालन करना चाहिये जिनकी वह दुहाई देता है । लेकिन राज्य में ऐसा नहीं किया गया । अतः हम इस प्रस्ताव का विरोध करते है ।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आपात स्थिति की उद्घोषणा करने से पूर्व मैसूर राज्य में संविधान के उपबन्धों के अनुसार वहां पर प्रशासन की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । आपात स्थिति की घोषणा के बाद राज्य में प्रशासन लोकतांन्त्रिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है । राज्य पाल बिना किसी सलाहकार की सलाह के मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं । वे राजनीतिक दृष्टि से अनुपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति उच्च राजनीतिक पदों पर कर रहे हैं ।

वास्तव में राज्यपाल का स्थान जनता और उनके द्वारा संसद में चुने गये प्रतिनिधियों के मध्य है । इसके परिणामस्वरूप चुनाव में कांग्रेस को पूरा समर्थन देने के बावजूद भी जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है ।

मैसूर राज्य में गांवों में रोजगार के बारे में द्रुतगामी कार्यक्रम को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

सरकार पिछड़े हुए मालानाद क्षेत्र के, जिसके अन्तर्गत सात जिले आते हैं, विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है ।

मैसूर के तटवर्ती पत्तनों और बम्बई अथवा कोचीन के बीच यात्री स्टीमर सेवा आरम्भ करने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया हैं । गत तीन या चार वर्ष से मछली न पकड़े जाने के कारण हजारों मछुए परिवारों को कठिनाई हो रही है ।

बंगलौर के नागरिकों को टेलिविजन की सुविधाएं पता नहीं कब प्राप्त होंगी ।

सब राज्यों में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है हजारों कृषक मैसूर भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं । भूमि मालिकों को एक सीमा तक भू-राजस्व में छूट देने की आवश्यकता है । उक्त विधान के लिए केन्द्रीय सरकार को मैसूर सलाहकार समिति की शीघ्र बैठक बुलानी चाहिए ।

वहां पर राज्यपाल के शासन के समाप्त होने पर जनता को राहत मिलेगी । अतः मैं उक्त संकल्प का समर्थन करता हूँ ।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : श्रीमान्, लोक सभा से मार्च 1971 में हुए निर्वाचन के तुरन्त बाद मैसूर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और अब उसे 6 महीने और बढ़ाने की माँग की जा रही है ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

मैसूर राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व श्री धर्मवीर मंत्रिमंडल में सचिव थे और वे कुशल प्रशासक के नाम से विख्यात थे। लेकिन जैसे ही उन्हें मैसूर राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया वे राज्य के मुख्य मंत्री की भाँति वक्तव्य जारी करने लगे।

हाल ही में दिल्ली में उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था कि कावेरी जल विवाद को 1924 के समझौते के अन्तर्गत हल किया जा सकता है।

लेकिन कुछ दिन बाद मैसूर राज्य में वापस लौटने पर उन्होंने 14 मई, 1971 को एक वक्तव्य दिया कि कावेरी जल विवाद के बारे में तमिलनाडु का तर्क उचित नहीं है। यदि एक संसद सदस्य ऐसा कोई वक्तव्य देता है तो माना जा सकता है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये किसी राज्यपाल द्वारा ऐसा एक राजनीतिज्ञ जैसा वक्तव्य देना शोभा नहीं देता।

जब उन्हें पंजाब राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था तो उसका विभाजन दो राज्यों पंजाब और हरियाणा में हुआ। उनको पश्चिम बंगाल में राज्यपाल नियुक्त करने के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उनके मैसूर राज्य में राज्यपाल नियुक्त किये जाने से पूर्व वहां लोकतन्त्रात्मक शासन था। परन्तु अब उनकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। विभिन्न पड़ोसी राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की बजाये वे ये दावा करके कि इस मामले में मैसूर अपना दावा नहीं छोड़ेगा, उनके बीच वैमनस्य का बीज बो रहे हैं। इस सम्बन्ध से अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे राज्यपालों को इस बात के निर्देश जारी करें कि राजनीतिक मामलों के बारे में वक्तव्य जारी करने से पूर्व सयंम से काम लिया करें।

देश की सब नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित किया जाना चाहिये। इससे विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद को हल करने में सहायता मिलेगा।

केन्द्रीय सरकार को राज्यपाल को यह निदेश देना चाहिए कि वे राजनीति में न उलझें और अपने को राज्य के प्रशासन तक ही सीमित रखें। सब नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित किये जाने के बाद पड़ौसी राज्य के जल विवाद समाप्त हो जायेंगे।

***श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा** (शिमोगा) : श्रीमान वर्ष 1957 तक राज्य में प्रशासन बहुत अच्छा था। श्री वीरेन्द्र पाटिल के मंत्रिमण्डल की समाप्ति के समय प्रशासन में धीरे-धीरे गिरावट आ रही थी। लोगों को आशा थी कि राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद राज्य के प्रशासन में सुधार होगा लेकिन उनकी आशाओं पर एकदम पानी फिर गया है।

आज इस राज्य में प्रशासन बहुत खराब हो गया है।

वर्तमान राज्यपाल कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। विभिन्न राज्यों के प्रबन्धों को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशासन में कहां तक गिरावट आ गई है।

* कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version based on English Translation of the Speech delivered in Kaneda

भू-राजस्व की वसूली राजस्व अधिकारियों की इच्छानुसार की जाती है। श्री पाटिल के शासनकाल में राजस्व वसूल करने सम्बन्धी अधिनियम का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता था जिससे चुनाव के समय जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके। अब स्थिति एकदम बदल गई है। राजस्व अधिकारियों को किसानों से एक मुश्त धनराशि वसूल करने के निदेश दिये गये हैं। इससे किसानों को भारी कठिनाई हो रही है। इस बात का आश्वासन दिया गया था कि किसानों से भू-राजस्व की किश्तों में वसूली की जायेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उन भूमिहीन किसानों पर जो अनधिकृत भूमि पर खेती कर रहे हैं, 500 रुपये तक जुर्माना किया जाता है। इससे सबसे अधिक बुरा प्रभाव हरिजनों पर पड़ा है। अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है और मामले को कई वर्षों तक घसीटा जाता है। न्यायाधिकरण का कार्यालय बंगलौर में है, किसानों के लिए इतनी दूर जाना बहुत कठिन होता है और इसके लिए उन्हें बहुत धनराशि खर्च करनी पड़ती है। 'टकरार टाक्ट फाइन्स' से सरकार को नियमित आय नहीं होती। मैसूर से सन्दल की लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 3-4 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। सन्दल की लकड़ी की तस्करी करने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। लेकिन सरकार इन स्कूलों को चलाने का खर्च सहन करने को तैयार नहीं है। सरकार को इस बारे में पूरी सहायता करनी चाहिए जिससे लोग इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें।

राज्य की कुछ आवश्यक परियोजनाओं को मितव्ययता के नाम पर समाप्त कर दिया गया है। राज्य की उन आवश्यक परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य का विकास पिछड़ न जाये।

सरकारी अधिकारियों की सेवावधि को बढ़ाने अथवा उन्हें पुन: नियुक्त करने के मामले में पक्षपात होता है। वास्तविक मामलों की उपेक्षा की जाती है और अपने जानकारों की सेवावधि बढ़ा दी जाती है। गृह-मन्त्री को स्वयं इस मामले में जांच करनी चाहिए।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। पीने के पानी की राज्य में बहुत भारी समस्या है। इससे राज्य के अनेक जिले प्रभावित हैं। सरकार को वैध-कूप सिंचाई योजना की ओर, जो अनेक वर्षों से विचाराधीन है, शीघ्र ध्यान देना चाहिए। सड़कों की स्थिति में शीघ्र सुधार किया जाना चाहिए।

वर्तमान राज्यपाल की सेवाकाल की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। मैं गृहमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि नया राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो योग्य हो, सरकार को चला सके, जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, प्रशासन में सुधार ला सके और लोगों को न्याय दिलवाने में समर्थ हो।

Shri R. V. Bade (Khargone) : The Hon. Minister stated in the House that fresh elections in the Mysore on the basis of revised electoral rolls would be held only after October

this year. The Hon. Minister should make an enquiry why electoral rolls were not prepared by October.

Several complaints have been made against the present Governor. There has been a complaint that land revenue is being realised from the farmers forcibly. Neither Maharashtra-Mysore dispute nor, Cauvery water dispute has been settled so far, I want to know what action has been taken by the present Governor regarding those disputes.

A Consultative Committee has been appointed in this regard, I want to know whether any meeting of that Committee has been held so far. If no meeting has been held, the reasons thereof ?

There has been general complaints that the problems of the people have not been solved uptil now there. People are being harassed. The corruption is on the increase. The Governor has no control on his officials I want to know when the Maharashtra-Mysore dispute and the cauvery water dispute will be setteled ? These are very serious disputes and should be settled early.

The election in Mysore should be held in February with other states.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं पूर्णत: समर्थन करता हूँ ।

मैसूर राज्य में हमारे दल ने संसद की 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन सब सीटों पर उसकी विजय हुई । माननीय सदस्य को हम आश्वासन दे सकते हैं कि मैसूर राज्य में हमारी नीति और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जायेंगे । वहां की जनता में हमारी नीति और कार्यक्रमों में विश्वास प्रकट किया गया है और हम उनको क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

राज्य में जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावकारी कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य में हमारी नीतियों और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बाधक अधिकारियों को मांफ नहीं किया जाना चाहिए ।

मैं आशा करता था कि हमारे विपक्षी मित्र मैसूर राज्य के लाभ के लिए कुछ ठोस सुझाव देंगे । लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे सुझाव नहीं दिए गए हैं ।

पुरानी कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल के त्यागपत्र के कारण ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है । बैंकों के सम्बन्ध में भारतव्यापी नीति यह हैं कि उनसे दलित और शोषित वर्ग की सहायता होनी चाहिए । किन्तु मैसूर में इस प्रकार के व्यक्तियों की कोई सहायता नहीं की जा रही ! उनसे केवल पूंजीपतियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही आर्थिक सहायता प्राप्त होती है । राज्यपाल इस दुर्व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सके । तथापि राज्यपाल को हटाने अथवा उसके पद को समाप्त करने का प्रश्न उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि करने से भिन्न है ।

मैं गृह मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मैसूर में अत्यावश्यक वस्तुओं के जमाखोरों को उचित दंड दिया तथा वहां से यह बुराई शीघ्र ही समाप्त हो गई । ऐसे अधिकारियों को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मेरे राज्य में विद्यार्थी

असन्तोष के सम्बन्ध में साम्यवादी दल के सदस्यों ने बहुत सी कठोर बातें कही । किन्तु अखिलभारतीय युवक कांग्रेस के नेता ने उनका प्रभावपूर्ण उत्तर दिया । मुझे इससे बहुत सन्तोष है । मैसूर के विद्यार्थियों की यह मांग है कि उनसे लगातार तीन वर्ष तक फीस नहीं ली जानी चाहिए । उनकी मांग है कि फीस केवल एक वर्ष ही परीक्षा के समय ली जानी चाहिए । उनकी न्याय संगत मांग को स्वीकार नहीं किये जाने के कारण ही उनमें असन्तोष है । श्री वीरेन्द्र पाटिल का कहना है कि यह अव्यवस्था सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उत्पन्न की है । यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कन्नड़ राज्योत्सव के नारे लगाये थे और वह यह भूल गये कि वह एक भारतीय नागरिक हैं ।

मैसूर में औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत सुस्ती से कार्य किया जाता है । मैं किसी भी अधिकारी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता किन्तु यह सच है कि वहाँ कुछ अधिकारियों का गुट है जो इस प्रकार की देरी के लिए उत्तरदायी है । सभी अधिकारियों को जनता की भलाई को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए । हमने कावेरी जल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था । यदि केन्द्र और राज्य के पास धन नहीं है, तो विश्व बैंक जैसी कई संस्थाएं हैं, जिनसे इस कार्य के लिए धन जुटाया जा सकता है । जहां तक मैसूर की विभिन्न समस्याओं का प्रश्न है, सरकार को जब तक वहाँ लोक प्रिय सरकार नहीं बनती, संसद सदस्यों से परामर्श करके उन्हें हल किया जाना चाहिए ।

श्री वी० वी० नायक (कनारा) : मैसूर राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन की अवधि में छः महीने की और वृद्धि की जाये, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । इस बीच यदि वहां लोकप्रिय सरकार बनती है, तो वह वहां का शासन सम्भाल लेगी ।

इस वाद-विवाद के दौरान दो मुख्य बातें सामने आईं । पहली तो यह कि श्री दशरथ देव ने मैसूर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के विषय पर बोलने की बजाय त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन पर काफी प्रकाश डाला । दूसरी बात यह कि श्री कछवाय ने बार-बार व्यवधान उपस्थित किया, जैसा कि श्री शिवप्पा ने सुझाव दिया है, यदि राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन दोषपूर्ण रहता है तो इस व्यवस्था को सविधान में संशोधन करके बदलना होगा अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा । यदि इस देश में समय-समय पर राज्य सरकारों के पतन की आशंका है तो हमें इसी अवसर पर इस बात का निर्णय करना होगा कि उस स्थिति में उस राज्य का शासन किस प्रकार सुचारू रूप से चलाया जाये । वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति के स्थान पर उस राज्य में जनता द्वारा चुने गये व्यक्ति को उस राज्य का कार्य सौंपा जाना चाहिए जिससे प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य हो सके ।

यद्यपि संसद-सदस्यों को पूरे देश का हित देखना है फिर भी एक सीमा तक हम अपने अपने राज्य का भी हित देखते हैं । चूंकि मैसूर राज्य में सुव्यवस्थित प्रशासन नही है अतः जनता द्वारा चुने गये व्यक्तियों को भी जनता से बुरा भला सुनना पड़ता है, उनका असंतोष सहना पड़ता है । मुझे स्वयं भी इसका अनुभव है ।

राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने पर मैसूर की जनता ने आशा की थी कि वहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा । किन्तु भ्रष्टाचार समाप्त होना तो दूर रहा उसमें और वृद्धि हो गई, विशेषकर पुलिस विभाग में । यह भी आशा थी कि राज्यपाल गत अवधि में हुए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि की जाँच करेंगे । किन्तु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उनसे कई बार लिखित और मौखिक रूप से प्रार्थना किये जाने पर भी स्थिति में कोई सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया गया

तथा उन पुराने मामलों तक की जिनमें गम्भीर आरोप लगाये गये थे, कोई जांच पड़ताल नहीं की गई।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैसूर प्रशासन ने, जो केन्द्र के प्रति उत्तरदायी है, कुछ नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

उत्तर कनारा में भूमि बहुत खुश्क हो गई है तथा वहां के कुएं तथा नदियां जलविहीन हो रही हैं। यूकेलिटस की काश्त के कारण वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। यद्यपि वहां पर 2,12,000 एकड़ में यूकेलिप्टस की काश्त होती है, जिससे लगभग 20 लाख टन कच्चा माल उपलब्ध होता है तथापि लुग्दी, उद्योग के कुछ निहित स्वार्थों के कारण वहाँ पर राज्य सरकार यूकेलिप्टस की काश्त बढ़ाती जा रही है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मैसूर राज्य में राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत प्रशासन के विषय में यही देखा जाय कि क्या वहाँ ठीक प्रकार से कार्य हो रहा है अथवा नही। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह वहाँ की जनता की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें तथा उचित कार्यवाही करें।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवली) : मैसूर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में छः महीने की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव का मैं अपने दल की ओर से कठोर विरोध करता हूँ। हमें तथा मैसूर की जनता को यह आशा नहीं थी कि इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जायेगा।

मैसूर में वीरेन्द्र पाटिल की सरकार ने 11,00,000 एकड़ बंजर भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में बांटने की योजना बनाई थी। इस सम्बन्ध में तालुक स्तर पर समितियाँ भी बनाई गई थीं किन्तु श्री धर्मवीर ने उन समितियों को रद्द कर दिया तथा यह आश्वासन दिया कि इस कार्य के लिए उपायुक्त तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। अप्रैल, 1971 तक 1000 एकड़ भूमि का वितरण कर दिया गया था किन्तु श्री धर्मवीर के शासन काल में एक एकड़ भूमि का भी वितरण नहीं किया गया। अतः मेरा सुझाव है कि स्थानीय जन-प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई उन समितियों को पुनः सक्रिय बनाया जाये।

सदस्यों में परिचालित नोट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि काफी शासन आरम्भ करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। मेरा सुझाव है कि उनको मुफ्त भूमि दी जाये तथा उन्हें उदारता पूर्वक वित्तीय सहायता भी दी जाये क्योंकि उन लोगों के पास न अपनी भूमि है और न धन।

मेरा यह भी सुझाव है कि उनसे पांच वर्ष के बजाय 20 वर्ष के बाद ऋण वसूल किया जाये। केवल तब ही उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।

कर्नाटक ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपनी 13 मांगों को पूरा कराने के लिये आन्दोलन कर रही है। मैसूर सरकार के नोट से विदित होता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के लिये 1,24,69,000 रुपये नियत किये गये थे किन्तु इस राशि को उक्त कार्य पर अब खर्च तक नहीं किया

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर

*Summrised Hindi version of English translation of the speech delivered in Tamil.

किया गया। बंगलौर, मैसूर और भद्रावती के कर्मचारी बहुत दिनों से अस्पताल खोले जाने की माँग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी न्यायसंगत मांगों को पूरा किया जाये। मेरा यह भी सुझाव है कि कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपदान दिये जाने के बारे में राष्ट्रपति शासन के दौरान उपयुक्त कानून बनाया जाये जिसकी मांग मैसूर के कर्मचारी बहुत समय से कर रहे हैं।

मैसूर सरकार के गृह सचिव ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी नेताओं ने एक मत से मैसूर में बढ़ते हुए किरायों का दृढ़ता से विरोध किया था। उन्हें यह भी बताया गया कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार तथा अकार्य कुशलता के कारण 1.25 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है जिसके कारण बसों के किराये में वृद्धि की गई है। मेरा सुझाव है वहाँ के किराये में कमी की जाये।

30 सितम्बर, 1971 को रोजगार कार्यालयों में दर्ज नामों के अनुसार 2,70,360 व्यक्ति बेरोजगार थे। अतः बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वहां उद्योगों की स्थापना की जाये।

मैसूर के 275 गांवों में भारी अकाल पड़ा है। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए राहत कार्य किए जाने चाहिएं क्या सहकारी क्षेत्र को दिये गये ऋण की वसूली को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। कुछ छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

मैसूर भाषा समिति ने कर्नाटक भाषा की सिफारिश की है। उनकी इस सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए।

बंगलौर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध 48 कालेज 1-1/2 महीने के लिये बन्द रहे जिससे राज्यपाल के प्रशासन की अकार्यकुशलता का पूरा पता चलता है। विद्यार्थियों ने उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार के विरुद्ध 22 आरोप लगाये हैं। श्री धर्मवीर का प्रशासन नितांत दोष-पूर्ण है जिसके कारण हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

श्री एम० बी० पाटिल (बागलकोट) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। गत छः महीनों में मैसूर में बहुत सी घटनायें घटित हुई हैं। गत 1520 वर्षों से मैसूर में कुछ राज मार्गों पर सरकारी बसें ही चलती थी किन्तु अब उन पर हजारों गैर-सरकारी बसें तथा छोटी बसें चलती हैं। उनको लाइसेंस दे दिये गये हैं। मैं नहीं समझता कि वहां यह नीति किन कारणों से अपनाई गई है।

दूसरी बात यह है कि बीजापुर स्थित गोदावरी शुगर मिल्स तक मैसूर सरकार ने एक सड़क बनाई है जिस पर लगभग 2 लाख रुपयों की लागत आई है। इसी प्रकार मैसूर राज्य में कई गैर सरकारी सड़कें बनाई गई हैं।

मैसूर राज्य में सरकारी अधिकारी पांच दिन का सप्ताह मनाते हैं। देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पता नहीं मैसूर राज्य ने यह व्यवस्था क्यों अपनाई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कें आदि के कार्य पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं किन्तु खेद है कि यह कार्य ठेकेदारों से कराया जा रहा है तथा श्रमिकों को पर्याप्त मजूरी नहीं मिल रही है।

बेलगांव जिले में गोकाक कांटन मिल्स की पट्टेदारी की अवधि समाप्त हो गई है किन्तु मुझे विश्वासनीय सूत्रों से पता चला है कि मैसूर सरकार उस क्षेत्र को गोकाक मिल्स को बेचना चाहती है। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न को सलाहकारी समिति में रखें।

ऊपरी कृष्णा परियोजना आदि कई बड़ी सिंचाई योजनायें मैसूर में चल रही हैं किन्तु अभी तक उनके सम्बन्ध में पुनर्वास आदि कार्य आरम्भ नही किया गया है। विकास समिति आदि में भी किसी संसद सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया है।

मैसूर सरकार ने योजना आयोग से निवेदन किया है कि राज्य की चौथी योजना के परिव्यय में वृद्धि की जाये। माननीय मंत्री से निवेदन है कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अनुकूल रूप से विचार किया जाये।

श्री सी० के० जाफर शरीफ (कनकपुरा) : इस संकल्प का समर्थन करते हुये मैं कहना चाहता हूँ कि मैसूर में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि होनी अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है कि वहाँ शीघ्र ही चुनाव होगें। इस संदर्भ में भी मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल तथा श्री निजलिंगप्पा के सम्पर्क में रहने के कारण मैसूर प्रशासन के अधिकारियों में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है। यह खेद की बात है कि श्री धर्मवीर प्रशासन में इतना सुधार नहीं कर पाये जिसकी वहां की जनता को आशा थी। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर आदि अधिकारी अभी भी श्री वीरेन्द्र पाटिल के सम्पर्क में रहते हैं तथा उनके दल के लिये चन्दा इक्ट्ठा कराते है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय राज्यपाल से कहें कि वह उन अधिकारियों पर अधिक भरोसा न रखें। मुझे प्रसन्नता है कि मैसूर की जनता का श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों और कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि शीघ्र ही हमारे राज्य में लोकप्रिय सरकार बन जायेगी।

विशेषकर बंगलौर और कनकपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई और संचार की दृष्टि से बहुत उपेक्षा की गई है। राज्यपाल के पास कई अभ्यावेदन भेजे गये किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। तथापि हम निराश नहीं हुए हैं। जनता को आशा है कि वहां उनकी सरकार बनेगी तथा सभी कमियां दूर हो जायेंगी।

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : श्री पन्त द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं कहना चाहता हूँ कि मैसूर के बारे में सलाहकार समिति की अभी तक बैठक नहीं बुलाई गई है। मेरा सुझाव है कि नीति निर्धारण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के संसद सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिये।

किसी भी माननीय सदस्य ने अपने भाषणों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय के फैसले के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को बहुत हानि होगी। उनकी कठिनाइयों को शीघ्र दूर किया जाना चाहिये।

अभी तक यह प्रथा रही है कि प्रत्येक समीति में अनुसूचित जातियों का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित किया जाता था। किन्तु राष्ट्रपति शासन के दौरान यह प्रथा समाप्त कर दी गई है तथा कुछ समितियों से उनके सदस्यों को निकाल दिया गया है। उदाहरणार्थ मैसूर आवास बोर्ड से अनुसूचित जाति के सदस्य को निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति को रख लिया गया है। मैसूर राज्य

में ही अनुसूचित जाति का पहला व्यक्ति उत्पन्न हुआ था, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हुआ।

जहां तक मैसूर में अव्यवस्था का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन के पृष्ठ 122 पर अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिससे विदित होता है कि हत्या और लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति शासन में अपराध और अव्यवस्था में वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय इन बातों की जांच करें तथा उपयुक्त कार्यवाही करें।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा (चिकमगलूर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूँ कि मैसूर के राज्यपाल आई० सी० एस० अधिकारी हैं तथा उन्हें प्रजातान्त्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं है। वह वहां एक प्रकार के तानाशाह बन गये हैं तथा सभी कार्य अपनी इच्छानुसार करते हैं। इसी कारण बहुत से अधिकारी अकार्यकुशल हो गये हैं तथा राज्य में भ्रष्टाचार का बोल बाला हो गया है तथा आम जनता तथा ग्रामीण जनता को बहुत कठिनाई होती है।

राज्यपाल तथा सचिव ने ईंधन, लकड़ी आदि सामग्री का कुछ व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

दूसरे, काफी के बागान के बारे में 800 रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसे केवल धनी व्यक्ति ही वहन कर सकते हैं। निर्धन व्यक्तियों के लिये कुछ अन्य व्यवस्था करने के बारे में हमने राज्यपाल से व्यक्तिगत अनुरोध किया था किन्तु हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

मैसूर से चन्दन की लकड़ी का चोरी छिपे निर्यात किया जाता है। मुझे पता चला है कि लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की लकड़ी जंगलों से गायब कर दी गई है।

भद्रावती परियोजना में घाटा हो रहा है किन्तु सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। राज्यपाल महोदय ने केन्द्र सरकार से सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये वित्तीय सहायता की मांग भी नहीं की।

मैं फिर से सुझाव देता हूँ कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान हेतु मलबाद बोर्ड की स्थापना की जाये।

श्री के० के० सेट्टी (मंगलौर) : मुझे आश्चर्य है कि 6 महीने की और अवधि के लिये राष्ट्रपति शासन बढ़ाने सम्बन्धी साधारण प्रस्ताव पर इतनी गर्मागर्मी हुई है।

मैं सरकार की जानकारी में दो जरुरी बातें लाना चाहता हूँ जो भूमि सुधार तथा भूमिहीनों के बीच भूमि वितरित करने से सम्बन्धित हैं। मुझे सूचना मिली है कि मैसूर के हजारों भूमिहीन लोगों को जमीन सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर पिछले 10, 12 वर्षों से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अतः दो बातें बहुत जरुरी हैं। एक तो भूमि सुधार अधिनियम बनाने सम्बन्धी और दूसरी भूमिहीनों को भूमि देने सम्बन्धी। पुलिस भी मुजारों को बेदखल करने में भाग ले रही है। सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में पुलिस को उचित आदेश दे।

दूसरी खेदजनक बात यह है कि बंगलौर के महापौर तथा उपयुक्त के बीच विवाद छिड़ गया है जो समाचारपत्रों द्वारा एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित जांच करनी चाहिये और इस विवाद को हमेशा के लिये बन्द करना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव की अनिवार्यता के बारे में अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी मानवीय सदस्यों द्वारा प्र ट भावनाओं की मैं सराहना करता हूं। मैं भूमि सुधार तथा परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता तथा आवागमन तथा जल प्रदाय सम्बन्धी समस्याओं को पूरी तरह से अनुभव करता हूँ। कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाने के स्थान पर सीधे चुनाव कराने के बारे में सुझाव दिये हैं। मैसूर में चुनाव अन्य राज्यों के साथ फरवरी, 1972 में ही होंगे। श्री बड़े सरीखे कई माननीय सदस्यों ने 6 महीने के स्थान पर केवल चार महीने के लिए यह अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि संविधान की धारा 356(4) के अधीन हम केवल 6 महीने ही के लिए अवधि बढ़ा सकते हैं।

कावेरी विवाद का भी जिक्र हुआ है। राष्ट्रपति शासन के लागू होने तथा लोकप्रिय सरकार के न रहने से इस विवाद पर दोनों सरकारों के बीच वार्ता होना सम्भव न हो सका। इस झगड़े का समाधान करने के लिए हमें चुनावों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सलाहकार समिति के बारे में भी चर्चा चली। मुझे यह सूचना देते हुए खुशी है कि सलाहकार समिति की बैठक 7 दिसम्बर के लिये निश्चित कर दी गयी है।

श्री सिद्दय्या ने समितियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का जिक्र किया है। मेरे विचार में विभिन्न समितियों में इनके प्रतिनिधित्व की स्वस्थ परम्परा को बनाये रखना चाहिए।

मैं श्री नायक को बताना चाहता हूँ कि हम मैसूर की समस्याओं से परिचित हैं इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा को 25 नवम्बर, 1971 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पश्चिम बंगाल अग्निशामक सेवा को अत्यावश्यक सेवा बनाने की घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

Statutory resolution reapproval of declaration of West Bengal Fire Service to be an Essential Service.

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम, 1968 (1968 का संख्या 59) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, के एस० ओ० संख्या

3335 का, जो दिनांक 8 सितम्बर, 1971 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके अनुसार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल अग्निशामक सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया था, अनुमोदन करती है ।"

सितम्बर 1971 में पश्चिम बंगाल की अग्निशामक सेवाएं हड़ताल के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुईं । कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की । अतः "अत्यावश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम 1968 "के अधीन अधिसूचना जारी करना अनिवार्य था । सीमाओं की विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि अग्निशामक सेवाएं नियमित रूप से बनी रहें । हम अभी हड़ताल सहन करने का जोखम नहीं उठा सकते । अतः मैं सदन से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूँ ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि यह कर्मचारियों के अधिकारों को कुचलने तथा हड़ताल को गैरकानूनी करार देने की दिशा में एक प्रयत्न है । कर्मचारियों के जब सारे उपाय निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं तो वे हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस अधिसूचना द्वारा उनके हड़ताल करने के अधिकार को छीना जा रहा है । इसकी क्या आवश्यकता है ? मैं जानता हूँ कि कर्मचारियों की मुख्य शिकायत आठ घंटे की ड्यूटी के बारे में थी । मैं जानता हूँ कि समयोपरि मजदूरी के बारे में झगड़ा चल रहा था । इन सब शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और कर्मचारियों को अन्त में हड़ताल करने के लिये बाध्य होना पड़ा ।

आखिर अग्निशामक सेवाओं के कर्मचारियों की स्थिति क्या है ? कभी मंत्री महोदय ने यह सोचा है ? दार्जीलिंग में भीषण आग लगी । बहुत नुकसान हुआ । अग्निशामक सेवा के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हुआ और वे कुछ न कर सके । इस अधिसूचना द्वारा सरकार सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को कुचल सकती है, हड़ताल को ग़ैर-कानूनी करार दे सकती है, लेकिन फायर ब्रिगेड में सुधार नहीं कर सकती । इस अधिसूचना के बाद अग्निशामक सेवा कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे, ऐसा कैसे समझा जाये । यह अधिसूचना जारी करने के स्थान पर यदि सरकार फायर ब्रिगेड सेवाओं में सुधार करती, तो कितना अच्छा होता ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि दार्जिलिंग में आग लगने से लोगों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ ।

श्री कृष्ण चन्द पंत : मैं। श्री दीनेन भट्टाचार्य की बात बड़े ध्यान से सुनी है । मैं उनसे सहमत हूँ कि हड़ताल करना कर्मचारियों का अधिकार है । उन्होंने दार्जीलिंग में लगी आग का उदाहरण भी दिया है । अग्निशमक सेवाऐं अनिवार्य तथा जनोपयोगी सेवाऐं हैं । अतः हम हड़ताल सहन करने का जोखम नहीं ले सकते । जरुरत पड़ने पर हम किसी भी सेवा को ठप्प नहीं देख सकते । अतः इस प्रकार की अनिवार्य सेवा के बारे में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिये । मैं नहीं चाहता कि कोई यह समझे कि यह कदम कर्मचारियों के विरुद्ध है । वर्तमान स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार इसे जरुरी समझती है । अतः हमने इसे सदन के सामने रखा है ।

इन्होंने कुछ शिकायतों का जिक्र किया है । इन शिकायतों को मैं पश्चिम बंगाल सरकार को विचारार्थ भेज दूंगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न है :—

"कि अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम 1968 (1968 का संख्या 59) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा गृह मंत्रालय भारत सरकार के एस० ओ० संख्या 3335 का, जो दिनांक 8 सितम्बर, 1971 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके अनुसार उक्त आधिनियम के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल अग्निशामक सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया था, अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1971/28 कार्तिक, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, November 19, 1971 Kartika, 28, 1893 (Saka)

Sumer Printing Press, New Delhi-18